ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

अगस्त 2019 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

केंद्रीय बजट 2019-20

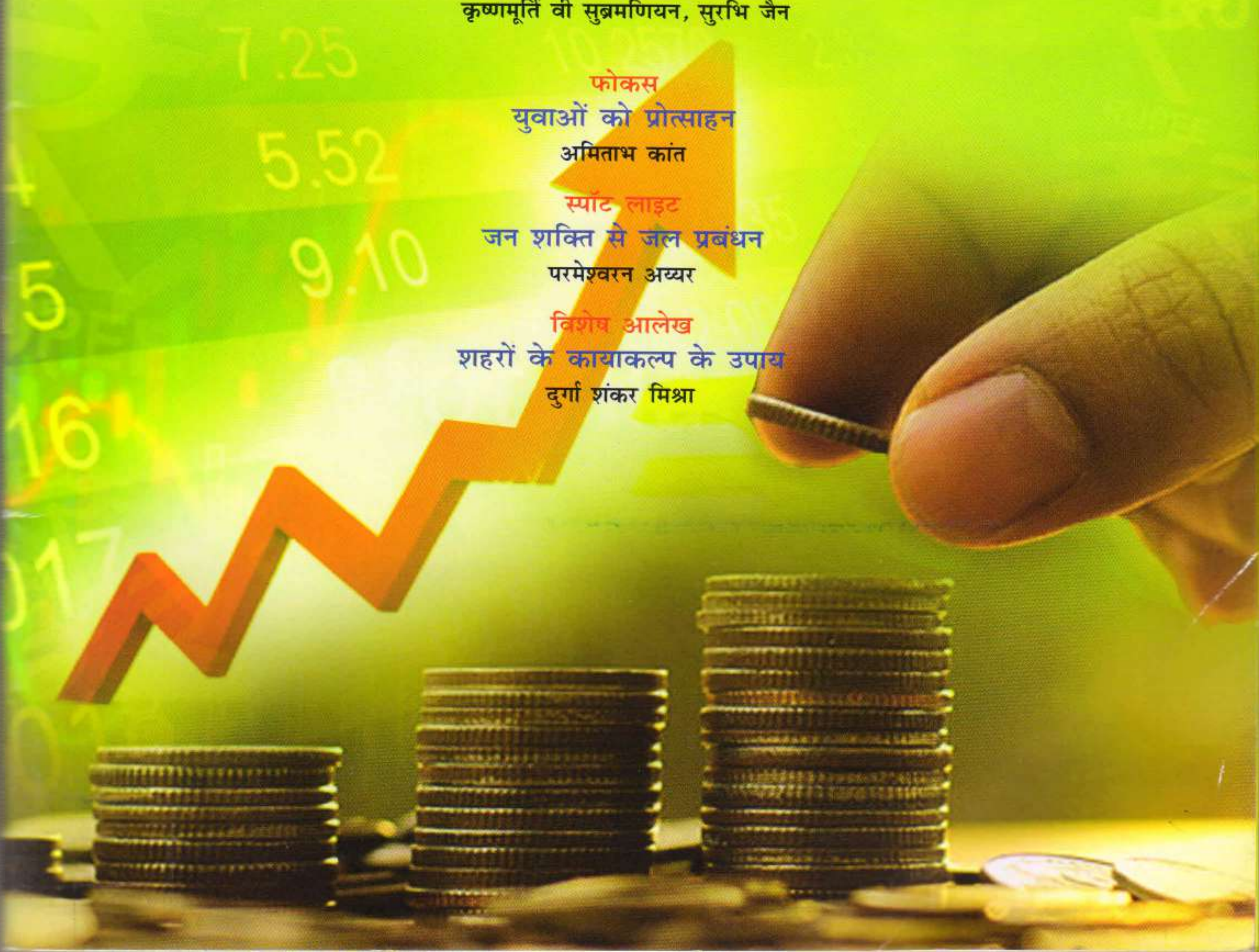

बजट अवलोकन
सुभाष चन्द्र गर्ग

नए कर प्रस्तावः आम आदमी के लिए फायदे का सौदा
अजय भूषण पांडेय

बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं
इंदु भूषण

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का खाका
कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन, सुरभि जैन

फोकस
युवाओं को प्रोत्साहन
अमिताभ कांत

स्पॉट लाइट
जन शक्ति से जल प्रबंधन
परमेश्वरन अय्यर

विशेष आलेख
शहरों के कायाकल्प के उपाय
दुर्गा शंकर मिश्रा

केंद्रीय बजट 2019-20 के बारे में प्रधानमंत्री के विचार

''ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा।''

नए भारत के लिए यह उम्मीदों का बजट है और इससे 21वीं सदी में देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा : पीएम@narendramodi

नए भारत के लिए बजट गरीबों को सशक्त बनाएगा, युवाओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा और मध्य वर्ग के समग्र विकास को संभव बनाएगा : पीएम@narendramodi

नए भारत के लिए बजट उद्योगों और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करेगा : पीएम@narendramodi

आर्थिक सर्वेक्षण 2019 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए खाका पेश किया गया है। यह सामाजिक क्षेत्र में प्रगति, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा को अपनाने से हुए लाभ के बारे में भी बताता है : पीएम@narendramodi

''इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म (सुधार) भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज़ ऑफ लिविंग भी है और साथ ही, गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है; जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर (सौर ऊर्जा क्षेत्र) पर विशेष बल दिया गया है।''

स्रोत : www.pib.nic.in
www.narendramodi.in

विशेषांक

योजना

वर्ष : 63
अंक : 08

अगस्त 2019
श्रावण-भाद्रपद, शक संवत् 1941

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 84

वेबसाइट www.yojana.gov.in

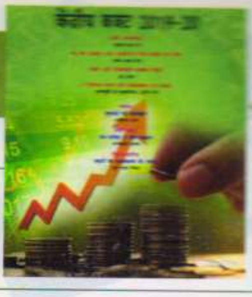

प्रधान संपादक : शमीमा सिद्दीक़ी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : वी के मीणा
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

इस अंक में

बजट अवलोकन
सुभाष चंद्र गर्ग 7

नए कर प्रस्ताव: आम आदमी के लिए फायदे का सौदा
अजय भूषण पांडेय 13

फोकस

युवाओं को प्रोत्साहन
अमिताभ कांत 17

स्पॉट लाइट

जन शक्ति से जल प्रबंधन
परमेश्वरन अय्यर...................................22

क्या आप जानते हैं?

मोबिलिटी कार्ड 23

विशेष आलेख

शहरों के कायाकल्प के उपाय
दुर्गा शंकर मिश्रा....................................24

बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं
इंदु भूषण 29

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का खाका
कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन, सुरभि जैन......34

ग्रामीण भारत..39

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के उद्धरण 40

बजट 2019-20 की प्रमुख बातें.............42

महिला सशक्तीकरण की कवायद
शाहीन रज़ी, नौशीन रज़ी.......................46

परिवहन : बुनियादी ढांचे पर ज़ोर
जी. रघुराम..50

आर्थिक समीक्षा और बजट
ए के दुबे..54

यात्री सुविधाओं पर केंद्रित रेल बजट
शाइन जैकब..58

शिक्षा में सुधार से नया भारत बनाने का संकल्प
आलोक कुमार, सारा इपे, उर्वशी प्रसाद......62

किसान कल्याण के प्रभावी कदम
जगदीप सक्सेना 67

कमज़ोर वर्गों का कल्याण और सशक्तीकरण
मुनिराजू एस बी, चैत्रा देवूर....................70

सबको बिजली और ऊर्जा सुरक्षा
मनोज कुमार उपाध्याय.........................73

बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार
शिशिर सिन्हा 76

ईज़ ऑफ लिविंग- आम जन की ज़िंदगी सरल बनाने का मंत्र
भुवन भास्कर..80

नागरिकों के अनुकूल, विकास के अनुकूल एवं भविष्योन्मुखी बजट - प्रधानमंत्री 82

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	द्वितीय तल, अलखनंदा हॉल, भद्रा, मदर टेरेसा रोड	380052	079-26588669

आपकी राय

योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना ज़रूरी

योग और चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों पर आधारित जून 2019 का योजना अंक पढ़ने को मिला। बेहद अच्छा लगा। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिये योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लेना चाहिये। आज की भागमभाग भरी ज़िंदगी में स्वस्थ्य रहने के लिये योग एक सरल उपाय है। 'योग भगाये रोग', लेकिन योग तभी कारगर साबित होता है जब योग को दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया जाए। योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार विद्यालयों में इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है। योग और मानसिक स्वास्थ्य, सेहतमन्द जीवन के लिये योग तथा चिकित्सा की सिद्ध पद्धति लेख बेहद ज्ञानवर्धक लगे।

विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाकर उनका पोषण और संरक्षण किया जाना समय की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिये पृथ्वी को हराभरा बनाने में हमें अपना योगदान देना चाहिये। जैसे बूंद-बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही हमारे छोटे से प्रयास से धरती को हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी। श्रेष्ठ अंक संपादन के लिये संपादक और संपादकीय टीम को हार्दिक धन्यवाद।

– कुलदीप मोहन त्रिवेदी

बैगाव, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश

डिजिटल क्रांति से नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं

नागरिक केंद्रित ई-सेवाएं पर योजना अंक प्रकाशित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद!

अगर हम वास्तव में सुशासन की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करना चाहते हैं तो इसके लिए ई-सेवाओं की बहुत ही आवश्यकता है। हम ई-सेवाओं का प्रयोग कर शासन को और अधिक पारदर्शी एवं जबाबदेही पूर्ण बना सकते हैं। इसके जरिए नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना और भी अधिक आसान एवं सुगम हो गया है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो ई-सेवाओं से जुड़ा न हों चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र सभी में इनका उपयोग दिखलाई पड़ता है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था सब कुछ ई-सेवाओं के जरिए जुड़ जायेगा किंतु डिजिटल क्रांति ने इसको संभव बनाया। अत: यह कहना उचित होगा कि डिजिटल क्रांति एवं ई-मेल सेवाएं आपस में जुड़ी हुई हैं इनको अलग-अलग करके नहीं अपितु एक साथ देखने की आवश्यकता है।

– पल्लवी आर्य

संभल, उत्तर प्रदेश

नागरिक सेवाओं का लाभ घर बैठे कंप्यूटर व एंड्रायड मोबाइल से

'योजना' अपने आप में एक अनूठी पत्रिका है, खासकर हम जैसे छात्रों के लिए। इस पत्रिका का जुलाई अंक नागरिकों के लिए शुरू की गई ई-सेवाओं के बारे में उत्कृष्ट जानकारी प्रदान करता है। ई-सेवाओं का सरकार द्वारा समस्त दिये जाने वाले लाभों को नागरिकों तक पहुंचाने में अहम योगदान रहा है, जिससे अब प्रत्येक नागरिक घर बैठे प्रत्येक सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से ले सकता है। ई-स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में 'क्या आप जानते हैं?' कॉलम काफी ज्ञानवर्धक था। अब हर नागरिक छोटी या बड़ी सभी सेवाओं का लाभ अपने एंड्रॉयड मोबाइल या कम्प्यूटर द्वारा ले सकता है। मैं पिछले चार माह से 'योजना' पत्रिका पढ़ रहा हूं जो कि मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। मैं 'योजना' की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

– शुभम् शुक्ल

रसूलाबाद तेलियरगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

कृपया ध्यान दें

'आपकी राय' में आप भी दे सकते हैं अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया। योजना के अंकों और उसमें छपे आलेखों के बारे में हमें लिखिए- हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना मंगवाने या पुराने अंक प्राप्त करने तथा संबंधित जानकारी के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें-

दूरभाष: 011-24367453

सबका बजट

केंद्रीय बजट 2019-20 नए भारत का बजट है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समावेशी नज़रिये पर आधारित है। बजट का लक्ष्य 21वीं सदी में निवेश आधारित वृद्धि के मॉडल पर भारत के विकास को तेज़ करना है, जिससे हमारा देश **पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा।

बजट में निहित भावना को व्यक्त करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं– कर प्रणालियों को सरल बनाना, प्रदर्शन को प्रोत्साहन देना और समावेशी विकास को गति देने के लिए तकनीक का सर्वोत्तम प्रयोग करना। **'गांव, गरीब और किसान'** पर ध्यान देने वाला केंद्रीय बजट 2019-20 उम्मीदों से भरा हुआ है, जो **स्वच्छ भारत अभियान, हर घर जल** जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के ज़रिये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को गैस कनेक्शन, बिजली, लगातार पानी और स्वच्छ शौचालय प्रदान करने की आकांक्षा रखता है। जल संसाधनों एवं जलापूर्ति का सर्वांगीण तरीके से बेहतर प्रबंधन करने के लिए नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसी दिशा में एक पहल है। भारत में स्वास्थ्य सेवा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला **आयुष्मान भारत** निवारक, संवर्द्धक, उपचारात्मक एवं पुनर्वास से जुड़ी देखभाल को साथ जोड़कर स्वस्थ समाज तैयार करने की दिशा में समग्र, सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर ज़ोर देते हुए केंद्रीय बजट में भौतिक संपर्क, ग्रामीण भारत, रेलवे, एकीकृत डिजिटल भुगतान, अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम आरंभ कर **आम आदमी के जीवन को सुगम सरल** बनाने पर ध्यान दिया गया है। सरकारी भुगतान में विलंब खत्म करने के उद्देश्य से एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म तैयार करने से एमएसएमई क्षेत्र का और भी विकास होगा।

'नारी तू नारायणी' का नारा देते हुए बजट में महिला उद्यमियों को **मुद्रा योजना** के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक के कर्ज और स्वयं सहायता समूह की **जन धन खाते** वाली प्रत्येक सत्यापित महिला सदस्य के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसे विभिन्न उपायों के ज़रिये श्रम बल में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है। यह निकट भविष्य में होने वाले महिला सशक्तीकरण की केवल बात ही नहीं करता बल्कि यह **महिलाओं को सशक्त बनाने वाला बजट** है।

इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पीवी, स्टोरेज बैटरी और चार्जिंग ढांचे समेत नए ज़माने की प्रौद्योगिकियों से रोज़गार तो सृजित होंगे ही, ऊर्जा क्षेत्र को टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार बनाने के मामले में भी इनके दूरगामी परिणाम होंगे। यह **हरित बजट** या ग्रीन बजट है क्योंकि इसमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

गगनयान, चंद्रयान जैसे कार्यक्रमों और इसरो द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए एक नई वाणिज्यिक कंपनी–**न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड** का गठन अंतरिक्ष में बड़ी शक्ति बनने की भारत की आकांक्षा का प्रतीक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी और रोबॉटिक्स एवं बिग डेटा जैसे दुनिया भर में मांग वाले कौशल पर खास ध्यान देने की बात कही गई है ताकि देश का युवा विदेश में नौकरियां हासिल कर सके। शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने एवं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को मज़बूत करने पर भी बल दिया गया है।

कुल मिलाकर बजट अन्य बातों के साथ ग्रामीण एवं शहरी आबादी की आकांक्षाओं, किसानों तथा छात्रों की ज़रूरतों और युवाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करता है।

अर्थव्यवस्था को **नए भारत** की ओर ले जाने वाला 2019-20 का केंद्रीय बजट वास्तव में **सबका बजट** है। ❑

बजट अवलोकन

सुभाष चंद्र गर्ग

17वीं लोकसभा और नई सरकार के गठन के बाद 5 जुलाई, 2019 को संसद में 2019-20 का आम बजट पेश किया गया। 2019-20 का आम बजट 13 अलग-अलग दस्तावेजों का संकलन है, जिनमें पूरे वित्त वर्ष जैसे 2019-20 के लिए वित्त विधेयक, 2019 और वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान मांगें, लेखा एवं अनुदान शामिल होते हैं। ध्यान रहे कि 2019-20 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2019 को पेश किया गया था। लेखानुदान होने के कारण सरकार को 31 जुलाई, 2019 तक खर्च चलाने के लिए संसद से अनुमति मिली हुई है।

वृहद आर्थिक तस्वीर

पिछले पांच वर्ष (2014-15 से 2018-19 तक) के दौरान अर्थव्यवस्था ने औसतन 7.5 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि की है और वृहद आर्थिक स्थायित्व में अच्छा खासा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमानों के अनुसार 2018-19 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही, जो 2017-18 की वास्तविक वृद्धि से 40 आधार अंक कम है। स्थिर आधार मूल्य पर सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में 2018-19 में 6.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो 2018-19 में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। जीडीपी वृद्धि दर में इस नरमी का मुख्य कारण 'कृषि एवं सहायक' गतिविधियों तथा सेवाओं (वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं के अलावा) में वृद्धि की दर कम रहना है।

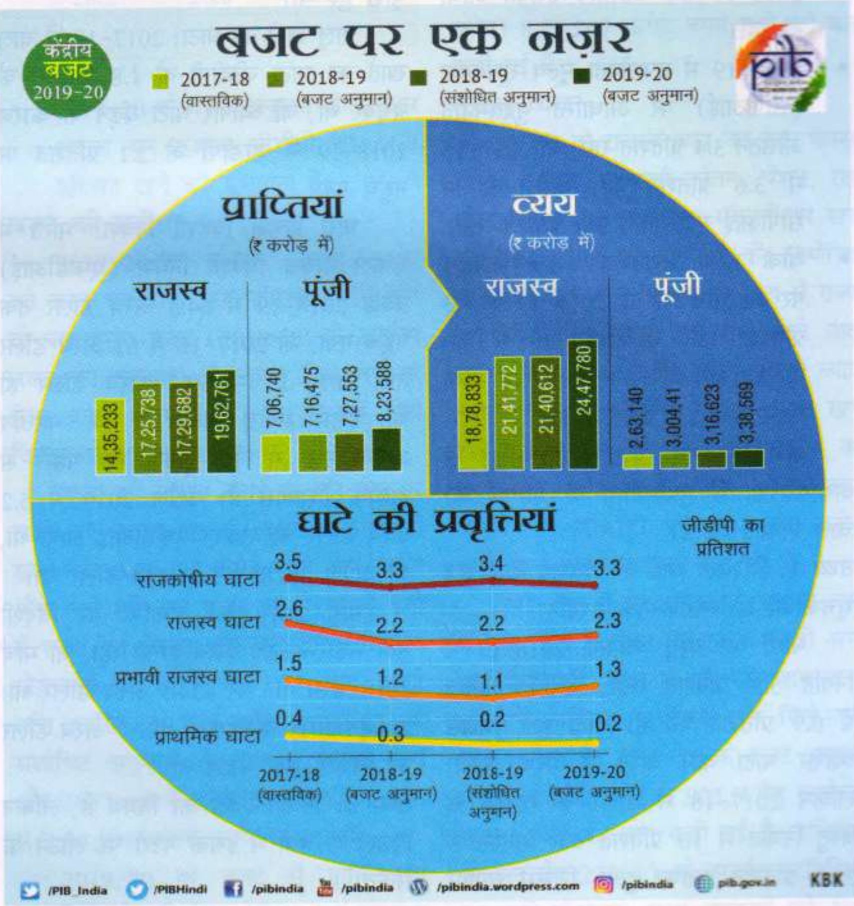

जीडीपी के आंकड़ों में वृहद मानक नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं:

2019-20 का आम बजट उपरोक्त पृष्ठभूमि में पेश किया गया। ऊपर दिए गए वृद्धि संबंधी आंकड़ों के साथ ही कुछ अन्य

तालिका 1: जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)

संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19			
				तिमा 1	तिमा 2	तिमा 3	तिमा 4
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	8.2	7.2	6.8	8.0	7.0	6.6	5.8
वास्तविक सकल मूल्यवर्द्धित वृद्धि	7.9	6.9	6.6	7.7	6.9	6.3	5.7
कृषि एवं सहायक गतिविधियां	6.3	5.0	2.9	5.1	4.9	2.8	-0.1
उद्योग	7.7	5.9	6.9	9.8	6.7	7.0	4.2
सेवाएं	8.4	8.1	7.5	7.1	7.3	7.2	8.4

लेखक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव एवं आर्थिक मामलों के सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में वे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। ईमेल: secy-power@nic.in

महत्वपूर्ण वृहद तथ्य भी हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

तथ्य 1: मुद्रास्फीति नियंत्रण में है

- 2012-13 और 2013-14 में जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंचने ही वाली थी (9.9 प्रतिशत), वह उसके बाद के पांच वर्षों में यानी 2018-19 तक औसतन उसकी आधी ही रही।
- 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति औसतन 3.4 प्रतिशत रही, जो 2017-18 में 3.6 प्रतिशत थी। अप्रैल-मई में सीपीआई मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत रही।
- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई 2018-19 में 4.3 प्रतिशत रही, जो 2017-18 में 3.0 प्रतिशत थी। अप्रैल-मई 2019 में थोक मुद्रास्फीति 2.8 प्रतिशत रही।

नीचे दिए गए चित्र में 2014-15 से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या महंगाई की चाल दिखाई गई है।

तथ्य 2: वैश्विक मंदी के बावजूद बाह्य क्षेत्र सूचकांकों का संतोषजनक प्रदर्शन।

भारत का वस्तु व्यापार: 2016-17 में निर्यात 5.2 प्रतिशत बढ़ा, जबकि आयात में 0.9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली। लेकिन 2017-18 में डॉलर के हिसाब से वस्तु निर्यात में 10 प्रतिशत और आयात में 21.1 प्रतिशत इजाफा हुआ, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 162.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2016-17 में यह 108.5 अरब डॉलर ही था। 2017-18 में व्यापार घाटा बढ़ने का प्रमुख कारण तेल के आयात पर अधिक खर्च था और यह खर्च अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत उछलने के कारण करना पड़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद 2018-19 में वस्तु व्यापार घाटा केवल 21.9 अरब डॉलर बढ़ा, जबकि 2017-18 में इसमें 53.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी।

चालू खाते का घाटा: 2017-18 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के बराबर था, जो व्यापार घाटा बढ़ने के कारण 2018-19 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत पर पहुंच गया।

भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2018-19 में 64.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 2017-18 में 61 अरब डॉलर तथा 2016-17 में 60.2 अरब डॉलर ही था। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया का पहले से अधिक विश्वास है। अप्रैल 2019 में 5.2 अरब डॉलर का सकल एफडीआई आया था, जो अप्रैल 2018 में 5.5 अरब डॉलर था।

मार्च 2019 की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा भंडार 412.9 अरब डॉलर रहा, जो मार्च 2018 खत्म होने पर 424.5 अरब डॉलर था। 28 जून 2019 को देश में 427.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था।

तथ्य 3: निवेश चिंता का विषय है, लेकिन पिछले दो वर्षों में इसके पटरी पर लौटने के संकेत।

2011-12 से ही निवेश की दर और स्थिर निवेश की दर में बराबर गिरावट आ रही है, जो 2017-18 में थम गई लगती है क्योंकि उसके बाद से इनमें वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। निवेश दर (जीडीपी में सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा) 2017-18 (इसी वर्ष तक के आंकड़े उपलब्ध) में बढ़कर 32.3 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2016-17 में 30.9 प्रतिशत थी। स्थिर निवेश दर (जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण का हिस्सा) 2016-17 के 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 29.3 प्रतिशत तक पहुंच गई। लेकिन 2018-19 की अंतिम तिमाही में स्थिर निवेश दर तथा वृद्धि में अच्छी खासी गिरावट आई है।

देश में निवेश की तस्वीर को नीचे तालिका 2 में दर्शाया गया है।

सरकार द्वारा किए गए नीतिगत उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ा है, जिसका पता नीचे दिए दो संकेतकों से लग जाता है:

- रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की स्थानीय एवं विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को स्थिर नज़रिये के साथ बीएए2 कर दिया है, जो पहले बीएए3 थी। उसे उम्मीद है कि भारत के आर्थिक सुधारों पर लगातार प्रगति से देश की वृद्धि की क्षमता भी बढ़ेगी।
- विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) 2019 रिपोर्ट में भारत 23 पायदान की छलांग लगाकर 2018 में 77वें स्थान पर पहुंच गया है।

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित मालढुलाई गलियारों, भारतमाला एवं सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास तथा उड़ान योजनाओं के ज़रिये सभी प्रकार के भौतिक संपर्क को भारी बढ़ावा दिया है

वृहद संभावना

उपरोक्त वृहद पैमानों के आधार पर वित्त वर्ष 2019-20 की बची हुई अवधि के लिए वृहद संभावना इस प्रकार होगी:

अर्थव्यवस्था 2018-19 में 6.8 प्रतिशत

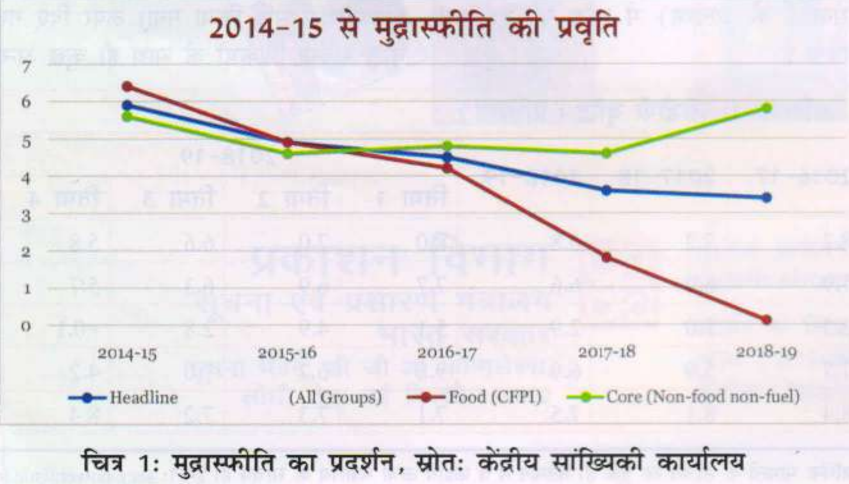

चित्र 1: मुद्रास्फीति का प्रदर्शन, स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

तालिका 2: पूंजी निर्माण की दर (प्रतिशत)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल पूंजी निर्माण	**33.5**	**32.1**	**30.9**	**32.3**	-
सार्वजनिक क्षेत्र	7.1	7.6	7.1	7.2	-
निजी क्षेत्र	13.4	13.2	11.6	11.6	-
पारिवारिक क्षेत्र	12.1	9.6	10.5	10.3	-
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	30.1	28.7	28.2	28.6	29.3
- यानी उपलब्ध नहीं					

बढ़ी। यह वृद्धि दर कच्चे तेल की कीमत ऊंची रहने और डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत घटने के बावजूद हासिल की गई। अब तेल की कीमतें नरम पड़ गई हैं और विनिमय दर में भी ठहराव आ गया है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उज्ज्वल संभावनाएं दिख रही हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक समेत तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने आने वाले वर्षों में भारत की वृद्धि तेज होने की संभावना जताई है। आईएमएफ ने कहा है कि व्यवस्थागत सुधार के विभिन्न उपाय लागू होने के कारण भारत की वृद्धि में लगातार सुधार होगा।

वृहद आर्थिक स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे व्यवस्थागत सुधारों को देखते हुए 2019-20 में अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर चमकदार दिख रही है क्योंकि निजी निवेश में तेजी तथा उपभोग दर में मजबूती के कारण 2019-20 में वृद्धि दर बढ़ने के आसार हैं।

2019 में जब विश्व अर्थव्यवस्था में 0.3 प्रतिशत तथा उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 0.1 प्रतिशत कमी आने के आसार जताए जा रहे हैं, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज होने के अनुमान लगाए गए हैं।

बजट 2019-20

2019-20 के बजट अनुमान में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर समेटने का लक्ष्य रखा गया है और राजस्व घाटे को जीडीपी के 2.3 प्रतिशत पर ही रोकने का लक्ष्य है।

- 2019-20 के बजट अनुमान में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी का 48 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार सकल कर राजस्व जीडीपी का 11.7 प्रतिशत रहने की संभावना है।

बजट की समीक्षा

2019-20 का बजट 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा बजट (2019-20 के अंतरिम बजट को हटाकर) है। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों की प्रमुख बातें नीचे विस्तार से समझाई गई हैं:

राज्यों को सशक्त बनाने पर जोर बरकरार रखते हुए 2019-20 के बजट अनुमानों में राज्यों को 13,29,428 करोड़ रुपये के संसाधन सौंपे जाने की बात कही गई है। इनमें करों में राज्यों का हिस्सा और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली राशि शामिल है। यह राशि 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 82,845 करोड़ रुपये और 2017-18 में सौंपी गई वास्तविक राशि से 2,44,298 करोड़ रुपये अधिक है।

2019-20 के बजट में कृषि तथा सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश अच्छा खासा बढ़ाने का संकल्प झलकता है। बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत (अंतरिम बजट में 3.4 प्रतिशत कहा गया था) पर रोकने का लक्ष्य बताता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए जरूरी सार्वजनिक व्यय में कटौती किए बगैर ही खजाने को मजबूत करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इसके पीछे व्यय को दूरदर्शिता के साथ तर्कसंगत बनाने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कला काम कर रही है।

व्यय

2019-20 के बजट अनुमान में कुल व्यय 27,86,349 करोड़ रुपये रहने की बात कही गई है, जो 2018-19 के अनुमान से 3,44,136 करोड़ रुपये एवं संशोधित अनुमान से 3,29,114 करोड़ रुपये अधिक है। कुल व्यय में योजनाओं के अंतर्गत 12,02,404 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी शामिल है।

राजस्व व्यय 24,47,780 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 3,38,569 करोड़ रुपये है। 2019-20 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन समेत) 8,76,209 करोड़ रुपये रहने की बात कही गई है।

राजस्व व्यय

सरकार के राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय, केंद्रीय पुलिस संगठनों पर खर्च और वित्त आयोग के अनुदानों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं अन्य अंतरणों के रूप में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सौंपे जाने वाले राजस्व में चला जाता है। 2019-20 में ब्याज भुगतान पर 6,60,471 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो राजस्व प्राप्ति का 33.7 प्रतिशत हिस्सा है। 2019-20 के बजट अनुमान में सब्सिडी पर 3,01,694 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है।

रक्षा सेवाओं पर होने वाले राजस्व व्यय में मुख्य रूप से वेतन, प्रतिष्ठान संबंधी अन्य मदों जैसे स्टोर, काम से जुड़े रखरखाव खर्च, परिवहन आदि पर खर्च एवं अन्य मिले-जुले खर्च शामिल हैं। 2019-20 के बजट अनुमान में रक्षा सेवाओं पर 2,01,902 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को वित्त आयोग के अनुदान दिए जाते हैं। वित्त आयोग अनुदानों के तहत इस समय राज्यों को सौंपी जाने वाली राशि 14वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों पर आधारित होती है, जो राजस्व घाटा अनुदान, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सहयोग अनुदान और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की सहायता के लिए अनुदान से संबंधित हैं। 2019-20 के बजट में राजस्व व्यय के इस हिस्से के तहत 1,20,466 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2019-20 तक लागू रहेंगी।

पेंशन मद में राजस्व व्यय के तीन हिस्से हैं - सिविल पेंशन, (जिसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर पेंशन व्यय शामिल

होता है, किया जाता है), रक्षा पेंशन और दूरसंचार विभाग के अंतर्गत पेंशन। 2019-20 के बजट अनुमान में पेंशन पर 1,74,300 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। केंद्र की योजनाओं पर 8,70,794 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 18.2 प्रतिशत अधिक है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर 3,31,610 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 8.8 प्रतिशत अधिक है।

पूंजीगत व्यय

2019-20 के बजट में 3,38,569 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। यह भारत के समेकित कोष से होगा। पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से निम्न मंत्रालयों में होता है:

- रक्षा - 1,03,394 करोड़ रुपये
- रेलवे - 65,837 करोड़ रुपये
- भूतल परिवहन एवं राजमार्ग - 72,059 करोड़ रुपये
- आवास एवं शहरी मामले - 19,544 करोड़ रुपये
- आर्थिक मामलों का विभाग - 11,584 करोड़ रुपये
- पुलिस - 10,790 करोड़ रुपये।

2019-20 के बजट में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन 5,37,639 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय (आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन) 8,76,209 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान में 9,29,238 करोड़ रुपये (एनएसएसएफ से भारतीय खाद्य निगम को मिले 97,000 करोड़ रुपये समेत) रहा था। 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ निकाल दिया जाए तो 2019-20 के बजट में 8,76,209 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन समेत) का अनुमान 2018-19 के 8,32,238 करोड़ रुपये से 5.3 प्रतिशत अधिक है।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां

कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं। 2019-20 के बजट में 19,62,761 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। सकल कर प्राप्तियां 24,61,195 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 2,13,020 करोड़ रुपये (9.48 प्रतिशत) अधिक हैं। केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा सौंपने और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में राशि डालने के उपरांत) 16,49,582 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 1,65,176 करोड़ रुपये (11.13 प्रतिशत) रुपये अधिक है।

प्रत्यक्ष करों में आयकर एवं निगम कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) शामिल होते हैं, जो व्यक्तियों और कंपनियों से वसूले जाते हैं। 2019-20 के बजट में प्रत्यक्ष कर 13,35,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है। अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी शामिल होते हैं और इन्हें वस्तुओं तथा सेवाओं पर वसूला जाता है। इस बार के बजट में अप्रत्यक्ष कर 11,22,015 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से लाभांश प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, लाइसेंस शुल्क, यूजर शुल्क, विदेशी अनुदान, सहायता सामग्री आदि शामिल होते हैं। विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में आती हैं और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने से मिलती हैं। अन्य पूंजीगत आय मुख्य रूप से पहले दिए गए ऋण की वसूली से होती है। 2019-20 के बजट में 3,13,179 करोड़ रुपये की गैर कर राजस्व प्राप्तियां आने का अनुमान जताया गया है।

इस बार के बजट में 1,19,828 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। विनिवेश के ज़रिये 1,05,000 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान बजट में दिया गया है।

उधारी

2019-20 के बजट में भारत सरकार द्वारा बाजार से पुनर्खरीद/स्विच छोड़कर प्रतिभूतियों के ज़रिये 7,10,000 करोड़ रुपये की सकल एवं 4,23,122 करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी लिए जाने का अनुमान है।

बजट 2019 की मुख्य बातें

हम कुछ मुद्दों पर गौर करेंगे, जिन्हें बजट की चर्चा में प्रमुख स्थान मिला है। ऐसे तीन प्रमुख मुद्दे हैं:

निवेश प्रोत्साहित करने के उपाय

माना जा रहा है कि घरेलू बचत के अलावा वृद्धि में सहायक कारक तथा उनके कारण बढ़ी हुई आय से अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेश प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपाय

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को और भी उदार बनाने की नीति। बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं (इंटरमीडियरी) में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति का प्रस्ताव।
- एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग के नियम नरम बनाए जाएंगे।
- बजट में किसी भी कंपनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा निवेश की सांविधिक सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर उस क्षेत्र के लिए तय विदेशी निवेश सीमा के बराबर करने का प्रस्ताव किया गया। संबंधित कंपनी को निवेश की सीमा कम रखने का विकल्प भी दिया गया है।

घरेलू निवेश आकर्षित करने के उपाय

- 250 करोड़ रुपये के बजाय 400 करोड़ रुपये वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों को भी 25 प्रतिशत यानी कम कॉर्पोरेट कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वाहन ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर कटौती और इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए जीएसटी परिषद के सामने प्रस्ताव रखना।
- बजट में अगले पांच वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मंशा जताकर और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का पुनर्गठन कर बुनियादी ढांचा विकास को गति देने का प्रयास किया गया है।
- रेल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी का मॉडल इस्तेमाल होगा। इससे पटरी, रोलिंग स्टॉक विनिर्माण एवं यात्री ढुलाई सेवाओं की आपूर्ति अधिक तेजी से विकसित करने एवं पूरी करने में मदद

मिलेगी। पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक और सतत रोज़गार उत्पन्न करने योग्य बनाने के लिए क्लस्टर आधारित विकास में सहायता के उद्देश्य से स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) योजना आरंभ की गई है।

- वृद्धि में तेजी लाने वाले अन्य उपायों में विशेष प्रकार के कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी लाना शामिल है ताकि देसी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।
- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में एक महिला को मुद्रा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक का ऋण देने की अनुमति।
- सरकार जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बना रही है। एक सरल एवं एकल मासिक रिटर्न तैयार किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को तिमाही रिटर्न दाखिल करना होगा। छोटे कारोबारियों को रिटर्न तैयार करने के लिए मुफ्त लेखा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है।
- अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण बढ़ाने के उद्देश्य से 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव।

संपर्क (कनेक्टिविटी)

- सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित मालढुलाई गलियारों, भारतमाला एवं सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास तथा उड़ान योजनाओं के ज़रिये सभी प्रकार के भौतिक संपर्क को भारी बढ़ावा दिया है।
- कॉर्पोरेट कर की निचली सीमा यानी 25 प्रतिशत दर के लिए वार्षिक कारोबार सीमा 250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करना।
- भारत को विमान फाइनेंसिंग एवं लीजिंग गतिविधियों का केंद्र बनाने के उद्देश्य से नियामकीय खाके के ज़रूरी घटकों का क्रियान्वयन ताकि देश का विमानन उद्योग आत्मनिर्भर हो सके।
- भारत की इंजीनियरिंग क्षमताओं का फायदा उठाकर मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल (एमआरओ) उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने वाले उचित नीतिगत उपाय अपनाए जाएंगे।
- 2019 में लगभग 210 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का परिचालन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही देश भर में 657 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क काम करने लगा है।
- परिवहन के लिए भुगतान हेतु नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मानकों पर आधारित पहली स्वदेश में ही विकसित भुगतान व्यवस्था 2019 में आरंभ की गई है, जिससे लोगों को देश भर में मेट्रो सेवाओं एवं टोल टैक्स समेत विभिन्न प्रकार के परिवहन शुल्क चुकाने में आसानी हो जाएगी। कई परिवहन प्रणालियों में चलने वाला यह कार्ड रुपे कार्ड के ज़रिये काम करेगा और बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क चुकाने, रिटेल खरीदारी करने तथा धन निकालने में भी कार्डधारक के काम आएगा।
- 3 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ फेम योजना का दूसरा चरण आरंभ हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर आरंभ में ही प्रोत्साहन देकर तथा उनके लिए जरूरी चार्जिंग ढांचा तैयार कर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए तेजी से प्रोत्साहित करना है। इसमें आम आदमी को सार्वजनिक परिवहन के किफायती तथा पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का पूरी तरह कायाकल्प करने का प्रस्ताव है ताकि वित्तीय सहायता के योग्य मॉडल का प्रयोग कर वांछित लंबाई एवं क्षमता वाले राष्ट्रीय हाईवे ग्रिड का निर्माण सुनिश्चित हो सके।
- मालढुलाई के लिए नदियों का प्रयोग करने का विचार रखा गया है, जिससे सड़कों तथा रेलमार्ग पर भीड़ भी कम होगी। अगले चार वर्ष में गंगा में माल का परिवहन चार गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।
- अनुमान है कि 2018 से 2030 के बीच रेलवे के बुनियादी ढांचे में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। पटरियों, रोलिंग स्टॉक की विनिर्माण क्षमता तथा यात्री ढुलाई सेवाओं की आपूर्ति क्षमता तेजी से विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा गया है।
- राज्यों को किफायती दर पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले 'वन नेशन, वन ग्रिड' मॉडल का इस्तेमाल गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, आई-वे एवं क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए करने का प्रस्ताव है।

5 ट्रिलियन डॉलर

बजट में कुछ ही वर्षों के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की कल्पना की गई है। 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा हासिल करने के लिए साहसिक नीतिगत कदम उठाने पड़ेंगे। उपरोक्त लक्ष्य हासिल करने के लिए इन प्रमुख चुनौतियों से निपटना होगा:

- रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट ही आए।
- मुद्रास्फीति वर्तमान स्तर के आसपास ही रहे।
- वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर और अधिक हो जाए।
- अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादकता में बढ़ोतरी हो।
- घरेलू वित्तीय बचत की दर में इजाफा हो तथा देश का चालू खाते का घाटा संभालने योग्य स्तर पर ही रहे।

निष्कर्ष

2019-20 के आम बजट में चालू वर्ष के लिए केंद्र सरकार की आय तथा व्यय के अनुमानों का ब्योरा है। व्यय का आवंटन वर्तमान वृहद आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय दूरदर्शिता की सीमाओं के भीतर काम करते हुए किया गया है। बजट में देश के सामने मौजूद कुछ समस्याओं पर भी जोर दिया गया है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव भी रखा गया है। ❑

नए कर प्रस्तावः आम आदमी के लिए फायदे का सौदा

अजय भूषण पांडेय

भारत अगले कुछ साल में 'निवेश के बेहतर चक्र' के माध्यम से 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ देख रहा है। फिलहाल, हमारा देश इसी साल विकास के साथ 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्रय शक्ति समतुल्यता के हिसाब से चीन और अमेरिका के बाद भारत अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' विकास का मंत्र है। भारत के लिए यह परिवर्तनकारी क्रांतियों का दौर है। जनता के सशक्तीकरण, संभावनाओं को नई ऊर्जा से लैस करने, संस्थानों को उन्नत बनाने, आधारभूत संरचना के पुनर्गठन, सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे में नई जान फूंकने के लिए तकनीक के उचित उपयोग, नवाचार और संसाधनों के उचित उपयोग के साथ क्रांति की दरकार है।

भारत न सिर्फ स्वतंत्रता से पहले के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए हरसंभव प्रयास में जुटा है, बल्कि उसका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ना और विश्व स्तर पर मुकाबले में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना भी है। 'राष्ट्र को सर्वोपरि' मानते हुए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों के सशक्तीकरण के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे जीवन और पेशेवर काम का सहजता के साथ आनंद उठा सकें और इस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए।

भारत में अब 124 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड हैं और 99 प्रतिशत से ज्यादा वयस्क दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। साथ ही, 119 करोड़ बैंक खाते भी हैं यानि 99.8 परिवारों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया जा चुका है। देश में 65 करोड़ निजी बैंक खाते हैं और 118 करोड़ मोबाइल है। टेलीफोन घनत्व 91.8 प्रतिशत है। इस तरह से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है।

फिलहाल भारत, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश के आर्थिक विकास में टैक्स प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। कौटिल्य अपनी महत्वपूर्ण रचना 'अर्थशास्त्र' में कहते हैं कि किसी राष्ट्र की ताकत उसकी **राजकोषीय शक्ति** और **कोष मूलो दंड** पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि राजस्व प्रशासन की रीढ़ है। अतः, आज के समय में भारत में अच्छी शासन व्यवस्था और पारदर्शिता के साथ तेजी से विकास के लिए राजकोषीय मजबूती जरूरी है। इस मजबूती को हासिल करने के लिए हमें उचित कर प्रस्ताव करने चाहिए। साथ ही, इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी उन्नत और आधुनिक कर प्रशासन प्रणाली की जरूरत है, जो न सिर्फ आसान, व्यापक, आधुनिक और करदाताओं के अनुकूल हो, बल्कि टैक्स प्रशासन के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर मौजूद चुनौतियों से निपटने में न्यायसंगत, जवाबदेह और

> कर प्रशासन नियमों का पालन आसान बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक जवाबदेह और सक्रिय कर प्रणाली के रूप में बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, ताकि संबंधित रूटीन कार्यों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके

- स्टार्टअप के अटके पड़े असेसमेंट (कर निर्धारण) और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष प्रशासनिक इंतजाम किए जाएंगे।
- स्टार्टअप से जुड़े ऐसे मामलों में संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी लिए बिना असेसिंग अधिकारी किसी भी तरह की जांच नहीं कर पाएंगे।
- करदाताओं को पहले भरे गए कर रिटर्न उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें वेतन संबंधी आय की जानकारी, शेयरों से हुआ कैपिटल गेन्स, कर छूट आदि के बारे में ब्योरा होगा।
- इस साल चरणबद्ध तरीके से 'फेसलेस असेसमेंट' संबंधी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें कर विभाग के अधिकारी और करदाता को आमने-सामने होने यानी दोनों के बीच प्रत्यक्ष मुलाकात की जरूरत नहीं होगी।
- असेसमेंट इकाइयों को बिना किसी तय योजना के स्क्रूटनी (जांच) के लिए चुने गए मामलों को सौंपा जाएगा और असेसिंग अधिकारी के बारे में खुलासा किए गए बिना केंद्रीय सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस जारी किया जाएगा।

डॉ. अजय भूषण पांडेय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: rsecy@nic.in

कोचिंग के नोट्स TELEGRAM पर मिलेंगे–

Telegram Channel कैसे Join करे-

1. गूगल प्ले स्टोर से Telegram App डाउनलोड करे
2. अपना मोबाइल नंबर डालकर telegram को चालू करे
3. फिर निचे दिये link पर क्लिक करें

PDF Ka Adda Click करे

CLICK HERE - यहाँ पर क्लिक करें
CLICK HERE - यहाँ पर क्लिक करें
CLICK HERE - यहाँ पर क्लिक करें
CLICK HERE - यहाँ पर क्लिक करें

हमारे साथ सरकारी EXAM की तयारी करे

JOIN Telegram - Click Here

Note लेने के लिए Telegram जरूर join करे

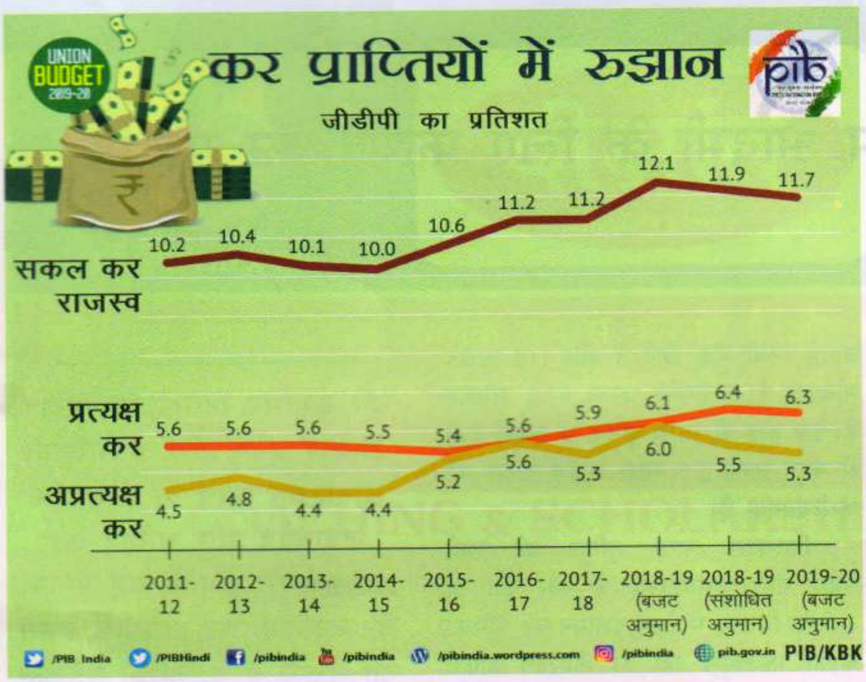

सक्रिय भी हो। इससे कर नियमों का पालन करने वाला समाज बनाना संभव हो पाएगा।

हमारे लिए कर नीति के दो जरूरी हिस्सों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए ज्यादा और भरोसमंद राजस्व पैदा करने की हमारी क्षमता पर काम करना, ताकि विकास और वित्तीय मजूबती लगातार कायम रहे। दूसरा, इस भूमंडलीकृत बाजार में राजस्व इकट्ठा करना। इसके तहत हमें 'टैक्स हैवेन (जहां कर की दर काफी कम है)' देशों में लाभ/संपत्तियों को पहुंचने से रोकने के लिए व्यवस्था बनाने और अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए आक्रामक कर प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की जरूरत है।

सरकार करदाताओं के पैसे से ही आधारभूत संरचना संबंधी विभिन्न सुविधाएं और समाज कल्याण की योजनाएं पेश करती है। आज की आधुनिक आर्थिक दुनिया में हमें ऑनलाइन कराधान प्रणाली की जरूरत है, जिसके ज़रिये करदाता एक क्लिक के माध्यम से कर दायित्वों का भुगतान कर तनावमुक्त हो सकें। साथ ही, इससे कर प्रशासन के लिए गड़बड़ियों और कर चोरी की जांच करने में सहूलियत होगी और ईमानदार करदाताओं के लिए बाधामुक्त और बेहतर सेवा मुहैया कराना भी संभव होगा।

दरअसल, जब कर की बात आती है, तो हम अक्सर इसे जुर्माना के तौर पर देखते हैं, जबकि वास्तव में हमें इसे राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में देखना चाहिए। भारत के नागरिकों के विविधतापूर्ण सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने और उनके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही कर नीति बनाई जाती है। साथ ही, कर नीति को न्यायसंगत रखते हुए इसमें करदाताओं की भुगतान क्षमता का भी पूरा-पूरा ख्याल रखा जाता है। हम उन फूलों को कुचल नहीं सकते, जिनके लिए हमें शहद इकट्ठा करना है।

वित्त (नंबर 2) विधेयक, 2019 में पेश टैक्स प्रस्तावों को मुख्य बजट के हिस्से के रूप में पेश किया गया। इसमें आम आदमी और मध्यवर्ग के करदाताओं को कुछ रियायतें दी गईं, जो वित्त वर्ष 2019-20 में होने वाली आय पर लागू होंगी। अंतरिम बजट, 2019 के रूप में पेश किए गए वित्त अधिनियम, 2019 में मध्यवर्ग के करदाताओं को कई तरह की रियायतें दी गई थीं और यह भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लागू है। बहरहाल, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मध्यवर्ग करदाताओं को मुहैया कराए गए फायदे इस तरह हैं:

वित्त अधिनियम, 2019 में (अंतरिम बजट)

5 लाख तक की करयोग्य आय पर आयकर छूट: कर प्रस्ताव में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की सालाना करयोग्य आय 5 लाख रुपये तक है, तो उसे कर नहीं देना होगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश या खर्च पर भी कर में छूट मिलती है। इस तरह से 6.5 रुपये सालाना तक की आय पर अब किसी तरह का कर देने की जरूरत नहीं होगी।

सस्ता (अफोर्डेबल) घर खरीदने के लिए गए कर्ज के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट (पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी): अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज लेकर घर खरीदा है तो उसे कर्ज से जुड़े 2 लाख तक के ब्याज भुगतान पर कर में छूट मिलती है। अगर किसी ने कर्ज लेकर सस्ता घर खरीदा है, तो उसे अब 2 लाख के बजाय 3.5 लाख तक के ब्याज भुगतान पर छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रिक गाड़ी के मद में लिए गए कर्ज से जुड़े ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख तक की छूट: अगर किसी ने कर्ज लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है तो उसे इस तरह के कर्ज पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर कर में छूट मिलेगी। अत: अगर किसी शख्स ने सस्ता घर और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज लिया है और आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत निवेश किया है तो 11.5 लाख रुपये सालाना तक आय पर उसे कर नहीं देना होगा।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन): मानक कटौती की राशि 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

खुद की रिहायश वाले दूसरे घर के लिए छूट: खुद की रिहायश वाले दूसरे घर में अनुमानित किराए के आधार पर लगने वाले कर से छूट का प्रावधान किया गया है।

वित्त (नंबर 2) विधेयक, 2019 में पेश टैक्स प्रस्तावों को मुख्य बजट के हिस्से के रूप में पेश किया गया। इसमें आम आदमी और मध्यवर्ग के करदाताओं को कुछ रियायतें दी गईं, जो वित्त वर्ष 2019-20 में होने वाली आय पर लागू होंगी।

दूसरे घर के लिए कैपिटल गेन्स संबंधी छूट: दो घरों (पहले एक घर का प्रावधान था) की खरीद/निर्माण के लिए कैपिटल गेन्स की छूट बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

टीडीएस (कर स्रोत पर कटौती) संबंधी सीमाओं में बढ़ोतरी: टीडीएस संबंधी सीमाओं में बढ़ोतरी इस तरह से की गई है:

1. बैंक जमा पर ब्याज की रकम पर काटे जाने वाले टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है।
2. किराए की आय से जुड़ी टीडीएस सीमा 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये कर दी गई।

वित्त (नंबर 2) विधेयक, 2019 (मुख्य बजट)

सस्ते घर की खरीद के लिए प्रोत्साहन (इंसेंटिव): सस्ते घर की खरीद के लिए जो कर्ज लिया जाएगा, उस पर लगने वाले ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दी गई है।

इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीद पर प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक गाड़ी की खरीद की खातिर लिए गए कर्ज से जुड़े ब्याज पर 1.5 लाख की कर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।

पैन और आधार की अंतर्विनिमेयता: वैसे व्यक्ति जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और अगर वे रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या ऐसे अन्य लेनदेन करना चाहते हैं, जिसमें पैन नंबर का उल्लेख जरूरी होता है, तो अब वे पैन के बदले आधार का इस्तेमाल कर ये लेनदेन कर सकते हैं।

एनपीएस के लिए प्रोत्साहन: इसके तहत जो सुविधाएं दी गई हैं, उनमें (i) एनपीएस खाता बंद होने के बाद इससे निकलने वाली राशि पूरी तरह से करमुक्त होगी; (ii) एनपीएस में केंद्र सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया; (iii) केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपने टीयर-2 एनपीएस खातों में योगदान पर भी आयकर की धारा 80सी के तहत छूट मिलेगी।

बीमा पॉलिसी भुगतान के आय वाले हिस्से पर टीडीएस: करयोग्य बीमा पॉलिसी की पूरी राशि के बजाय सिर्फ आय वाले हिस्से पर टीडीएस के लिए प्रावधान किया गया है।

आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग: करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग का प्रावधान किया गया है, ताकि तीसरे पक्ष से जुड़ी रिपोर्टिंग का दायरा बढ़ सके।

भारत का लक्ष्य तेज विकास और उच्च स्तर की मानव विकास सूचकांक रेटिंग के साथ जनता की सेवा करना है। इसके लिए हमें मजबूत कर नीति की आवश्यकता है, जिसमें कर ढांचा सुविधाजनक और कर का दायरा व्यापक हो। साथ ही, कर नियमों का पालन आसान हो और प्रशासनिक पारदर्शिता, अनुकूल कर प्रणाली, मुकदमों के लिए बेहद सीमित गुंजाइश, आसान ऑनलाइन सेवाएं और प्रक्रियाएं और कर प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा मजबूत तंत्र जैसी चीजें हों।

इसके अलावा, करदाताओं की नजर में कर प्रणाली की दक्षता और निष्पक्षता बेहद विश्वसनीय होनी चाहिए, ताकि हमारा कर प्रशासन हर नागरिक को ईमानदार करदाता बनाकर देश के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सके। कर प्रशासन कर व्यवस्था के तौर-तरीकों में बदलाव करते हुए इसे लागू करवाने के बजाय तकनीक माध्यमों और प्रोत्साहनों के ज़रिये इसके स्वैच्छिक पालन के लिए लोगों को तैयार और प्रेरित कर रहा है।

हमने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू कर देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण कर इसे आसान बनाया है। जुलाई 2017 से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू हुई यह आसान और एकरूप प्रणाली कर पर्चियों में दिखने वाले सभी कर को वास्तविक रूप से प्राप्त करने में सक्षम रही है। इससे अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता आई है और खुदरा विक्रेताओं पर कर का अप्रत्यक्ष असर नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप रोजाना इस्तेमाल के 99 प्रतिशत सामान पर जीएसटी दर शून्य या 5 प्रतिशत होना संभव हुआ। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जीएसटी दर एकसमान है और करों को तर्कसंगत बनाए जाने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए मजबूत मुनाफाखोरी-निरोधक तंत्र बनाया गया है।

सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत प्रत्यक्ष कर कोड बनाए जा रहे हैं और कर का दायरा बढ़ाने के साथ रिकॉर्ड राजस्व हासिल करने, जरूरी कर सुधार, प्रक्रिया को आसान बनाने, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और अन्य श्रेणी के लोगों को कर राहत प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, मुकदमों की संख्या को कम करने, मनी लॉन्ड्रिंग (धन परिशोधन), काला धन, आर्थिक भगोड़ों और करचोरों पर शिकंजा कसने और करदाताओं को बेहतर सेवा कराने के लिए जोर-शोर से कोशिश की जा रही है।

कर प्रशासन टैक्स का दायरा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और लाभ आधारित प्रोत्साहनों को हटाने के लिए चरणबद्ध रूप से काम कर रहा है। कर व्यवस्था के आधुनिकीकरण और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, ताकि काले धन, बेनामी सौदों, आर्थिक अपराधियों आदि पर शिकंजा कसा जा सके। भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हों, इसके लिए इन कानूनों का सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है।

कर प्रशासन नियमों का पालन आसान बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक जवाबदेह और सक्रिय कर प्रणाली के रूप में बड़े पैमाने पर तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, ताकि संबंधित रूटीन कार्यों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। रिटर्न फाइल करने और रिफंड की ऑनलाइन प्रणाली पहले से चलन में मौजूद है। भविष्य में जांच और कर निर्धारण के लिए करदाताओं और कर अधिकारी का आमना-सामना नहीं के बराबर होगा। 'फेसलेस असेसमेंट' (ई-असेसमेंट स्कीम) की शुरुआत जल्द होने वाली है।

साथ ही, आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग भी जल्द शुरू होने वाली है और कर प्रोत्साहन और जुर्माना के प्रावधानों के ज़रिये डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि कर का दायरा व्यापक हो सके। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि कार्रवाई के लिए सूचना इकट्ठा करने और ई-जांच में तकनीक काफी मददगार साबित हुई है। इससे टैक्स का दायरा विस्तृत हुआ है और भविष्य में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। ❑

युवाओं को प्रोत्साहन

अमिताभ कांत

युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान व विकास में मदद के जरिए भविष्य में आजीविका अर्जित करने के लिए तैयार करना देश की प्रगति का मूल मंत्र है। इस बार का बजट युवाओं के सशक्तीकरण की सरकार की वचनबद्धता को दोहराता है ताकि वे भविष्य की चुनौतियों से निपटने के साथ ही स्थानीय तथा वैश्विक आर्थिक स्थितियों, टेक्नोलॉजी तथा अन्य बदलावों की वजह से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सकें।

युवाओं की अंतर्निहित क्षमताओं का फायदा उठाने और उन्हें अर्थव्यवस्था के नये तथा उभरते हुए क्षेत्रों समेत विभिन्न क्षेत्रों में तरह-तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करने में शिक्षा और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में अनुसंधान और नवाचार पर बड़ा जोर दिया गया है ताकि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों में से एक हो जाए। बड़ी संख्या में नौजवान प्रधानमंत्री कौशल विकास (पीएमकेवीवाई) योजना और 'स्किल इंडिया' के अंतर्गत अन्य अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों से संबंधित कौशलों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज सरकार का जोर युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, बिग डेटा एनेलेटिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रिएलिटी और रोबोटिक्स जैसे नये और उभरते हुए कौशलों का प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण प्रदान करना है जिनका महत्व दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के रुझान को देखने से पता चलता है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने इन क्षेत्रों में श्रम शक्ति की भारी कमी है। इसके अलावा हमारे युवाओं को विदेशों में नौकरी करने के लिए तैयार करने की भी आवश्यकता है। विदेशों में काम करने के लिए विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण के साथ ही अन्य विभिन्न कौशलों पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

कौशल और ज्ञान संपन्न अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास बहुत जरूरी है। विभिन्न मंत्रालयों को दिये जाने वाले अनुसंधान अनुदान को एकीकृत कर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाने के प्रस्ताव से हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप तयशुदा क्षेत्रों में अनुसंधान के समूचे माहौल की मजबूती सुनिश्चित की जा सकेगी। 'स्वयं' पहल के तहत मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज (मूक्स) से छात्र समुदाय के उपेक्षित वर्गों में डिजिटल डिवाइड यानी सूचना टेक्नोलॉजी की जानकारी की कमी को कम करने में मदद मिली है। अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल इनीशिएटिव ऑफ एकेडेमिक नेटवर्क्स (जीआईएएन) कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के विश्वव्यापी समुदाय का फायदा उठाना है। इम्प्रिंट या इम्पैक्टिंग रिसर्च इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी योजना देश के सभी आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की पहल पर शुरू हुई जिसका उद्देश्य देश की आवश्यकता के चुने हुए क्षेत्रों में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी संबंधी प्रमुख चुनौतियों को सुलझाने के लिए अनुसंधान का खाका तैयार करना था। उच्च शिक्षा संस्थान आज नवाचार का केन्द्र बनते जा रहे हैं।

भारत आज स्टार्टअप्स के लांच पैड के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और उनके लगातार विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। 2019-20 के बजट में स्टार्टअप्स के लिए कई समर्थनकारी प्रावधान किये गये हैं जिनमें 'एंजल टैक्स' और आयकर विभाग द्वारा अनावश्यक जांच से राहत दिलाना और स्टार्टअप्स पर असर डालने वाले मुद्दों पर चर्चा और उनके प्रचार के लिए दूरदर्शन के चैनलों के बूके में ई-वेरिफिकेशन प्रणाली की सुविधा भी शामिल है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कर्ज तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार ने 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में सहायता देने की योजना के तहत 2019-20 में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिससे जीएसटी के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नये या अतिरिक्त ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। बजट भाषण में इस बात का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि सरकार एक मिशन शुरू करना चाहती है जो हमारे परम्परागत हस्तशिल्पियों और उनके उत्पादों को विश्व बाजारों से जोड़ेगा। जहां भी जरूरी होगा, उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट और भौगोलिक संकेत हासिल करने आदि में मदद दी जाएगी। इस मिशन से भारत के

बजट भाषण में इस बात का भी विशेष रूप से ज़िक्र किया गया है कि सरकार एक मिशन शुरू करना चाहती है जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पियों और उनके उत्पादों को विश्व बाजारों से जोड़ेगा। जहां भी जरूरी होगा, उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट और भौगोलिक संकेत हासिल करने आदि में मदद दी जाएगी। इस मिशन से भारत के परंपरागत सृजनशील उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अग्रिम पंक्ति में लाया जा सकेगा

लेखक नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल: amitabh.kant@nic.in

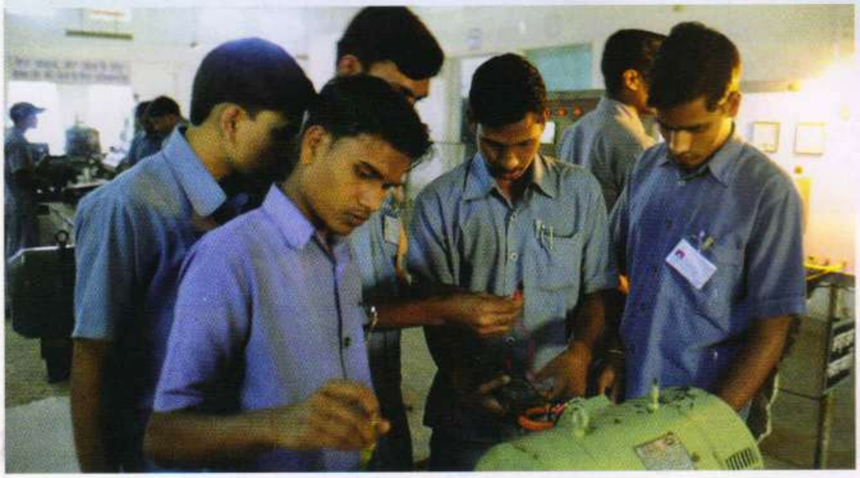

परम्परागत सृजनशील उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अग्रिम पंक्ति में लाया जा सकेगा।

इस बार के बजट में निवेश, विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन सब उपायों से रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को गति प्रदान करने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी जिसके तहत पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए वैश्विक कंपनियों को सेमीकंडक्टरों के निर्माण (एफएबी), सोलर फोटो वोल्टैक सैल, लीथियम आयन स्टोरेड बैटरियों, सौर ऊर्जा से उपकरणों को चार्ज करने का ढांचा खड़ा करने, कंप्यूटर सर्वर, लैपटॉप जैसे नवोदित और उच्च टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित किये जाएंगे। सरकार चाहती है कि भारत विद्युत चालित वाहनों के वैश्विक केन्द्र के रूप में उभर कर सामने आये। सौर स्टोरेज बैटरियों और उपकरणों को चार्ज करने वाले ढांचे के विनिर्माण और आपूर्ति से रोज़गार सृजन और उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में उभर कर सामने आने का वक्त आ गया है और वह दिन दूर नहीं जब यहां से विमानों की फाइनेंसिंग और उन्हें पट्टे पर देने की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। इससे एविएशन फाइनेंस के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी रोज़गार पैदा होंगे।

अक्तूबर 2017 में शुरू की गयी 'खेलो इंडिया' योजना ने देश भर के नौजवानों में व्यवसाय के रूप में खेलकूद को अपनाने और आरोग्य के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार तरीके से जागरुकता बढ़ाई है। सरकार इस योजना का विस्तार करने और इस पहल के लिए सभी आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है। सभी स्तरों पर खेलकूद को लोकप्रिय बनाने के लिए 'खेलो इंडिया' योजना के तहत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।

यह एक तथ्य है कि भारत में अधिकतर लोग अब भी गांवों में रहते हैं और कृषि तथा पारम्परिक उद्योगों पर निर्भर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पारम्परिक उद्योगों के उच्चीकरण और पुनर्जीवन के लिए कोष गठित करने की योजना (स्फूर्ति) शुरू की गयी है जिसका उद्देश्य और अधिक संख्या में साझा सुविधा केन्द्र बनाना है ताकि क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा मिलने से पारम्परिक उद्योग अधिक उत्पादक तथा लाभप्रद बनें और उनमें रोज़गार के चिरस्थायी अवसर उपलब्ध हों। जिन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है उनमें बांस, शहद और खादी क्लस्टर शामिल हैं। स्फूर्ति के अंतर्गत 2019-20 में 100 नये क्लस्टरों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य शृंखला में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा इस तरह के उद्योगों की टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के प्रोत्साहन की योजना (एस्पायर) को मजबूत किया गया है जिसके तहत 80 आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर्स और 20 टेक्नोलॉजी व्यवसाय इनक्यूबेटर्स स्थापित किये जाएंगे। इससे कम से कम 75,000 कृषि उद्यमों को मदद मिल सकेगी।

चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) में रोज़गार के लाखों अवसर पैदा करने और कई नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की क्षमता होती है। चिरस्थायी विकास के कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक कचरे और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 30,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया है। इससे कार्बन फूटप्रिंट में कमी लाने में भी मदद मिली है। बजट में स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है ताकि हर गांव में स्थायी आधार पर ठोस कचरे का प्रबंधन किया जा सके। किसानों की उपज का खेत से ही मूल्य संवर्धन करने के लिए हम निजी उद्यमिता का समर्थन करेंगे और बांस की झाड़ियों से लकड़ी तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का भी समर्थन करेंगे। अपशिष्ट से लागत बढ़ाने की इन सब गतिविधियों का ग्रामीण नौजवानों के लिए खास तौर पर रोज़गार के अवसर पैदा करने और चिरस्थायी विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इसी तरह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने चिरस्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए जिन नयी पहलों की परिकल्पना की है उनमें पानी के फिर से उपयोग और पुनर्चक्रण की बात शामिल है। मेरा मानना है कि पानी के प्रबंधन की भारत की क्षमता से ही इसका भाग्य तय होगा और इस तरह के क्रांतिकारी बदलाव के दौरान रोज़गार और उद्यमिता के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे।

संपर्क सुविधाएं किसी भी अर्थव्यवस्था का प्राण होती हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (गांवों से ग्रामीण मंडियों को जोड़ने वाले संड़क संपर्क को सुधारने पर जोर देते हुए), औद्योगिक गलियारा योजना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर योजना तथा भारतमाला व सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास योजना तथा उड़ान कार्यक्रमों के माध्यम से हर तरह के भौतिक संपर्क को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है। सरकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल के जरिए मेट्रो रेल को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत पारगमन केन्द्रों के आस-पास वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मूलक विकास में मदद करने तथा स्वीकृत कार्यों की परिपूर्णता सुनिश्चित करने की बात भी कही गयी है। रेलवे स्टेशनों के विकास के प्रस्तावित व्यापक कार्यक्रम से भी रोज़गार के अवसरों में इजाफा होगा। उड़ान कार्यक्रमों से देश के छोटे

शहरों को वायु संपर्क से जोड़ा गया है और आम नागरिक को हवाई यात्रा का मौका मिल है। इसके साथ ही डिजिटल संपर्क पहले से ही सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल असमानता को पाटने के लिए भारत नेट ने देश की सभी पंचायतों को इंटरनेट संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत अब तक देश के करीब दो करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल-साक्षर बनाया जा चुका है। इन सभी पहलों का नतीजा रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी, खास तौर पर ग्रामीण नौजवानों के लिए बढ़े हुए रोज़गार के मौकों के रूप में सामने आया है।

अर्थव्यवस्था को महिलाओं के योगदान को अपरिहार्य और अत्यंत मूल्यवान माना जाता है। इस बार के बजट में कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के लिए आवंटन दुगना यानी 165 करोड़ रुपये हो गया है। सरकार ने मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और स्वयं सहायता समूह आंदोलन जैसी विभिन्न योजनाओं में महिला उद्यमियों को मदद दी है और प्रोत्साहन प्रदान किया है। महिला उद्यमों को और प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में महिला स्वयं सहायता समूह ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया है। जनधन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सत्यापित खाताधारी सदस्य को उनकी अपनी बचत के अतिरिक्त 5,000 रुपये दिये जाएंगे और प्रत्येक समूह की कम से कम एक महिला मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज हासिल करने की पात्र होगी। महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है।

स्टैंड-अप योजना ने अपने अनेक लाभार्थियों में मानवीय गरिमा और आत्म सम्मान का संचार किया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों को थोक एलपीजी परिवहन के क्षेत्र में उद्यमिता के लिए सक्षम बनाया है। सफाई का काम अब मशीनों और रोबोट की मदद से किया जाने लगा है और हाथ से सफाई से मुक्ति मिलने से यह काम करने वालों में आत्मसम्मान बढ़ा है। स्टैंड-अप और स्टार्टअप का वाणिज्यिक बैंकों के साथ तालमेल उत्प्रेरक साबित हुआ है जिसकी वजह से यह आमूल परिवर्तनकारी बदलाव हुआ है।

अ.जा./अ.ज.जा. में इस योजना को जो लोकप्रियता मिली है और इसने जो सार्थक कदम उठाये हैं उनकी वजह से 15वें वित्त आयोग के समूचे कार्यकाल यानी 2020-2025 तक स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखा जाएगा। बैंक मांग आधारित कारोबारों जैसे सफाई की मशीनें और रोबोट हासिल करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे।

इस बार के बजट में रीअल एस्टेट और आवास क्षेत्र में नयी जान फूंकने और इसे जोरदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनका रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने पर सीधा असर पड़ेगा क्योंकि यह क्षेत्र कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के साथ ही अत्यधिक कौशल वाले कामगारों को भी रोज़गार देता है। पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1.54 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 26 लाख किफायती घरों का निर्माण पूरा करके सरकार ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दूसरे चरण में 2019-20 से 2021-22 के दौरान 1.95 लाख आवास बनाने और उन्हें पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 45 लाख रुपये तक के घरों के लिए लिए भुगतान किये गये ऋण के ब्याज में करों की कटौती बढ़ाने और आदर्श किरायेदारी कानून जैसे उपायों से आवास और रीअल एस्टेट क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा और निर्माण मजदूरों, रीअल एस्टेट डिवेलपर्स, आर्किटेक्टों और इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम अन्य लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू किये जा रहे 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम से स्वाभाविक रूप से छात्रों के लिए आवास की और अधिक मांग उत्पन्न होगी और इन आवासों का निर्माण करने वालों तथा छात्रावासों के प्रबंधन करने वालों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

सौर स्टोरेज बैटरियों और उपकरणों को चार्ज करने वाले ढांचे के विनिर्माण और आपूर्ति से रोज़गार सृजन और उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू उड्डयन बाजार के रूप में उभर कर सामने आने का वक्त आ गया है और वह दिन दूर नहीं जब यहां से विमानों की फाइनेंसिंग और उन्हें पट्टे पर देने की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। इससे एविएशन फाइनेंस के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी रोज़गार पैदा होंगे

इसके साथ ही सरकार तमाम क्षेत्रों की कामकाजी आबादी की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 5 मार्च 2019 को की थी और आज इसके लाभार्थियों की संख्या करीब 30 लाख हो गयी है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों को 60 साल की उम्र का हो जाने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के रूप में की गयी नयी पहल का दायरा बढ़ाने से अब इसका लाभ सालाना 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दूकानदारों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए जहां 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वहीं प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के लिए 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। सरकार तरह-तरह के श्रम कानूनों के बीच तालमेल बैठाने और उन्हें आसान बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है और इसके लिए चार श्रम संहिताएं बनायी जा रही हैं। इनसे जहां नियोक्ताओं के लिए अपना कारोबार चलाना आसान हो जाएगा वहीं श्रमिकों को उनके अधिकार मिलेंगे और उनका कल्याण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

विभिन्न और नये उभरते क्षेत्रों में रोज़गार और उद्यमिता क्षमता का लाभ उठाने के उद्देश्य से की जा रही अनगिनत पहलों को देखते हुए भारत प्रत्येक चुनौती से सीधे तौर पर निपटने के लिए अपने युवाओं को प्रोत्साहित करने को तैयार लगता है। इससे वे न सिर्फ अपने समाज में बल्कि विश्व समुदाय में भी भविष्य के नेता के रूप में उभर कर सामने आ सकेंगे। ❑

जन शक्ति से जल प्रबंधन

परमेश्वरन अय्यर

पानी, नयी सरकार की विकास की कार्यसूची का शीर्ष विषय है और इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया था। जल संरक्षण के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जल संचय का कार्य जनशक्ति के बिना संभव नहीं है। इससे पहले अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि देश में सबको जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने जो पहला ठोस कदम उठाया वह नये जलशक्ति मंत्रालय के गठन का था। इस सशक्त संस्थागत कदम के अंतर्गत पूर्ववर्ती जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास मंत्रालय और गंगा संरक्षण मंत्रालयों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ समेकित कर जल पर केन्द्रित नया मंत्रालय गठित किया गया है। यह जल संसाधनों के प्रबंधन के समेकन की दिशा में एक बड़ा कदम है जिसमें पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता के साथ-साथ देश में सभी घरों में पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।

"हर घर जल"

न्यू इंडिया के लिए बजट 2019

- जल सुरक्षा और सभी भारतीयों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- नया जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन और जल आपूर्ति के प्रबंधन को समग्र और समन्वित दृष्टि से देखेगा
- 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में 'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए (पाइपलाइनों से) जल जीवन मिशन
- यह मिशन वर्षाजल संचय के लिए, भूमिगत जल स्रोतों को फिर से भरने और घरों के गंदे पानी का सिंचाई में फिर से इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचा बनाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा
- सरकार ने जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 1592 ऐसे ब्लॉकों की पहचान की है जो बड़े नाजुक हालत में हैं और जिनमें जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है।

अब तक की कहानी

अब तक भारत में पानी का संस्थागत परिदृश्य बिखराव वाला रहा है। करीब सात मंत्रालयों और 10 विभागों पर जल प्रबंधन और इसके उपयोग के विभिन्न पहलुओं को देखने की जिम्मेदारी है। इससे जहां कुछ कार्यों और जिम्मेदारियों की दोहरावट होती है तो वहीं कुछ विवादग्रस्त मुद्दों को सुलझाने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए कोई एक संगठन या प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि ये मंत्रालय और विभाग एक दूसरे से अलग-थलग होकर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में नीति आयोग ने पानी से संबंधित उप-क्षेत्रों को समेकित कर ठोस शुरुआत की है। समेकित जल प्रबंधन सूचकांक बनाया गया है और राज्यों को इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसी तरह नये जल शक्ति मंत्रालय का गठन अभिशासन संबंधी एक जबरदस्त सुधार है जिससे जल क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने में स्थायी और सकारात्मक असर पड़ेगा।

भारत में समन्वित जल प्रबंधन का कार्य कभी उतना प्रासंगिक नहीं रहा जितना यह आज है। आज देश जल संकट के दौर में पहुंचने को है। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर हम 'चलता है' वाले रवैये से काम करते रहे, तो 2030 में पानी की मांग इसकी आपूर्ति के मुकाबले दुगुनी से अधिक हो

जल संरक्षण के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जल संचय का कार्य जनशक्ति के बिना संभव नहीं है

लेखक जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। ईमेल: param.iyer@gov.in

सप्लाई किये जाने वाले पानी के कनेक्शन हैं। जैसा कि वित्त मंत्री ने जिक्र किया, सरकार की एक प्राथमिकता 2024 तक देश के सभी परिवारों को चिरस्थायी आधार पर पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की है। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय ने 2019-20 में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए भी 10,000 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है। जल शक्ति मंत्रालय विकेन्द्रित लेकिन समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और सेवाएं प्रदान करने को बढ़ावा देगा और उसका मुख्य जोर जल संरक्षण, जल स्रोत के स्थायित्व, भंडारण और अवजल के फिर से इस्तेमाल पर होगा। इस कार्य में जहां भी संभव होगा पानी का उपयोग करने वाले समाजों को शामिल किया जाएगा क्योंकि वे ही असली लाभार्थी हैं। जलसंरक्षण के लिए विकेन्द्रित नियोजन के बेहतरीन तौर-तरीकों से सबक लिया जाना चाहिए। इनमें महाराष्ट्र में हिवारे बाजार और उत्तराखंड में समुदाय आधारित पेयजल आपूर्ति का स्वजल मॉडल शामिल है जिसका विस्तार किया जाना चाहिए।

जाएगी। इससे 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप हमारी आबादी के काफी बड़े हिस्से को सीमित मात्रा में या पीने के पानी के बिना रहना पड़ सकता है। हालके उपग्रह डेटा से भी पता चला है कि मध्यम अवधि में भारत में पीने के पानी के सभी नलके पूरी तरह सूख सकते हैं और नई दिल्ली, बेंगलुरू, चेन्नई और हैदराबाद में भूमिगत जल पूरी तरह सूख सकता है।

भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला

जल क्षेत्र में कुछ अक्षमताओं के परिणामस्वरूप वर्षा जल संग्रह और कम गंदे अवजल के परिशोधन और फिर से इस्तेमाल में लाने जैसी चुनौतियां पैदा हुई हैं। फिलहाल भारत में साल भर में बरसने वाले पानी के केवल 8 प्रतिशत का ही उपयोग किया जाता है जो दुनिया में सबसे कम है। मौजूदा बुनियादी ढांचे का समुचित रखरखाव न होने से शहरी इलाकों में पाइप लाइनों से सप्लाई किये जाने वाले पानी का करीब 40 प्रतिशत बरबाद हो जाता है। अवजल की सफाई कर उसे फिर से काम में लाने का कार्य लगभग नहीं के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहा एक और देश अपने यहां कम गंदे पानी के शत प्रतिशत का शोधन करता है और इसमें से करीब 94 प्रतिशत का पुनर्चक्रण किया जाता है। फिर से उपयोग में लाये गये पानी से उसकी सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

जहां तक पेयजल का सवाल है, कुल बसावटों में से 81 प्रतिशत में फिलहाल प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी किसी न किसी स्रोत से उपलब्ध है। भारत में सिर्फ 18 से 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पाइपलाइनों के जरिए

जल शक्ति अभियान

पानी की किल्लत वाले इलाके, खास तौर पर चिह्नित किये गये समस्याग्रस्त ब्लॉकों और पानी की गुणवत्ता की समस्या वाले इलाकों में भूतलीय जल आधारित बहु-ग्राम योजनाओं की पहचान की जानी चाहिए। जहां भूमिगत जल की इफरात वाले क्षेत्रों में एक गांव पर आधारित भूमिगत जल योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिनमें एक छोर से दूसरे छोर तक स्रोत को चिरस्थायी बनाने के उपायों को बढ़ावा दिया गया हो। इन योजनाओं में वर्षा जल के पारिवारिक या सामुदायिक संचयन का भी प्रावधान किया जाना चाहिए और इस संचित जल का उपयोग भूमिगत जलाशयों को फिर से भरने में किया जा सकता है। जल संचय और संरक्षण की अन्य स्थानीय विधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल संचय के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के स्थानीय तौर-तरीकों का एक उदाहरण मध्य प्रदेश के देवास जिले में देखा जा सकता है। यहां कृषक समुदाय को पानी के वैकल्पिक स्रोत और आपूर्ति स्रोत के रूप में तालाबों के बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य में सरकारी सहायता का उपयोग किया गया। इससे जिले में तालाबों के जल स्तर में 4 से 40 फुट की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं इससे जिले का सिंचित क्षेत्र भी 120-190 प्रतिशत बढ़ गया।

जल शक्ति मंत्रालय ने इसी सिलसिले में जल शक्ति अभियान शुरू किया है। यह देश के 256 जिलों के 1,592 चुने हुए ब्लॉकों में जल संरक्षण गतिविधियों में हो रही प्रगति को तेज करने का केन्द्र और राज्य सरकारों का सहयोगपूर्ण प्रयास है। इस अभियान के तहत केन्द्र सरकार के 1,000 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर जल संचय और जल संरक्षण के प्रयास करेंगे।

इसके बाद प्रत्येक पेयजल योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने का एक अन्य क्षेत्र है और वह है-घरों से निकलने वाले पानी (जलमल से इतर) जैसे रसोईघर या स्नानागार से निकलने वाले पानी (जिसे ग्रे वाटर, यानी अवजल कहा जाता है) के संचय और उसकी सफाई के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। इस तरह का पानी घरों में इस्तेमाल के बाद निकलने वाले कुल गंदे पानी के करीब 80 प्रतिशत के बराबर होता है। इसका संचय साधारण तालाबों, कृत्रिम रूप से बनायी गयी आर्द्र भूमियों और इसी तरह की स्थानीय अवसंरचना परियोजनाओं में किया जा सकता है। इसमें जमा पानी का पुनर्चक्रण कर उसे खेतों में सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इस तरह के कार्यों में हमारे द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले पानी का 80 प्रतिशत पानी खर्च होता है।

गुजरात जैसे कुछ राज्य माइक्रो इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) की सुविधा छह लाख से अधिक किसानों को उपलब्ध कराकर पानी के कुशल उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इन किसानों में से 50 प्रतिशत छोटे और मझोले किसान हैं। आंध्र प्रदेश सरकार भी खेती में पानी के दक्षतापूर्ण उपयोग के कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और उसने अगले पांच वर्षों में 40 लाख एकड़ जमीन को माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत लाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। अगर इन उपायों के साथ-साथ अगर कृषि कार्यों में अवजल के उपयोग के प्रयासों को भी जोड़ दिया जाए तो हमारे जल संसाधनों पर कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने का दबाव काफी कम हो जाएगा।

वांछित जन आंदोलन : 'पानी का संरक्षण हरएक की जिम्मेदारी'

पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सोच में बदलाव को भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनाना जरूरी है। आज भी पानी को असीमित यानी कभी न खत्म होने वाला संसाधन माना जाता है और देश के कई भागों में इसकी जमकर बरबादी की जाती है, जबकि दूसरे राज्यों को सूखे जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पानी को लेकर अंदरूनी और बाहरी सहभागियों के व्यवहार में बदलाव के लिए की जा रही संचार संबंधी पहल को सफल बनाना बहुत जरूरी है। हमें राज्य सरकारों से लेकर आम नागरिक जैसे सभी सहभागियों को साथ लेकर चलना होगा और राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करनी होगी। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन की व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार पहलों को समन्वित जल प्रबंधन उपायों के क्षेत्र में अपनाना होगा और सबसे निचले स्तर पर पानी के संरक्षण के बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए जल संरक्षण सेनानियों की एक फौज खड़ी करनी होगी जो स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रहियों के तर्ज पर होगी। इस तरह के पैदल सेनानियों यानी सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, सरपंचों और ब्लॉक व जिला अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।

समग्र और समन्वित जल प्रबंधन के बारे में यह नीति संघीय प्रणाली वाले किसी भी विशाल देश के लिए अनोखी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरह से कार्य किया, उसी तरह देश में पानी से संबंधित अलग-थलग पड़ी संस्थाओं को समन्वित कर तथा जल सुरक्षा को हरएक नागरिक की जिम्मेदारी बनाकर, भारत राष्ट्रीय जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक मिसाल पेश कर सकता है। ❑

क्या आप जानते हैं?

मोबिलिटी कार्ड

स्वदेशी तरीके से विकसित भारत का पहला भुगतान प्लेटफॉर्म परिवहन के लिए राष्ट्रीय आम मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) संबंधी मानकों पर आधारित देश की पहला स्वदेशी निर्मित भुगतान प्रणाली मार्च 2019 को शुरू की गई। यह भारत में अपनी तरह की पहली भुगतान प्रणाली है। एनसीएमसी मानकों के आधार पर एनसीएमसी कार्ड, स्वीकार (स्वचालित किराया) और स्वागत (स्वचालित गेट) का उपयोग किया जाता है।

ये डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड उत्पाद प्लेटफॉर्म पर बैंक की तरफ से जारी किए गए कार्ड हैं। उपभोक्ता मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी और रिटेल समेत परिवहन से जुड़े सभी माध्यमों में इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ड में मौजूद रकम का उपयोग ऑफलाइन सौदों के ज़रिये भी परिवहन के तमाम साधनों में किया जा सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम न्यूनतम रहता है। इस कार्ड में ऑपरेटर से जुड़ी विभिन्न सेवाओं यानि मासिक पास, सीजन टिकट आदि का उपयोग करने की भी सुविधा होती है।

एनसीएमसी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पेश किया है, ताकि इसके ज़रिये खुदरा खरीदारी के अलावा देशभर में मेट्रो रेल सेवाओं और परिवहन की अन्य प्रणालियों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। एनसीएमसी का प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी है। दरअसल, इसे अपने पास रखने पर ग्राहकों को अलग-अलग इस्तेमाल के लिए कई सारे कार्ड रखने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा, इसमें सौदे काफी तेजी से होते हैं और इस लिहाज से भी ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलता है। एनसीएमसी ऑपरेटरों के लिए भी सुविधाजनक है। इससे डिजिटल भुगतान के प्रचलन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, कई कार्ड में खर्च होने वाली लागत को कम किया जा सकेगा और परिचालन लागत भी कटौती मुमकिन हो सकेगी। ऑपरेटर समृद्धि डेटा से मिलने वाले संकेतों का इस्तेमाल कारोबार को समझने में कर सकते हैं, जिससे संचालन बेहतर हो सकेगा। एनसीएमसी प्रणाली कम मूल्य वाले भुगतान के डिजिटाइजेशन में सरकार की मदद करेगी और पूरी प्रणाली में लागत को कम किया जा सकेगा। ❑

शहरों के कायाकल्प के उपाय

दुर्गा शंकर मिश्रा

भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पिछली जनगणना 2011 के अनुसार 37.7 करोड़ लोग (31.2 प्रतिशत आबादी) शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे। अनुमान है कि यह संख्या 2031 तक 60 करोड़ और 2051 तक 80 करोड़ तक पंहुच जाएगी (उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति [एचपीईसी], 2011)। शहरीकरण अपरिहार्य है और आबादी वाले उपनगरीय क्षेत्रों/बाहरी इलाकों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, परन्तु इसके विपरीत शहरी बुनियादी ढांचे में अंतराल के साथ नागरिक सेवाओं का वितरण गंभीर रूप से पिछड़ रहा है।

"इंडियाज़ अर्बन अवेकनिंग: बिल्डिंग इनक्लूसिव सिटीज़, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ (2010)" (अर्थात् शहरों के प्रति भारत की जागरूकता : समावेशी शहरों का निर्माण, स्थायी आर्थिक विकास) शीर्षक से मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को शहरी बुनियादी ढांचे में कम पूंजी निवेश की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो 17 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति है जबकि इसकी तुलना में समान स्तर के अन्य देशों में यह लगभग 100 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत को इस क्षेत्र में 2030 तक 12 खरब अमरीकी डालर (2009-10 की कीमतों के अनुसार 54 लाख करोड़ रुपये) के निवेश की आवश्यकता होगी; जिसमें से आधी राशि पिछले वर्षों के बैकलॉग कार्यों के लिए अपेक्षित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत था और कर राजस्व में शहरों का योगदान 80 से 85 प्रतिशत के बीच था।

शहरी नवीकरण मिशन

2014 के बाद से, सरकार ने लोगों के जीवन में युगान्तरकारी परिवर्तन लाने के लिए समावेशी, सहभागितापूर्ण और सुदृढ़ दृष्टिकोण के साथ योजनाबद्ध और व्यवस्थित शहरी विकास के सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम अपनाते हुए उसके अंतर्गत विभिन्न प्रमुख मिशन शुरू किए। इससे न केवल वित्तीय प्रतिबद्धताओं और धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "सबका साथ, सबका विकास" के शक्तिशाली मंत्र ने नीति निर्धारकों को, नागरिकों का जीवन सुगम बनाने वाली नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। इसे नीचे वर्णित सरकार के तीन स्तरीय दृष्टिकोण में देखा जा सकता है।

"किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जन भागीदारी है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का श्रेय सरकार को उतना नहीं है, जितना लोगों को है।"

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रथम स्तर पर स्वच्छता, सस्ते आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के मुद्दों का समाधान करने के लिए सभी 4,300 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। दूसरे स्तर पर, सबके लिए जल आपूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज सुविधाओं के विस्तार में पर्याप्त बढ़ोतरी के प्रावधान पर अपेक्षित ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसके लिए 500 शहरों (1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को अमृत योजना यानी अटल शहर नवीकरण और कायाकल्प मिशन के तहत कवर किया गया। अंततः, नगर चुनौती पद्धति अपनाते हुए 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य

एक दशक के लिए 10-सूत्री विजन के साथ 2019-20 के बजट का उद्देश्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। सरकार ने इसी इच्छा के साथ अगले पांच वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत के बुनियादी ढांचे में करने की घोषणा की है ताकि अपेक्षित धन की व्यवस्था की जा सके। पहली बार बजट में 130 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और आकांक्षाओं के साथ अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है

लेखक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव हैं। ईमेल: secyurban@nic.in

बुनियादी ढांचे में सुधार और आईसीटी (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) क्षमताओं का उपयोग करते हुए जीवन को बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्वच्छ शहरी सेवाएं प्रदान करना था।

अधिकांश योजनाएं सहभागी दृष्टिकोण और नागरिकों की भागीदारी के साथ डिज़ाइन की गई। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जैसे कार्यक्रम एक 'जन आंदोलन' बन गए, जिन्हें बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय सफलता मिली।

अधिक बजटीय सहायता और धन उपलब्धता

शहरी बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित उच्चतर वित्त पोषण के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि के ज़रिए किया गया। 2004-05 से 2013-14 तक 10 साल की अवधि में आवंटित 1,58,164 करोड़ रुपये, की तुलना में, अगले छह वर्षों के दौरान यानी 2014 के बाद (वर्तमान वर्ष के अनुमान सहित) 2,68,455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 10 साल की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान वार्षिक औसत बजटीय आवंटन लगभग 15,800 करोड़ रुपये था, जिसे महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के साथ 44,000 करोड़ रुपये (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) सहित) पर पहुंचाया गया, अर्थात् इसमें लगभग 3 गुना वृद्धि की गई। 2019-20 के बजट में विभिन्न शहरी मिशनों के लिए 48,032 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ ही ईबीआर तंत्र के माध्यम से पीएमएवाई के वित्त पोषण के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव है, यानी कुल 68,000 करोड़ रुपये से अधिक धन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

5 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के बढ़ते कदम : शहरों की अगुवाई में विकास

एक दशक के लिए 10-सूत्री विजन के साथ 2019-20 के बजट का उद्देश्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। सरकार ने इसी इच्छा के साथ अगले पांच वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश भारत के बुनियादी ढांचे में करने की घोषणा की है ताकि अपेक्षित धन की व्यवस्था की जा सके। पहली बार बजट में 130 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और आकांक्षाओं के साथ अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाने के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2019-20 का बजट यह रेखांकित करता है कि सरकार शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखती है, न कि एक चुनौती के रूप में। मैकिन्से की रिपोर्ट (2010) बताती है कि भारत में शहरीकरण से वर्ष 2030 तक बहुत बड़े अवसर पैदा होंगे, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में 70 प्रतिशत, कुल कर राजस्व में 85 प्रतिशत और रोज़गार के नए नविल अवसरों में 70 प्रतिशत योगदान शहरों का होगा।

> *"मुझे पूरा विश्वास है कि एक राष्ट्र के रूप में, सामूहिक प्रयासों से, अगले पांच वर्षों में हम निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य की बनाने का लक्ष्य कराने में कामयाब होंगे... अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर मूल्य का बनाने का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का है।"*
> *- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री*

इसके अलावा, यह देखा गया है कि समावेशी विकास हासिल करने में शहरों का योगदान है क्योंकि वे ग्रामीण और शहरी अंतराल को दूर करते हैं। मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार शहरों के करीब रहने वाली लगभग 20 करोड़ ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में नौकरियों, बाजारों और बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच कायम करने के लाभ प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों की आमदनी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की औसत आय से अधिक होगी।

शहरी कायाकल्प के लिए निवेश

विभिन्न प्रमुख शहरी कार्यक्रमों के शुभारंभ के बाद से, अब तक करीब 1,62,165 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। यह सहायता 2014-19 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से मेट्रो परियोजनाओं, पीएमएवाई-यू, अमृत, एएमआरयूटी, एससीएम और एसबीएम के लिए जारी की गई। परन्तु, इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल निवेश, संबंधित परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के अनुसार 10,45,076 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्यों/शहरी स्थानीय निकायोंध लाभार्थियों और सरकारी-निजी-भागीदारी वाली परियोजनाओं का योगदान शामिल है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता लगभग साढ़े छह गुना निवेश पैदा कर रही है। बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश में शहरी क्षेत्रों के विकास में निवेश की भागीदारी बहुत बड़ी है। इससे अगले 5 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद और कर राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को 50 खरब अमरीकी डॉलर मूल्य का बनाने में मदद मिलेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के निवेश भारत के भावी आर्थिक विकास के लिए न केवल आवश्यक हैं, बल्कि परिहार्य हैं।

शहरों को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजनाएं

बजट 2019-20 में संचार या कनेक्टिविटी को देश में अर्थव्यवस्था का जीवनाधार कहा है। सरकार की मेट्रो रेल नीति, 2017 का उद्देश्य ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (संचार उन्मुखी विकास) और लैंड वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (भू-मूल्य लाभ प्राप्ति) आदि के

शहरी कायाकल्प के लिए कुल निवेश

> *"अगले दो दशकों में भारत विश्व में सबसे बड़े शहरीकरण के दौर से गुजरेगा। यह एक चुनौती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा अवसर भी है।*
> *- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री*

विभिन्न प्रमुख शहरी कार्यक्रमों के शुभारंभ के बाद से, अब तक करीब 1,62,165 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। यह सहायता 2014-19 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से मेट्रो परियोजनाओं, पीएमएवाई-यू, अमृत, एएमआरयूटी, एससीएम और एसबीएम के लिए जारी की गई

मेट्रो की प्रगति

माध्यम से अधिक से अधिक निजी भागीदारी और नवीन वित्तपोषण का उपयोग करते हुए अंतिम मील कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो रेल प्रणाली की व्यवस्थित योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। बजट 2019-20 में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान 210 किलोमीटर मेट्रो लाइनों को परिचालित किया जाएगा और 300 किलोमीटर की नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, देश के 18 शहरों में अब तक कुल 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है और 27 शहरों में 873 किलोमीटर की मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

बजट में प्रस्तावित किया गया है कि सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करते हुए और अनुमोदित परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा और साथ ही मार्गस्थ केंद्रों के आसपास वाणिज्यिक गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (संचार उन्मुखी विकास) को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच 30,274 करोड़ रुपये रुपये की अनुमानित लागत से 82 किमी लम्बे मार्ग पर प्रथम क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) गलियारे के लिए काम शुरू हो गए हैं।

"मेक इन इंडिया" के लिए मेट्रो सहायता

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश में मेट्रो रेल सिस्टम के देशीकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि किसी भी निविदा के तहत खरीदे जाने वाले न्यूनतम 75 प्रतिशत कोच भारत में निर्मित होने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा स्वदेशी रूप से अत्याधुनिक चालक रहित रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, जिसे हाल ही में मुंबई मेट्रो रेल कॉरिडोर के लिए 378 मेट्रो कारों के निर्माण के लिए 3,015 करोड़ रुपये का अनुबंध मिला है। यह हाल के दिनों में मेट्रो रेल कोचों के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक है।

एक राष्ट्र एक कार्ड

मार्च 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा परिवहन के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के आधार पर शुरू किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान इको सिस्टम की चर्चा बजट भाषण में की गई। इसमें ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) शामिल हैं, जिन्होंने "एक राष्ट्र एक कार्ड" की नींव रखी है। यह कार्ड सभी प्रकार के पारगमन के साथ-साथ खुदरा प्रणालियों में उपयोग करने योग्य है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इस प्रणाली के साथ, भारत उन गिने-चुने राष्ट्रों में शामिल हो गया है, जिनके पास पूर्ण भुगतान इको-सिस्टम है, जिसमें निर्यात की विपुल क्षमता है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : स्वच्छ और स्वस्थ भारत

बजट में एसबीएम-यू के तहत हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 24 राज्यों और 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन में, देश के 90 प्रतिशत वार्ड अब "घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की व्यवस्था" के अंतर्गत आ चुके हैं और 56 प्रतिशत कचरे को वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ने स्वास्थ्य संकेतकों पर बेहतर स्वच्छता के प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण किया है और बताया है कि ओडीएफ बनने से डायरिया और मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में कमी आई है, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, नवजात शिशुओं आदि, में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

मिशन प्रगति

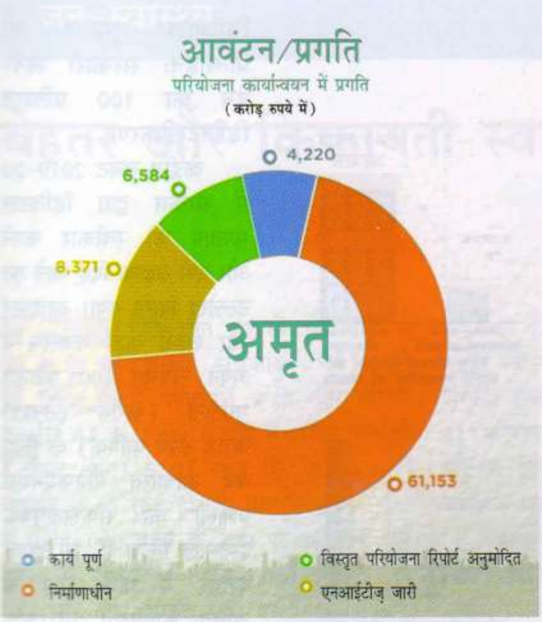

इसके अलावा, घरेलू शौचालयों से सबसे निर्धन व्यक्तियों के लिए मकान की वित्तीय लागत में बचत 2.4 गुना से अधिक हो गई है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में कहा गया है कि अपर्याप्त स्वच्छता से भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.4 प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता सर्वोपरि थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 2 अक्टूबर, 2019 को, जब राष्ट्र महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मना रहा होगा, उससे पहले भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर घर जल : अमृत

नीति आयोग के अनुसार, भारत को जल संकट का सामना कर रहा है, जिसकी करीब 50 प्रतिशत आबादी पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है। 2019-20 के बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करना और सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए नव गठित जल शक्ति मंत्रालय का जल जीवन मिशन अन्य योजनाओं के साथ समन्वय करेगा।

अमृत योजना जून 2015 में देश भर के 500 शहरों में शुरू की गई थी। इसमें जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और सीवरेज और सेप्टेज कवरेज को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 62 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एसएएपीज़) मंजूर की गई हैं, जिनमें से 64,761 करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और 4,163 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तक 58.52 लाख पानी के नल लगाए गए हैं और 36.96 लाख सीवर कनेक्शन जोड़े गए हैं।

जल संरक्षण को प्रोत्साहन: जन आंदोलन

मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है ताकि जल संरक्षण को एक "जन आन्दोलन" का रूप दिया सके, जिसके चार प्रमुख क्षेत्र हैं: क) वर्षा जल संचयन, ख) उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, ग) जल निकायों का कायाकल्प और घ) वृक्षारोपण। 756 शहरी स्थानीय निकायों की पहचान पानी की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में की गई है; उन्हें वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए भवन-निर्माण कानूनों को लागू करने, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए उपाय करने, कम से कम एक जल निकाय को पुनर्जीवित करने और वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ऊर्जा की बचत

बजट 2019-20 में सतत ऊर्जा उपयोग सुनिश्चित करने और एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। अमृत योजना के तहत, 62 लाख स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन में 10.85 लाख टन की कमी आई है।

स्मार्ट शहर अभियान

स्मार्ट शहर अभियान-एससीएम के कार्यान्वयन के चार साल पूरे होने के साथ ही, सभी स्मार्ट शहरों ने विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में गति पकड़ी है। एससीएम ने न केवल स्मार्ट बनने के लिए शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, बल्कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए महत्वाकांक्षी भारत की नींव रखी है। 5 साल में 2,05,018 करोड़ रुपये की लागत वाली 5,151 परियोजनाओं को निष्पादित करने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से 65 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ नवीन परियोजनाओं में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी), स्मार्ट गलियां/सड़कें, पब्लिक बाइक शेयरिंग, स्मार्ट सोलर एनर्जी, स्मार्ट पोल, स्मार्ट वाटर मीटर, एकीकृत स्मार्ट ट्रैफिक/मार्ग प्रबंधन आदि शामिल हैं। ये अनूठी पहले देश भर में शहरी परिदृश्य बदल रही हैं।

2022 तक सभी के लिए आवास पीएमएवाई (शहरी)

सरकार 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमएवाई-यू के तहत लगभग 5.00 लाख करोड़ रुपये की लागत से 84 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 48 लाख से अधिक में निर्माण शुरू हो गया है और 26 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो गया है, जो लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। 13 लाख से अधिक घरों का निर्माण नई तकनीकों का उपयोग करके किया जा रहा है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (जीएचटीसी-आई) के माध्यम से, सरकार ने दुनिया भर में 54 सर्वोत्तम उपलब्ध निर्माण तकनीकों की पहचान की है। इन प्रयोगशालाओं का उपयोग करते हुए, छह लाइट हाउस परियोजनाएं, ओपन प्रयोगशालाओं के रूप में, जल्द ही शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को "निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष" घोषित किया है।

पीएमएवाई-यू के तहत इस प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, किराये के आवास की भारी मांग है, जो वर्तमान किराये कानूनों के साथ मकान मालिक और किराएदार के बीच

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

एक नज़र में

- 65,372 करोड़ रुपये की लागत से 4,917 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन परिपूर्ण
- 62 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटें एलईडी लाइटों से बदली गई
- 8 शहरों द्वारा 3,390 करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए
- 11 राज्यों/संघशासित प्रदेशों के सभी स्थानीय शहरी निकायों सहित 1705 यूएलबीज़ में ऑनलाइन भवन-निर्माण अनुमति प्रणाली लागू की गई

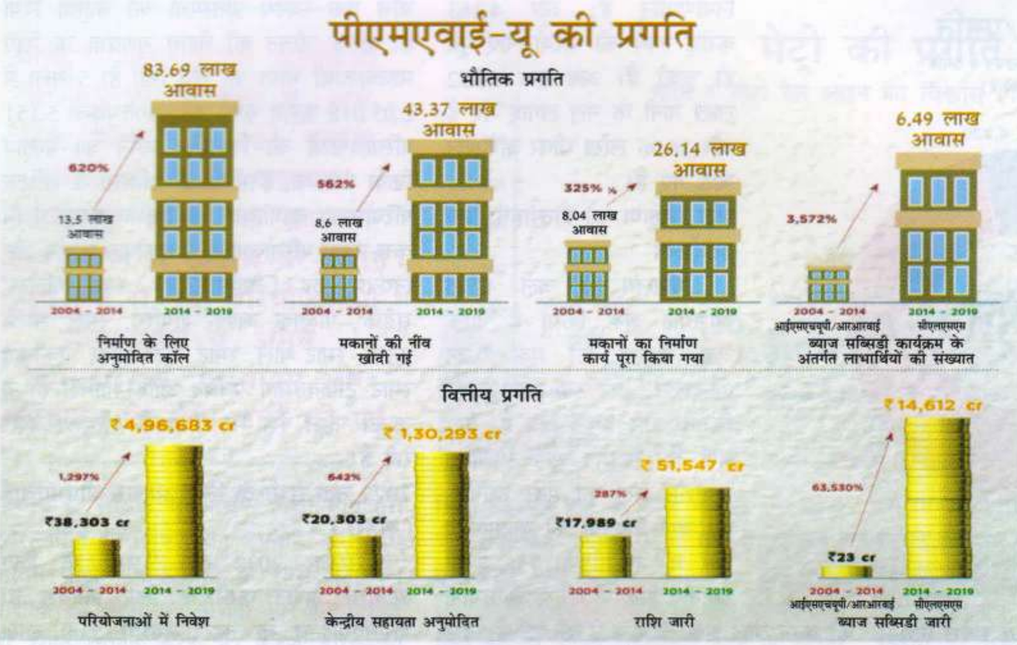

असंतुलित संबंधों के साथ हतोत्साहित हो जाती है। सरकार मॉडल टेनेंसी कानून तैयार कर रही है, जो बहुत जल्द राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रसारित किया जाएगा।

बजट 2019-20 में 45 लाख रुपये तक कीमत वाले वहनीय मकानों की पहली खरीद पर ऋण पर ब्याज भुगतान की छूट की सीमा 3.5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है, जो पहले 2 लाख रुपये थी। घर की बिक्री से पूंजीगत लाभ को बिना किसी कर देयता के साथ स्टार्टअप व्यवसाय में निवेश करने की अनुमति भी दी है।

वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एक पुनर्वित्त पोषक और ऋणदाता होने के अलावा, आवास वित्त क्षेत्र के लिए एक नियामक भी है। आवास क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल कुशल विनियमन के लिए और परस्पर विरोधी अधिनियम हटाने के लिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में आवास वित्त क्षेत्र के लिए विनियमन प्राधिकार एनएचबी से रिजर्व बैंक को वापस करने की घोषणा की। इन सभी उपायों से सस्ते मकानों को बढ़ावा मिलेगा।

जीवन सुगमता (ईज़ ऑफ लिविंग)

बजट 2019-20 ने नागरिकों का जीवन सुगम बनाने के सरकार के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 111 शहरों को कवर करते हुए 2018 में पहली बार 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' यानी जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया और हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स-2019 के लिए मूल्यांकन ढांचे का शुभारंभ किया है। विश्व बैंक की व्यापार सुगमता रिपोर्ट-2019 के अनुसार, निर्माण की अनुमति देने में व्यापार सुगमता में भारत का रैंक 2018 में 181 से बढ़कर 52 हो गया है, यानी भारत ने 129 स्थानों की रिकॉर्ड छलांग लगायी है। अब तक 439 अमृत शहरों सहित 1,705 शहरों में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) लागू किया गया है।

डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहनः सरकारी लेन-देन का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण

केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने और उसे बढ़ावा दिए जाने का उल्लेख किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने लगभग 100 प्रतिशत भुगतानों (करीब 60,000 करोड़ रुपये वार्षिक) के लिए वेब आधारित पीएफएमएस प्रणाली का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जो इसके देशभर में फैले 500 से अधिक कार्यालयों द्वारा किया गया। इसके अलावा, सभी सरकारी प्राप्तियों का संग्रह अब पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ऐसा करके, मंत्रालय ने सभी वित्तीय लेनदेन को नक़दी रहित करने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य को पूरा किया है।

आगे की राह

भारत सरकार नागरिकों के लिए जीवन यापन, उत्तरदायी शासन, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, तेजी से आर्थिक विकास और आजीविका के अवसरों के साथ शहरी क्षेत्रों को विकसित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हम भविष्य के शहरों का निर्माण कर रहे हैं। हमारी योजना है कि हम स्मार्ट सिटी अन्य सभी मिशनों के दौरान अपने सीखने के अनुभवों के साथ शहरी परिवर्तन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक, समावेशी, भागीदारीपूर्ण और डेटा संचालित दृष्टिकोण का पालन करें, ताकि 50 खरब अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था और एक नये भारत की ओर देश की यात्रा में योगदान कर सकें। ❑

संदर्भ

- मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट (2010) "इंडियाज अर्बन अवेकनिंगः बिल्डिंग इनक्लूसिव सिटीज, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ (2010)" मैकिन्से एंड कंपनी।
- शहरी विकास मंत्रालय (2011)। भारतीय ढांचे और सेवाओं के बारे में रिपोर्ट, शहरी ढांचा सेवाओं के लिए निवेश की आवश्यकता का आकलन करने संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- केन्द्रीय बजट 2019-20, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- देबराय बी, गांगुली ए, देसाई के 2018, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया : ट्रांसफोर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, विज्डम ट्री।
- देबराय बी, मलिक ए, (2017) इंडिया@70: कैप्चरिंग इंडियाज Capturing ट्रांसफोर्मेशन अंडर नरेन्द्र मोदी, विज्डम ट्री।

बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं

इंदु भूषण

पिछले तीन दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति और बेहतरी हासिल की है। 1990 में देश में जीवन प्रत्याशा (औसत आयु) 57.91 साल थी, जो 2016 में बढ़कर 68.65 साल हो गई। बाल मृत्यु दर 1990 में प्रति 1,000 बच्चे के जन्म पर 88.5 थी, जो 2016 में घटकर 34 (प्रति 1,000 नवजात) हो गई। इसी तरह, प्रसूति मृत्यु दर 1990 में प्रति लाख 556 थी, जो 2015 में घटकर प्रति लाख 174 हो गई। पोलियो का उन्मूलन हो चुका है और एचआईवी/एड्स जैसी कई बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है।

हालांकि, अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं और हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए खास मौका है। भारत फिलहाल 'बीमारियों के तिहरे बोझ' जैसे अजीबोगरीब हालात से जूझ रहा है। एक ओर जहां प्रमुख संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर गैर-संक्रामक बीमारियों और अन्य तकलीफ का भी बड़ा बोझ है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अपर्याप्त और बिखरी हुई है। देश के सरकारी अस्पतालों पर बोझ काफी ज्यादा है और यहां फंड की भी कमी है। आधी से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा मुहैया कराई जाती हैं और इससे जुड़ा नियमन भी ढीला-ढाला है। इसके अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र का खर्च लोगों की पहुंच के दायरे में नहीं है और ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा का पहुंच काफी कम है। एक अनुमान के मुताबिक, हर साल 6 करोड़ लोग अपनी आय और बचत का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के कारण गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें कर्ज लेना पड़ता है या अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं।

ऐसी हालत का एक प्रमुख कारण देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए फंड की कमी है। पिछले दो दशकों में भारत का स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च उसके जीडीपी का तकरीबन 1.2 प्रतिशत पर स्थिर रहा है (स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता, 2015)। भारत अपने आम सरकार राजस्व से कुल स्वास्थ्य खर्च का सिर्फ 21 प्रतिशत खर्च करता है और तकरीबन 62 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं होता (स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता, 2015)।

आजादी के बाद से ही स्वास्थ्य को लेकर सरकारी नीतियों पर ध्यान देने का प्रयास किया गया और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से जुड़ी सरकारी प्रणाली को मजबूत किया गया। सरकार इसमें सेवाओं के लिए 'प्रदाता' की भूमिका निभा रही है। विभिन्न सरकारों ने आपूर्ति पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसका मकसद लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है। हालांकि, पिछले दशक में सरकार ने मांग-पक्ष को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाने व इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए नए उपाय किए।

साल 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्र के स्तर पर हर परिवार को 30,000 रुपये का सालाना कवर दिया गया था। यह कवर मुख्य तौर पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति से जुड़ा था, जबकि राज्यों की कई योजनाओं में विशेषज्ञों की सलाह से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराई गईं। हालांकि, देश की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इन योजनाओं ने स्वतंत्र तरीके से काम किया है और इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग स्तरों पर जोखिम बढ़ गया। इसके अलावा, इनमें से कोई भी योजना किसी भी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से नहीं जुड़ी थी।

आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित और महज किसी क्षेत्र से जुड़ी प्रणाली से ऐसी व्यापक प्रणाली में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां रोकथाम, इलाज, पुनर्वास आदि पहलुओं को एक साथ समेटने की कोशिश की गई है। आयुष्मान भारत ने देश के स्वास्थ्य को लेकर लोगों के नजरिए में बुनियादी बदलाव सुनिश्चित किया है

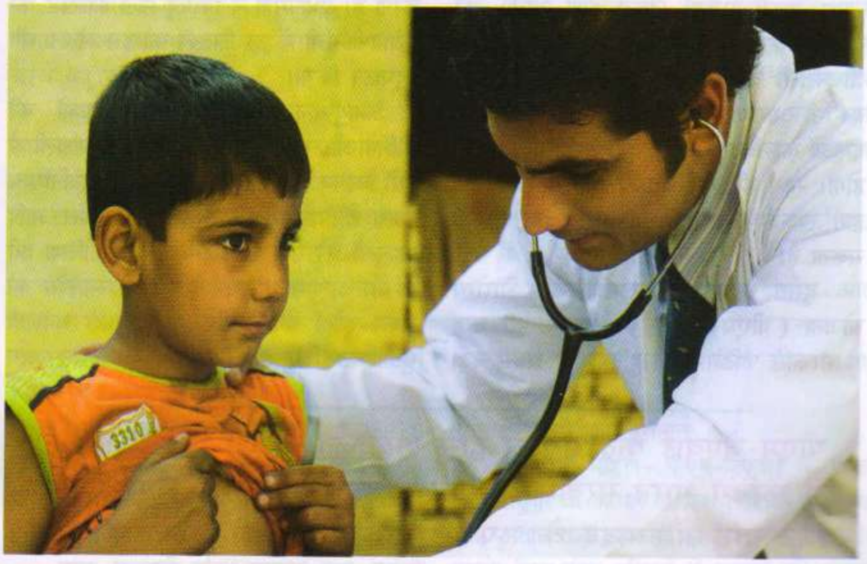

डॉ. इंदु भूषण आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) तथा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए), भारत सरकार के सीईओ हैं। ईमेल: i.bhushan@gov.in

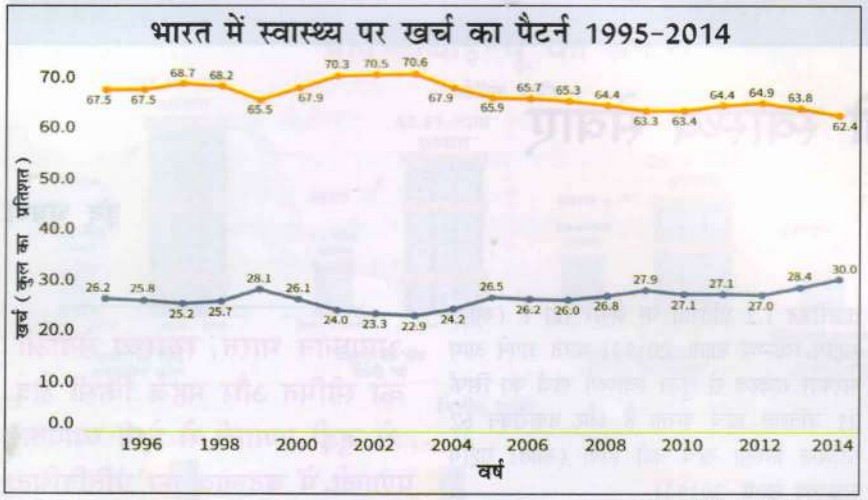

स्रोत- विश्व स्वास्थ्य संगठन

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई: स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का नया और बेहतर तरीका

स्वास्थ्य सेवा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का यह द्विस्तरीय तरीका है। इसके तहत हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) बनाए गए हैं, जो व्यापक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। इसमें मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, गैर-संक्रामक बीमारियों की जांच, जरूरी दवाओं का मुफ्त वितरण और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों पर नजर रखने जैसी सेवाएं शामिल हैं। साल 2022 तक 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे और ये गैर-संक्रामक बीमारियों और मानसिक रोग समेत 70 प्रतिशत से भी ज्यादा बाहरी मरीजों (बिना भर्ती वाले) की देखभाल करने में सक्षम होंगे। यह सेंटर सेहतमंद जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए योग सत्र का भी आयोजन करेगा और यहां पर मुफ्त में दवाओं का वितरण और जांच जैसी सुविधाएं भी होंगी। साथ ही, कई दवाओं को स्वास्थकर्मियों द्वारा स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

दूसरा अभियान **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)** है। यह पूरी तरह से सरकारी फंडिंग वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों (या 50 करोड़ लोगों) को 5 लाख रुपये प्रति परिवार सालाना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया गया है। इन परिवारों को यह कवर गंभीर बीमारियों के इलाज में अस्पताल संबंधी खर्चों के मद में उपलब्ध कराया गया है। पीएम-जेएवाई के ज़रिये केंद्र सरकार का मकसद मांग आधारित स्वास्थ्य सेवा योजना के ज़रिये लाभार्थी परिवारों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा मुहैया कराना है, ताकि कैशलेस यानी बिना नकदी के उनकी अस्पताल की तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें।

पीएम-जेएवाई का मकसद अचानक से आए स्वास्थ्य खर्चों के बोझ को कम करना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना और अस्पताल संबंधी देखभाल से जुड़े कई तरह के खर्चों की जरूरतें पूरी करना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल झारखंड की राजधानी रांची में 23 सितंबर को इस योजना का उद्घाटन किया।

आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित और महज किसी क्षेत्र से जुड़ी प्रणाली से ऐसी व्यापक प्रणाली में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जहां रोकथाम, इलाज, पुनर्वास आदि पहलुओं को एक साथ समेटने की कोशिश की गई है। आयुष्मान भारत ने देश के स्वास्थ्य को लेकर लोगों के नजरिए में बुनियादी बदलाव सुनिश्चित किया है। स्वास्थ्य को लेकर अब नई सोच आ चुकी है और इसे अब सिर्फ एक स्तर पर निपटे जाने वाली चुनौती के रूप में नहीं देखा जाता है। अब स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला के ज़रिये इस मोर्चे पर काम हो रहा है। पीएम-जेएवाई के तहत प्राथमिक से लेकर विशेषज्ञ संबंधी सेवाओं तक का कवर मुहैया कराया गया है।

पीएम-जेएवाई को गरीब और वंचित यानि समाज के निचले पायदान पर मौजूद 40 प्रतिशत आबादी के लिए पेश किया गया है। कुल संख्या के हिसाब से बात करें, को यह आंकड़ा करीब 10.74 करोड़ परिवार है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर इन परिवारों को शामिल किया गया है। इसमें वैसे परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें आरएसबीवाई में कवर किया गया था, लेकिन वे एसईसीसी डेटाबेस में मौजूद नहीं थे।

एसईसीसी में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की गई है। इसमें हटाने और शामिल करने की शर्तों का उपयोग किया गया है और इसी हिसाब से खुद से छोड़े गए और शामिल किए गए घरों को शामिल किया गया है। जिन ग्रामीण घरों को शामिल किया गया है, उनकी रैंकिंग वंचितता से जुड़े 7 पैमानों (डी 1 से डी 7) के आधार पर की गई है। शहरी परिवारों की कैटेगरी उनके पेशे की श्रेणियों के आधार पर तैयार की गई है।

सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए एसईसीसी डेटाबेस इस्तेमाल करने के सरकार के एजेंडे के तहत पीएम-जेएवाई में इस डेटा के ज़रिये लक्षित लाभार्थी परिवारों की भी पहचान की गई है।

ग्रामीण लाभार्थी-ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से जुड़ी 7 शर्तों के तहत पीएम-जेएवाई में वैसे सभी परिवारों को शामिल किया गया, जो कम से कम इन 6 शर्तों (डी1 से डी5 और डी7) में से किसी एक के दायरे में हैं और खुद से इसमें शामिल होने की शर्त पूरी करते हों:

डी 1-कच्ची दीवार और कच्ची छत वाला सिर्फ एक रूम

डी 2-16 से 59 साल की उम्र के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं

डी 3-वैसा परिवार जहां 16 से 59 साल का कोई वयस्क सदस्य नहीं है

डी 4-दिव्यांग सदस्य

डी 5-अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार

डी 7-भूमिहीन परिवार जिसकी आय का प्रमुख ज़रिया मजदूरी का काम है।

शहरी लाभार्थी-शहरी क्षेत्रों के लिए

पीएम-जेएवाई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसकी पूरी फंडिंग भारत सरकार के फंड से होती है। इसके लिए आवंटित बजट ग्रांट और मदद के रूप में भारत सरकार से मिलता है। साल 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में पीएम-जेएवाई के लिए 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

कामगारों की निम्नलिखित 11 पेशेगत श्रेणियों को इस योजना के लिए सक्षम बनाया गया है:

- कचरा उठाने वाले
- भिखारी
- घरेलू श्रमिक
- फुटपाथ पर सामान बेचने वाले / मोची/ हॉकर / फुटपाथ पर काम करते हुए अन्य सेवाएं मुहैया कराने वाले
- निर्माण मजदूर / प्लंबर / राज मिस्त्री / श्रमिक / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा गार्ड / कुली और अन्य तरह के कामगार
- झाड़ू देने वाला / सफाईकर्मी / माली
- घरों में काम करने वाले श्रमिक / कारीगर/ शिल्पकार / दर्जी
- परिवहन कर्मी / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर का हेल्पर और कंडक्टर / ठेला चालक / रिक्शा चालक
- दुकान में काम करने वाला / छोटी इकाई में सहायक / चपरासी / हेल्पर / डिलीवरी सहायक / परिचारक / बैरा
- बिजली मिस्त्री / मैकेनिक / मरम्मत का काम करने वाला
- धोबी / चौकीदार

हालांकि, पीएम-जेएवाई लाभार्थी परिवारों की अर्हता तय करने के लिए एसईसीसी को आधार के रूप में इस्तेमाल करता है और कई राज्य पहले ही लाभार्थियों की श्रेणी की पहचान कर अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर रहे हैं। अतः, राज्यों को पीएम-जेएवाई के लिए अपना डाटाबेस इस्तेमाल करने की सहूलियत दी गई है। हालांकि, उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि एसईसीसी डेटाबेस के आधार पर योग्य सभी परिवार को कवर किया जाए।

पीएम-जेएवाई की अहम बातें

1. पीएम-जेएवाई इस योजना के योग्य हर परिवार को 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराता है। इस योजना के तहत जांच संबंधी सभी खर्चों, संपूर्ण इलाज, दवाओं, अस्पताल से निकलने के बाद 15 दिनों की देखभाल के खर्चों आदि का भुगतान किया जाता है।
2. इस योजना में परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र की कोई सीमा नहीं है। 5,00,000 रुपये का फायदा जरूरत के हिसाब से परिवार के सदस्यों को मिलता है यानि इसका इस्तेमाल परिवार के एक या सभी सदस्य कर सकते हैं।
3. पहले से मौजूद सभी बीमारियां पहले दिन से इसके दायरे में होती हैं। इसका मतलब यह है कि पीएम-जेएवाई का कवर पाने से पहले किसी भी तरह की बीमारी से जूझने वाला व्यक्ति इस योजना के तहत इलाज पाने का हकदार होगा। निजी बीमा योजनाओं की तुलना में यह बड़ी सुविधा है, क्योंकि निजी बीमा योजनाओं में अक्सर पॉलिसीधारक की मौजूदा बीमारी का कवर नहीं होता है।
4. पीएम-जेएवाई के तहत मिलने वाले फायदे वहनीय है और कोई भी लाभार्थी इस योजना से जुड़े देशभर में मौजूद किसी भी अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकता है।
5. इस योजना के तहत 1,393 मुख्य और 23 तरह के विशेष इलाज की सुविधा दी जाती है। पीएम-जेएवाई ने वैसी सर्जरी के लिए भी प्रावधान किया है, जो सर्जिकल पैकेज की लिस्ट में नहीं हैं। हालांकि, इस पैकेज के तहत मरीज की बुकिंग के लिए पहले विधिवत मंजूरी जरूरी है।

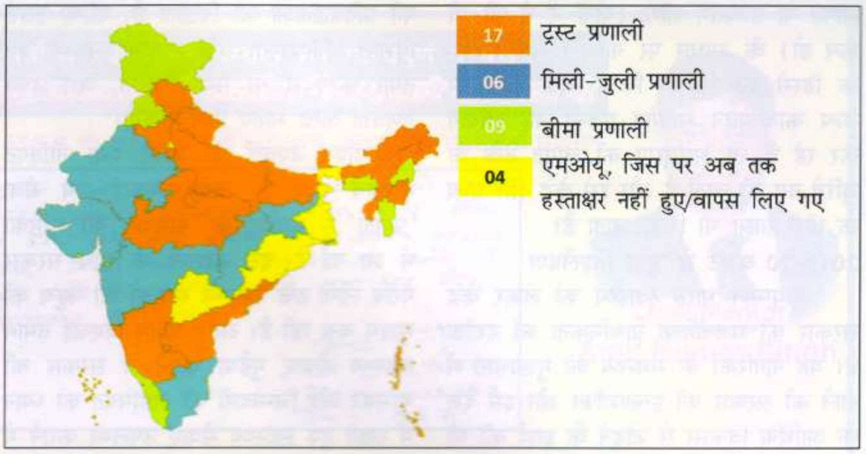

क्रियान्वयन का मॉडल: सहयोगात्मक संघीय ढांचे का नमूना

पीएम-जेएवाई पर काम करते वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस मामले में राज्यों की अलग-अलग स्तर पर तैयारी है और इस तरह की योजनाओं के प्रबंधन की क्षमताएं भी अलग-अलग हैं। अतः, पीएम-जेएवाई इसे कार्यान्वित करने का मॉडल अपनाने में राज्यों को स्वतंत्रता देता है और इसे बीमा, ट्रस्ट (ट्रस्ट/ सोसायटी के ज़रिये) या मिले-जुले रूप में लागू किया जा सकता है।

बीमा प्रणाली-राज्य सरकार लाभार्थियों का वित्तीय जोखिम लेने के लिए एक निश्चित प्रीमियम दर पर बीमाकर्ता की नियुक्ति करती है। 9 राज्यों ने बीमा प्रणाली का चुनाव किया है।

ट्रस्ट प्रणाली-राज्य सरकार एक एजेंसी (राज्य हेल्थ एजेंसी) बनाती है, जो वास्तविक उपयोग के मुताबिक अस्पताल के क्लेम का भुगतान करेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा का जोखिम राज्य के पास होता है। 17 राज्य ट्रस्ट प्रणाली के ज़रिये इस योजना को लागू कर रहे हैं।

मिली-जुली प्रणाली-इसके तहत राज्य आमतौर पर बीमा और ट्रस्ट प्रणाली के मिले-जुले स्वरूप का इस्तेमाल करता है, जहां कम लागत वाली सामान्य प्रक्रियाओं का प्रबंधन बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है और ऊंची लागत वाली विशिष्ट सेवाओं का प्रबंधन राज्य ट्रस्ट करता है। 6 राज्यों ने मिली-जुली प्रणाली का चुनाव किया है।

योजना का वित्त पोषण

पीएम-जेएवाई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसकी पूरी फंडिंग भारत सरकार के फंड से होती है। इसके लिए आवंटित बजट ग्रांट और मदद के रूप में भारत सरकार से मिलता है। साल 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट में पीएम-जेएवाई के लिए 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पीएम-जेएवाई के तहत खर्च केंद्र और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच साझा किया जाता है। खर्चों का बंटवारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। खर्च के बंटवारे का मौजूदा अनुपात इस तरह है:

- उत्तर पूर्व और 3 पहाड़ी राज्यों के लिए: 90 (केंद्र): 10 (राज्य)
- विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश और अन्य राज्य: 60 (केंद्र): 40 (राज्य)
- बिना विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश: 100 (केंद्र)

केंद्रीय हिस्से का भुगतान

ए. बीमा मॉडल- पीएम-जेएवाई के तहत प्रति परिवार के आधार पर एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है, जो इसके लिए योग्य परिवारों में सदस्यों की संख्या के आधार पर बीमाकर्ता को भुगतान करती है।

बी. एश्योरेंस मॉडल-क्लेम की वास्तविक

लागत या उच्चतम सीमा (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर योगदान संबंधी केंद्र के हिस्से का भुगतान किया जाता है। अगर राज्य कार्यान्वयन सहयोग एजेंसी का उपयोग कर रहे हैं, तो आईएसए की लागत ठेके के ज़रिये तय की जाती है और इसे केंद्र और राज्य के बीच साझा भी किया जाता है।

2019-20 बजट से जुड़ा विश्लेषण

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार की राजनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है। यह नागरिकों के स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाने की सरकार की इच्छाशक्ति और इसे देश के आर्थिक विकास से जोड़ने के इरादे की भी पुष्टि करता है। 2019-2020 के बजट में इसकी झलक मिलती है, जहां पीएम-जेएवाई के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि पिछले साल यानि 2018-19 में यह राशि 2,400 करोड़ रुपये थी। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 62,659 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है, जो पिछले दो वित्त वर्षों में सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले इसमें 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। 2018-19 में स्वास्थ्य आवंटन 52,800 करोड़ रुपये था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तरह का आवंटन न सिर्फ स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने में सरकार की प्रतिबद्धताओं को दिखाता है, बल्कि इससे विशाल, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य तंत्र तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जहां उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकेंगी।

पीएम-जेएवाई के ज़रिये ऐसा नीतिगत बदलाव हुआ है, जहां सरकार अब सेवा 'प्रदाता' से सेवाओं के 'खरीदार' की भूमिका में आ गई है। इस बदलाव के साथ सरकार गरीब लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुलभ बना रही है। अतः, पीएम-जेएवाई तमाम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी की अहमियत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र का भूमिका का विस्तार करेगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी इसका नमूना देखने को मिल सकता है।

परिणाम दिखाते हैं कि सरकार की यह नीति सफलतापूर्वक काम कर रही है। इसके दायरे में शामिल आधे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निजी क्षेत्र से हैं। करीब 64 प्रतिशत इलाज निजी अस्पतालों द्वारा किया जा रहा है।

लंबी अवधि में पीएम-जेएवाई का इरादा अपनी प्रोत्साहन प्रणाली के ज़रिये सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करना है। मांग काफी होने के कारण निजी क्षेत्र टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के वैसे इलाकों में विस्तार कर सकता है, जहां इसकी पहुंच अब तक सुनिश्चित नहीं हुई है। पीएम-जेएवाई सरकारी अस्पतालों को इस बात के लिए प्रोत्साहन देगा कि वे गरीब मरीजों को प्राथमिकता दें। साथ ही, उन्हें अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिए साधन भी मुहैया कराए जाएंगे, ताकि वे अपने आधारभूत संरचना को मजबूत कर अपनी सेवा संबंधी कमियों को दूर कर सकें। पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य एश्योरेंस प्रणाली के लिए राष्ट्रीय मानक भी स्थापित करेगा।

आयुष्मान भारत की सफलता पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने, विशेषतौर पर एसडीजी 3.8 (समग्र स्तर पर स्वास्थ्य की पहुंच) की दिशा में यह निश्चित तौर पर बड़ा कदम है। ❑

संदर्भ

- childmortality.org. (यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक, यूएन डीईएसए पॉपुलेशन डिवीज़न)
- childmortality.org. (यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक, यूएन डीईएसए पॉपुलेशन डिवीज़न)
- मातृत्व और किशोर स्वास्थ्य सेवा; पेज-25, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सालाना रिपोर्ट, 2017-2018

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का खाका

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
सुरभि जैन

आज हम इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि यह साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का साल है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की आधारशिला रखी। आज हमारे पास स्वर्णिम 'न्यू इंडिया' (India#75) की परिकल्पना को साकार रूप देने का शानदार मौका है। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (यानी 5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को रेखांकित किया था (#Economy@5trillion)। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक समीक्षा) में अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों को सशक्त बनाने की सोच को जानबूझकर स्वीकार किया गया है ताकि इस परिकल्पना को साकार किया जा सके। सर्वेक्षण में भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल विकसित करने और उसे सूझ-बूझ से रेखांकित किये गये मार्ग पर सुचिंतित साधनों के साथ अग्रसर रखने के लिए तमाम बंधनों से मुक्त 'अभिनव' सोच को अपनाया गया है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर बनाए रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के दौर में किस तरह बदलाव लाया जाए, इसका भी खाका खींचा गया है। इस कोशिश की झलक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आसमानी रंग और उसपर बने आपस में जुड़े कई गियरों के डिजायन से भी मिल जाती है।

सर्वेक्षण परम्परागत सोच से इस मायने में हट कर है कि इसमें अर्थव्यवस्था को या तो दुष्चक्र में या सुचक्र के दौर में दिखाया गया है यानी यह कभी संतुलन की अवस्था में नहीं रहती। एक अन्य महत्वपूर्ण भिन्नता यह भी है कि इसमें आर्थिक विकास, मांग, निर्यात और रोज़गार के अवसर बढ़ाने जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को अकेले संचालित होने वाले की बजाय एक-दूसरे का पूरक बताया गया है। आर्थिक समीक्षा के आवरण पृष्ठ के डिजायन में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के इन परिवर्तों के बीच अंतरसम्बंधों का होना दिखाया गया है और आपस में जुड़े कई गियरों यानी गरारियों के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव, खास तौर पर उच्च विकास दर वाली पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से संकेत मिलता है कि लगातार उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए बचत, निवेश और निर्यात के साथ-साथ अनुकूल जनसांख्यिकीय दौर के उत्प्रेरक सूचक्र का होना भी आवश्यक बताया गया है। निवेश, खास तौर पर निजी निवेश ऐसी प्रमुख उत्प्रेरक शक्ति है जिससे मांग बढ़ती है, क्षमता का सृजन होता है, श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, नयी टेक्नोलॉजी का प्रचलन शुरू होता है, सृजनात्मक विध्वंस की अनुमति मिलती है और रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं। यह उपभोग निर्देशित आर्थिक विकास पर पारंपरिक आर्थिक सोच से हटकर एक नयी सोच है।

5 ट्रिलियन (5 लाख करोड़ डालर) की अर्थव्यवस्था #Economy@5trillion की परिकल्पना को पूरा करने के लिए कार्य नीति का यह खाका प्रस्तुत करते हुए लगातार असंतुलन की स्थिति में रहने वाले अनिश्चित विश्व से गुजरने के बारे में सर्वेक्षण में कुछ युक्तियों का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में सूक्ष्म स्तर पर नीतिगत आघातों की जांच करने का प्रयास किया गया है ताकि समष्टिगत स्तर पर वांछित परिणाम समन्वित रूप में प्राप्त हों जिससे ऐसे आत्मनिर्भर सुचक्र को बढ़ावा मिले जो निवेश और विकास में तेजी लाए।

प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर (यानी 5 लाख करोड़ डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को रेखांकित किया था (#Economy@5trillion), 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक समीक्षा) में अर्थव्यवस्था और उसके नागरिकों को सशक्त बनाने की सोच को जानबूझकर स्वीकार किया गया है ताकि इस परिकल्पना को साकार किया जा सके। सर्वेक्षण में भारत के लिए उपयुक्त आर्थिक मॉडल विकसित करने और उसे सूझ-बूझ से रेखांकित किये गये मार्ग पर सुचिंतित साधनों के साथ अग्रसर रखने के लिए तमाम बंधनों से मुक्त 'अभिनव' सोच को अपनाया गया है

सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभाव को रेखांकित किया गया है जो भारत में व्यवहार परिवर्तन की क्षमता के साक्षी हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के मद्देनजर हमारे सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र ऐसे आवश्यक साधन और सिद्धांत उपलब्ध कराता है जिनसे न केवल यह समझने में

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। सुरभि जैन वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक हैं। ईमेल: cea@nic.in

मदद मिलती है कि किस तरह सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं बल्कि इन मानदंडों के जरिए किस तरह से व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाया जा सकता है। व्यवहार परिवर्तन के लिए स्त्री-पुरुष समानता, स्वस्थ और सुंदर भारत, बचत, कर अदायगी और ऋण गुणवत्ता सहित कई मुद्दों पर व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करके एक महत्वाकांक्षी एजेंडा बनाया जा सकता है।

सर्वेक्षण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए मजबूत बनाने और अधिक उत्पादक बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बन सकें। इसमें यह प्रमाण भी दिया गया है कि 100 से कम कामगारों वाली फर्में 10 साल से अधिक पुरानी होने के बावजूद संख्या की दृष्टि से संगठित क्षेत्र की फर्मों की कुल संख्या का आधे से ज्यादा हैं, लेकिन रोज़गार में उनका हिस्सा केवल 14 प्रतिशत का है। इसी तरह उत्पादकता में उनका योगदान केवल 8 प्रतिशत है। इसके विपरीत 100 से अधिक कामगारों वाली बड़ी फर्मों का रोज़गार प्रदान करने में योगदान तीन चौथाई और उत्पादकता में करीब 90 प्रतिशत है जबकि संख्या की दृष्टि से वे करीब 15 प्रतिशत हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आकार में बढ़ने के लिए हर तरह की सुविधा दी जाए और आकार संबंधी प्रोत्साहनों में 10 साल के बाद स्वत: बंद होने या नवीकरण और पुरानी फर्मों पर पुराने नियमों को लागू करने की शर्त होनी चाहिए। इसके अलावा श्रम कानून संबंधी पाबंदियों को नियंत्रण मुक्त करने से काफी अधिक रोज़गार पैदा किये जा सकते हैं जैसा कि राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में हाल के बदलावों की तुलना करके देखा जा सकता है।

एक ऐसी सदी में अग्रसर होते हुए जहां डेटा ईंधन का काम करता है और डेटा से प्राप्त एनेलिटिक्स निर्णय लेने में काम आने वाला नया औजार बन गया है, सर्वेक्षण में जनता के, जनता के लिए और जनता के द्वारा जनहित में डेटा के सृजन के अनगिनत अवसर दिखाई देते हैं। सरकार के पास पहले ही प्रशासनिक, सर्वेक्षण संबंधी,

चित्र 1 : विकास का सुचक्र

संस्थागत और नागरिकों के लेन-देन संबंधी डेटा का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। लेकिन ये सब डेटा विभिन्न सरकारी संगठनों में बिखरे पड़े हैं। इनके अलग-अलग डेटाबेसों में निहित सूचनाओं का उपयोग करते हुए सरकार को अन्य बातों के अलावा नागरिकों की जीवन की सुगमता बढ़ाने, सही अर्थों में प्रमाण आधारित नीति पर अमल, कल्याण कार्यक्रमों में लक्षित नागरिकों की पहचान करने, बिखरे हुए बाजार और मंडियों को समेकित करने, जन सेवाओं में और अधिक जवाबदेही पैदा करने एवं शासन संचालन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

एक ऐसी सदी में अग्रसर होते हुए जहां डेटा ईंधन का काम करता है और डेटा से प्राप्त एनेलिटिक्स निर्णय लेने में काम आने वाला नया औजार बन गया है, सर्वेक्षण में जनता के, जनता के लिए और जनता के द्वारा जनहित में डेटा के सृजन के अनगिनत अवसर दिखाई देते हैं। सरकार के पास पहले ही प्रशासनिक, सर्वेक्षण संबंधी, संस्थागत और नागरिकों के लेन-देन संबंधी डेटा का समृद्ध भंडार उपलब्ध है।

सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की गयी है कि भारत में कारोबारी सुविधा बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा अनुबंधों पर अमल और विवादों के समाधान की है। न्यायिक प्रणाली में लंबित 3.5 करोड़ मामलों को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या में सिर्फ 2,279 और उच्च न्यायालयों में 93 की बढ़ोतरी करके शत प्रतिशत निस्तारण दर (यानी शून्य लंबित मामले) तक तो पहुंचा ही जा सकता है, भले ही इससे न्यायालयों की दक्षता में कोई सुधार न हो। यह संख्या स्वीकृत पदों के दायरे में है और करना केवल यह है कि रिक्त पदों को भर दिया जाए। अगर अगले पांच वर्षों में सभी मामलों को निपटाने के लिए कार्य दक्षता में बढ़ाने पर विचार करें तो पता चलता है कि वांछित स्तर की कार्य दक्षता लाने का लक्ष्य बहुत अधिक महत्वाकांक्षी तो है, मगर इस तक पहुंचा जा सकता है। सुचारू रूप से कार्य कर रही न्यायिक प्रणाली से होने वाले कई गुना आर्थिक और सामाजिक फायदों को देखते हुए यह भारत में किया जाने वाला सबसे अच्छा निवेश होगा।

आर्थिक नीति की अनिश्चितता का संबंध समष्टिगत आर्थिक माहौल, व्यापारिक दशाओं और निवेश को प्रभावित करने वाले अन्य आर्थिक परिवर्तों से है। आर्थिक नीति में अनिश्चितता बढ़ने से प्रणालीगत जोखिम बढ़ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में पूंजी

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि के लिए ऊर्जा का बड़ा महत्व है। लेकिन दुनिया की कुल आबादी के 18 प्रतिशत लोगों के यहां रहने के बावजूद ऊर्जा के उपयोग में भारत बहुत पीछे है। भारत दुनिया की कुल प्राथमिक ऊर्जा में से केवल 6 प्रतिशत का उपयोग करता है।

की लागत में वृद्धि होती है जिससे निवेश में कमी आ सकती है। यह जेनेरिक आर्थिक अनिश्चितता से अलग है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नीतिनिर्माता आर्थिक नीति की अनिश्चितता को कम कर देश में निवेश का अनुकूल माहौल बना सकते हैं।

अगले दो दशकों में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में तेज गिरावट आना तय है। हालांकि समग्र रूप में देश ''जनसांख्यिकीय लाभ'' के दौर का लाभ प्राप्त करता रहेगा, कुछ राज्य 2030 तक बुजुर्गों वाले समाज की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों की प्रजनन दरें प्रतिस्थापन दर से काफी नीचे पहुंच चुकी हैं। राष्ट्र की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2021 तक प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच जाएगी। लेकिन जनसंख्या में विभिन्न आयुवर्ग के लोगों की संख्या से पता चलता है 2021-31 में भारत की कामकाजी आबादी सालाना करीब 97 लाख की दर से बढ़ेगी और 2031-41 में यह दर 42 लाख पहुंच जाएगी। लेकिन इसके साथ ही स्कूल जाने वाले प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों, यानी 5-14 साल के बच्चों की संख्या में काफी गिरावट आएगी। इसलिए बहुत से राज्यों को नये स्कूल खोलने की बजाय उन्हें समेकित और सुदृढ़ करने पर ध्यान देना होगा। दूसरी ओर आयु पैमाने के दूसरे छोर पर नीतिनिर्माताओं को बुजुर्गों के लिए तैयारियां करनी होंगी। इसके लिए स्वास्थ्य देखभाल पर निवेश बढ़ाने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी करनी होगी।

स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त कामयाबी मिली है और 99.2 प्रतिशत ग्रामीण भारत को पिछले चार साल में इसके दायरे में लाया गया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में शानदार सुधार हुआ है और पांच साल से कम उम्र के बच्चों में पेचिश, मलेरिया, प्रसव के दौरान मौत और जन्म के समय कम वजन (नवजात का वजन 2.5 कि.ग्रा. से कम होना) के प्रकोप को कम करने में मदद मिली है। यह असर उन जिलों में खास तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिनमें निजी घरेलू शौचालय का निर्माण 2015 में कम था। घरेलू शौचालयों से होने वाली वित्तीय बचत इनकी निर्माण लागत से औसतन 1.7 गुना अधिक है और गरीब परिवारों के लिए यह बचत 2.4 गुना तक अधिक है। पिछले चार साल में हुई स्वच्छता से चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एसजीडी) को प्राप्त करने में मदद मिली है, खास तौर पर एसजीडी 6.2 को लागू करने में अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। स्वच्छता को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए इस दिशा में प्रयास जारी रखने चाहिए।

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और समृद्धि के लिए ऊर्जा का बड़ा महत्व है। लेकिन दुनिया की कुल आबादी के 18 प्रतिशत लोगों के यहा रहने के बावजूद ऊर्जा के उपयोग में भारत बहुत पीछे है। भारत दुनिया की कुल प्राथमिक ऊर्जा में से केवल 6 प्रतिशत का उपयोग करता है। भारत में ऊर्जा दरिद्रता की स्थिति आर्थिक गरीबी से कहीं ज्यादा गंभीर है। 2017 में हमारी जनसंख्या के 53 प्रतिशत लोगों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी जबकि चीन में इस तरह के लोगों की संख्या 30 प्रतिशत, ब्राजील में 4 प्रतिशत और मलेशिया में 1 प्रतिशत से कम थी। अपनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2.5 गुना की बढ़ोतरी करके भारत अपने वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 5000 अमेरिकी डालर (2010 के मूल्य पर) की बढ़ोतरी कर सकेगा। इसके अलावा अगर भारत को मानव विकास सूचकांक के 0.8 के स्तर पर पहुंचना है तो उसे ऊर्जा की अपनी खपत में 4 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। पिछले दशकों में ऊर्जा दक्षता पर भारत ने जो जोर दिया है उसने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद की है। जहां कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 2014-15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10 प्रतिशत पहुंच गया है। लेकिन अब भी भारत को अगले दशक में नवीकरणीय ऊर्जा में 250 अरब डालर से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। आवागमन की सुविधा को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए विद्युत चालित वाहनों को अगली पीढ़ी का साधन माना जाता है। बाजार में इस तरह के वाहनों का हिस्सा बढ़ाने के लिए इन्हें तेजी से चार्ज करने की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 2006 से प्रभावी हुई। इस कार्यक्रम को को सरकार ने 2015 में टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर चुस्त-दुरुस्त किया गया। इसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और इसे आधार समन्वित भुगतान के साथ जोड़ना शामिल था। जनधन, आधार और मोबाइल फोन की तिकड़ी (जैम) का फायदा उठाकर मजदूरों की मजदूरी उनके बैंक खातों में जमा करायी जाने लगी जिससे भुगतान में देरी की गुंजाइश कम हो गई। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लागू होने के बाद मजदूरी के भुगतान में देरी काफी कम हो गयी जिससे मुसीबत में फंसे लोगों को आजीविका की सुरक्षा प्राप्त हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत काम की मांग और आपूर्ति दोनों में बढ़ोतरी हुई और आपदाग्रस्त जिलों में ऐसा खास तौर पर हुआ।

भरे हुए मस्टर रॉलों की संख्या में बढ़ोतरी का यह भी मतलब है कि मुसीबत में पड़े मजदूर बार-बार काम के लिए आते हैं। महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नाजुक तबकों के लोगों की मुसीबतों को कम करने में आधार समन्वित भुगतान की सुविधा वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना का महत्व और भी स्पष्ट हो होकर सामने आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत काम की तलाश करने वालों का डेटा रीअल टाइम में उपलब्ध होने से इसके जरिए जिला/

पंचायत स्तर पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को नये सिरे से सफलतापूर्वक डिजायन किये जाने से यह बात रेखांकित होती है कि पक्के संकल्प को जब टेक्नोलॉजी से जोड़कर सरकारी कार्यक्रमों के असर की निगरानी की जाती है तो जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव के अंतर को देखा जा सकता है।

पिछले दो दशकों में भारत के उत्कृष्ट विकास के बावजूद मजदूरी की नीची दरें और इनमें असमानता समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में गंभीर बाधा बनी हुई है। कारगर न्यूनतम मजदूरी नीति जो मजदूरी करने वालों के सबसे दुर्बल निचले तबके के लिए बनायी गयी हो, निवल मांग को बढ़ाने और मध्यम वर्ग के निर्माण व उसे सुदृढ़ करने में काफी मददगार हो सकती है और इस तरह चिरस्थायी और समावेशी विकास का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन हमारे देश की मौजूदा न्यूनतम मजदूरी प्रणाली बहुत ही जटिल है जिसमें राज्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अकुशल मजदूरों की विभिन्न अनुसूचित रोज़गार श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की 1,915 दरों को परिभाषित किया गया है। अपने जटिल ढांचे और समय के साथ अनुसूचित रोज़गारों में बढ़ोतरी के बावजूद मजदूरी पर काम करने वाले सभी कामगार 1948 के न्यूनतम मजदूरी कानून के दायरे में नहीं आते। भारत में मजदूरी पर काम करने वाले हर तीन में से एक कामगार इस कानून की परिधि से बाहर हो जाता है और उसे न्यूनतम मजदूरी कानून का फायदा नहीं मिल पाता। आर्थिक सर्वेक्षण के एक अध्याय में भारत में न्यूनतम मजदूरी की स्थिति की समीक्षा की गयी है और न्यूनतम मजदूरी नीति को युक्तिसंगत तथा चुस्त-दुरुस्त बनाने के उपाय सुझाये गये हैं।

सर्वेक्षण को लेकर रहस्य और भ्रांतियों को दूर करने और आम आदमी को इसमें निहित मंतव्य तक पहुंचने के लिए इसके प्रस्तुतीकरण में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। हर अध्याय में सारांश और 'अध्याय एक नजर में' दिये गये हैं जिनसे पाठक को अध्याय के सारांश को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इनके साथ ही हर अध्याय में दो-दो मिनट के छोटे वीडियो भी दिए गए हैं जिनमें मुख्य विषय की व्याख्या की गयी है। ये वीडियो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं ताकि अधिकतम पाठक सर्वेक्षण को समझ सकें।

सर्वेक्षण में यह बात स्वीकार की गयी है कि समाज व्यक्ति में प्रतिबिंबित होता है और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता प्रत्येक आर्थिक इकाई में परिलक्षित होती है। इसलिए सर्वेक्षण में अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की चयन की स्वतंत्रता को बनाए रखकर उसके व्यवहार पर असर डालने वाले नीतिगत हस्तक्षेप की सराहना की गयी है। यही अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म स्तर पर व्यावसायिक सुगमता लाकर समग्र स्तर पर आर्थिक विकास में जीवंतता लाने के बारे में भी कही जा सकती है। इसमें प्रत्येक नागरिक का आह्वान किया गया है कि वे विभिन्न मुद्दों को लेकर मुक्त दृष्टिकोण अपनाए और #India@75 व #Economy@5trillion के विजन को साकार बनाने के लिए समाधान खोजे। ❑

ग्रामीण भारत

वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2019-20 में ग्रामीण भारत से संबंधित प्रमुख योजनाएं इस तरह हैं-

ग्रामीण भारत

- **उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना** ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार की ज़िंदगी को बदल दिया है और इससे नाटकीय तरीके से उनका जीवन बेहतर हुआ है।
- साल 2022 तक सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए बिजली और खाना बनाने की साफ-सुथरी व्यवस्था।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** का मकसद साल 2022 तक 'सबके लिए घर' का लक्ष्य हासिल करना है:
  - सक्षम लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे (2019-20 से 2021-22)।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)**
  - मत्स्य पालन विभाग द्वारा पीएमएमएसवाई के जरिये मत्स्य प्रबंधन का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया जाएगा।
  - आधारभूत संरचना, आधुनिकीकरण, उत्पादन, उत्पादकता, फसलों की कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण समेत मूल्यशृंखला में प्रमुख कमियों से निपटना।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)**
  - सक्षम और व्यावहारिक ठिकानों को जोड़ने के लिए समय सीमा 2022 से घटाकर 2019 कर दी गई और 97 प्रतिशत ऐसे ठिकाने पहले ही सभी मौसम वाली अनुकूल व्यवस्था के साथ मुहैया कराए जा रहे हैं।
  - हरित तकनीक, कचरा प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स तकनीक का इस्तेमाल कर पीएमजीएसवाई के तहत 30,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई है और इस तरह से कार्बन के असर को कम किया गया है।
  - पीएमजीएसवाई III के तहत 1,25,000 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों को उन्नत (अपग्रेड) किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार और सुधार के लिए फंड की योजना**
  - रोज़गार के दीर्घकालिक अवसर पैदा करने और पारंपरिक उद्योगों को ज्यादा उत्पादक, लाभकारी बनाने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के ज़रिये क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देकर संबंधित लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
  - वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और इसमें बांस, शहद और खादी पर विशेष ध्यान होगा। इससे 50,000 कारीगरों को आर्थिक मूल्य शृंखला से जुड़ने का मौका मिलेगा।
- **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता से जुड़ी योजना (एस्पायर) को मजबूती**
  - 2019-20 में 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर और 20 तकनीक बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।
  - कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 उद्यमियों को कौशल से लैस किया जाएगा।
  - किसानों के खेतों के उत्पाद और संबंधित अन्य गतिविधियां में मूल्य संवर्द्धन के लिए निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - जानवरों का चारा तैयार करना, दूध की मार्केटिंग, प्रसंस्करण और खरीदारी के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर सहकारी समितियों के ज़रिये डेयरी के काम को प्रोत्साहित करना।
  - 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, ताकि उनके हितों का उचित खयाल रखा जा सके।
  - किसानों को ई-नैम का फायदा मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी।
  - जीरो बजट खेती में कुछ राज्यों के किसानों को पहले से प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसे अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा।
- **भारत की जल सुरक्षा**
  - नया जल शक्ति मंत्रालय एकीकृत और संगठित तरीके से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति प्रबंधन पर काम करेगा।
  - साल 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल का लक्ष्य हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन।
  - स्थानीय स्तर पर पानी के एकीकृत मांग और आपूर्ति प्रबंधन पक्ष पर केंद्रित।
  - संबंधित लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर मिलकर काम करना।
  - जल शक्ति अभियान के लिए 1,592 महत्वपूर्ण और 256 जिलों में फैले, दोहन किए गए ब्लॉक की पहचान करना।
  - इस मकसद के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **स्वच्छ भारत अभियान**
  - 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ।
  - 5.6 लाख से भी ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं।
  - हर गांव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान**
  - 2 करोड़ ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल साक्षर बनाया गया।
  - गांवों और शहरों के बीच खाई को पाटने के लिए भारत नेट के तहत हर पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन।
  - भारत नेट को रफ्तार तेज़ करने के लिए पीपीपी प्रणाली के तहत 'यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड' का इस्तेमाल किया जाएगा। ❑

स्रोत - पीआईबी

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के उद्धरण

"भारत के विकास की कहानी में, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका काफी शानदार रही है। यह सरकार महिलाओं की इस भूमिका को और प्रोत्साहित करना चाहती है।"

"हम वैध तरीके से लाभ कमाने को खराब नहीं मानते हैं। नीतिगत मोर्चे पर शिथिलता और लाइसेंस कोटा नियंत्रण वाले दिन लद चुके हैं। भारतीय उद्योग जगत देश में रोज़गार सृजन करने वाला है। यह देश का संपत्ति निर्माता है। आपसी भरोसे के साथ मिलकर हम तेजी से चीजें बदल सकते हैं और सतत राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।"

"भारत सरकार ने नई योजना - प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत उन तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का फायदा देने का फैसला किया है, जिनकी सालाना बिक्री 1.5 करोड़ रुपये से कम है। इस योजना में नामांकन के लिए सिर्फ आधार और बैंक खाता की जरूरत होगी और बाकी चीजें स्व-घोषणा पर हो जाएंगी।"

"स्टैंडअप इंडिया योजना ने मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ाया है। 'कायकवे कैलासा'। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी परिवहन के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमिता के लिए गुंजाइश बनाई है। पिछले दो साल में इस क्षेत्र में 300 से ज्यादा उद्यमी उभरे हैं। साफ-सफाई के लिए मशीन और रोबोट की तैनाती की गई है, जिससे सफाई कर्मियों की गरिमा भी बनी रही।"

"संपर्क संबंधी आधारभूत संरचना को अगले स्तर पर ले जाने के मकसद से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम सफल मॉडल तैयार करेंगे-एक राष्ट्र, एक ग्रिड। गैस ग्रिड, वॉटर ग्रिड, आई-वे और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए मैं इस साल रूपरेखा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं।"

"मैं सेबी नियामकीय दायरे में इलेक्ट्रॉनिक फंड जुटाने वाले प्लेटफॉर्म - एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए उपायों का प्रस्ताव करती हूं। इसका मकसद सामाजिक कल्याण के मकसदों के लिए काम कर रहे सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध कराना है, ताकि वे इक्विटी, डेब्ट या म्यूचुअल फंड की इकाइयों के तौर पर पूंजी जुटा सकें।"

"बड़ी सार्वजनिक आधारभूत संरचनाएं केंद्रीय मंत्रालयों और सीपीएसई की जमीन पर बनाई जा सकती हैं। संयुक्त विकास और छूट जैसे नवोन्मेषी तरीकों से सार्वजनिक आधारभूत संरचना और सस्ते घर की दिशा में काम किया जाएगा।" ❑

स्रोत : *www.pib.nic.in*
www.indiabudget.gov.in

केंद्रीय बजट 2019-20

रुपया आता है

केंद्रीय बजट 2019-20

रुपया जाता है

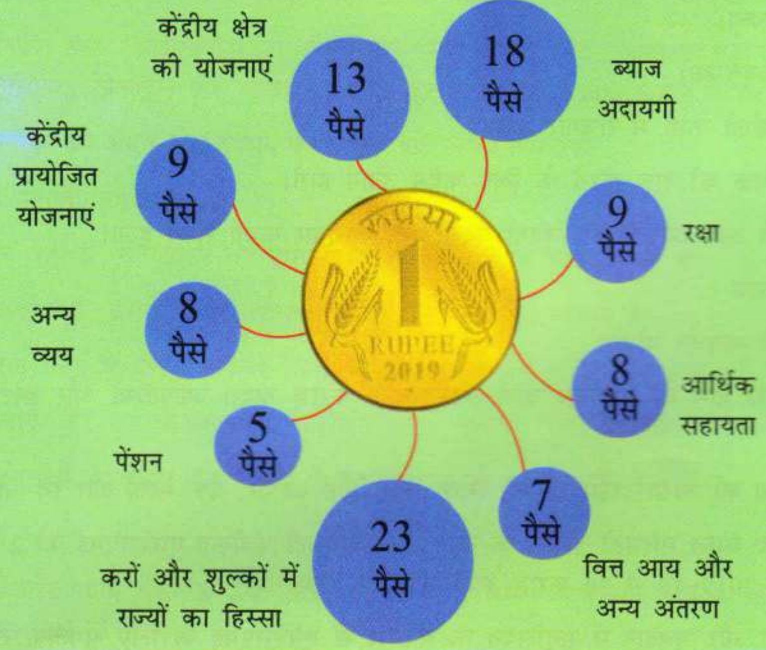

बजट 2019-20 की प्रमुख बातें

दशक के लिए 10 सूत्री नजरिया

- जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया बनाना: मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।
- प्रदूषण-मुक्त भारत के ज़रिये हरी धरती और नीले आसमान का लक्ष्य हासिल करना।
- डिजिटल इंडिया की पहुंच को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना।
- गगनयान, चंद्रयान और अंतरिक्ष व उपग्रह से जुड़े अन्य कार्यक्रमों को शुरू करना।
- भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना तैयार करना।
- जल, जल प्रबंधन, साफ नदियां।
- नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी)।
- आत्म-निर्भरता और खाद्यानों, दालों, तिलहन, फल और सब्जियों का निर्यात।
- आयुष्मान भारत, बेहतर पोषण वाली महिलाओं और बच्चों, नागरिकों की सुरक्षा के ज़रिये सेहतमंद समाज का लक्ष्य प्राप्त करना।
- मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्टअप, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियों और मेडिकल उपकरणों पर जोर।

5 ट्रिलियन डॉलर (5 लाख करोड़ अमरीकी डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए

- मौजूदा साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
- सरकार का लक्ष्य भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
- इन क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है:
  - आधारभूत संरचना।
  - डिजिटल अर्थव्यवस्था।
  - छोटी और मझोली फर्मों में रोजगार सृजन।
- निवेश के बेहतर चक्र को शुरू करने के लिए कदम उठाने होंगे।
- मुद्रा लोन के ज़रिये आम आदमी की ज़िंदगी बदली और कारोबार करना सुगम हुआ।

एमएसएमई से जुड़े उपाय

- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना
- 1.5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाले तकरीबन 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का फायदा।
- नामांकन की प्रक्रिया को आसान रखा जाएगा, इसके लिए सिर्फ आधार, बैंक खाता और स्व-घोषणा की जरूरत होगी।
- एमएसएमई के लिए ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष 2019-10 में 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- बिलों की फाइलिंग और भुगतान में सहूलियत के मकसद से एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि सरकारी भुगतान में देरी नहीं हो।

आसान होगी ज़िंदगी (ईज़ ऑफ लिविंग)

- तकरीबन 30 लाख कमी प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना से जुड़े हैं। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल पूरा होने पर 3,000 रुपये महीना पेंशन देने की बात है।
- उज्ज्वला योजना के तहत करीब 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे 18,341 करोड़ रुपये सालाना की बचत हुई।
- एलईडी बल्ब मिशन की तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले चूल्हों और बैटरी चार्जर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

नारी तू नारायणी

- महिला केंद्रित नीतियों के बजाय अब महिलाओं की अगुवाई में अभियान और पहल पर जोर।
- लैंगिक बजट पर आगे बढ़ने के लिए सरकारी और निजी प्रतिनिधियों वाली कमेटी का प्रस्ताव किया गया।
- स्वंय सहायता समूहः
    - महिला स्वयं सहायता समूह ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का दायरा सभी जिलों तक फैलाने का प्रस्ताव किया गया है।
    - सहायता समूह की प्रत्येक वैसी महिला सदस्य को 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट रकम निकालने की अनुमति होगी, जिनके पास जनधन खाता है।
    - हर स्वयं सहायता समूह में एक महिला मुद्रा योजना के तहत 1 लाख के लोन के लिए सक्षम होगी।

भारत की ताकत

- भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई के लिए उनके आगमन पर 180 दिनों का इंतजार किए बिना आधार कार्ड जारी किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।
- पारंपरिक कारीगरों को जरूरी पेटेंट और भौगोलिक संकेतकों के साथ वैश्विक बाजार से जोड़ने के मिशन का प्रस्ताव।
- अफ्रीका में मार्च 2018 के दौरान 18 नए भारतीय राजनयिक दूतावासों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 5 खुले भी हैं। 2019-20 में 4 और नए दूतावास खोले जाने का लक्ष्य है।
- भारतीय विकास सहायता योजना (आइडियाज़) के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है।
- 17 प्रमुख पर्यटन स्थलों को पर्यटन के विश्वस्तरीय ठिकानों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- मौजूदा डिजिटल संग्रह का मकसद समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उसे मजबूत करना है।

डिजिटल भुगतान

- किसी बैंक खाते से साल में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।
- 50 करोड़ से ज्यादा की सालाना बिक्री वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को सस्ते डिजिटल भुगतान माध्यमों का विकल्प पेश कर सकेंगे और ग्राहकों और व्यापारियों पर किसी तरह का शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा।

उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में बड़ा निवेश

- सेमी-कंडक्टर फैब्रिकेशन (एफएबी), सोलर फोटो वोल्टैक सेल, लिथियम स्टोरेज बैटरी, कंप्यूटर सर्वर, लैपटॉप आदि क्षेत्रों में बड़े विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने की योजना।
- अप्रत्यक्ष कर संबंधी लाभ समेत आयकर में निवेश आधारित छूट दी जाएगी। ❑

स्रोत : पीआईबी

महिला सशक्तीकरण की कवायद

शाहीन रज़ी
नौशीन रज़ी

"जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। किसी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।"
– स्वामी विवेकानंद

'नारी तू नारायणी' - इस देश की परंपरा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2019-20 में इन्हीं शब्दों के साथ महिला सशक्तीकरण संबंधी उपायों की घोषणा की।

सशक्तीकरण बहु-पक्षीय, बहु-आयामी और बहु-स्तरीय अवधारणा है। महिला सशक्तीकरण ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं का संसाधनों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण होता है। इसमें संसाधनों यानी भौतिक, इंसानी और बौद्धिक, जैसे ज्ञान संबंधी सूचना, विचारों और वित्तीय संसाधन पर महिलाओं की पकड़ होती है। साथ ही, इस प्रक्रिया के तहत घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र में फैसले लेने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और उनके पास पैसे की उपलब्धता भी होती है।

केंद्रीय बजट 2019-20 में 15वीं बार जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) यानि बजट में महिला सशक्तीकरण के पहलुओं को जगह दी गई है। बजट में जीआरबी को पहली बार 2005-06 को शामिल किया गया था। इस साल जीआरबी का विशेष महत्व है, क्योंकि मोदी 2.0 सरकार का पहला बजट किसी पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2003-04 में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में भी जीआरबी की वकालत करते हुए इसे आगे बढ़ाया था।

कई देशों में जीआरबी को वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ लैंगिक समानता की दिशा में काम करने का ताकतवर राजकोषीय हथियार माना जाता है। जीआरबी न सिर्फ महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के आवंटन का मामला है, बल्कि इसके तहत पूरे बजटीय अभियान में लैंगिक नज़रिये का उपयोग कर इस पर अमल भी किया जाता है। साथ ही, इस प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों का खयाल रखा जाता है।

कुल मिलाकर, 2019-20 के लिए लैंगिक बजट आवंटन 131,699.58 करोड़ रुपये है, जबकि 2018-19 में यह रकम 121,961.32 करोड़ रुपये थी। यह आवंटन बजट के कुल खर्च का करीब 5 प्रतिशत है। आवंटन की पर्याप्तता से जुड़े सार्थक विश्लेषण के लिए मौजूदा आवंटन के उपयोग को लेकर गहरे विश्लेषण की जरूरत

डॉ. शाहीन रज़ी एमिरेटस यूजीसी फेलो, अर्थशास्त्री और एकेडेमीशियन हैं। ईमेल: shahin.razi@gmail.com
नौशीन रज़ी प्रबंध सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईमेल: naushin.razi-1@gmail.com

होंगे। 2019-20 के अंतरिम बजट में एक सकारात्मक बात यह रही कि लैंगिक बजट सूचना (जेंडर बजट स्टेटमेंट) में वास्तविक खर्च से जुड़ी सूचना पेश की गई। यह तरीका बाकी बजट के लिए पहले से अपनाए जा रहे तौर-तरीकों के मुताबिक है। वित्त मंत्री ने जीआरबी के मूल्यांकन और आगे की राह के लिए कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देने को एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। कमेटी में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वित्त मंत्री ने संसद में हाल में हुए संसदीय चुनावों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने मतदान में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और संसद में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने महिला केंद्रित के बजाय महिलाओं की अगुवाई (नारी तू नारायणी) वाले कार्यक्रमों पर सरकार के जोर के बारे में जिक्र किया। दुनिया में महिलाओं के कल्याण के महत्व पर स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मानती है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी के माध्यम से ही हमारा देश विकास कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि भारत के विकास की कहानी में, विशेष तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सरकार इस भूमिका को और आगे बढ़ाना चाहती है। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर दिलचस्प तरीका पेश किया गया है: सर्वे में नोबल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के सिद्धांत से प्रेरणा ली गई है और 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों से हुए सफल बदलावों को ध्यान में रखते हुए 'बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजयलक्ष्मी' का नारा दिया गया है, ताकि कार्यबल और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को और बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को 29,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के मकसद से इसमें साल 2018-19 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र (जिसमें पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं) के लिए आवंटित कुल राशि 4,178 करोड़ है, जो 2018-19 में 2,551 करोड़ रुपये थी।

बजट में मातृत्व लाभ और बाल सुरक्षा सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवंटन में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई और इसे 1,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,500 करोड़ कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत बाल सुरक्षा सेवा कार्यक्रमों के लिए आवंटन 925 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

अगले वित्त वर्ष के मद में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,164.90 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। पिछले साल के आवंटन के मुकाबले इसमें 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका बड़ा हिस्सा (19,834.37 करोड़ रुपये) आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए चिह्नित किया गया है। इससे महिलाओं की अगुवाई में विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

मौजूदा वित्त वर्ष में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' परियोजना को 280 करोड़ रुपये मिलेंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन को 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस मिशन का मकसद कुपोषण, रक्तहीनता और कम वजन वाले बच्चों की जन्म दर को कम करना और देशभर के 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना है।

महिला शक्ति केंद्रों के लिए आवंटन 115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन 28,914 करोड़ था।

केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को 29,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के मकसद से इसमें साल 2018-19 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र (जिसमें पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं) के लिए आवंटित कुल राशि 4,178 करोड़ है, जो 2018-19 में 2,551 करोड़ रुपये थी।

pib

नारी तू नारायणी

UNION BUDGET 2019-20

महिला केंद्रित नीति से महिलाओं के नेतृत्व में पहल तक

- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में
- महिला स्वयं सहायता समूहों की, जनधन बैंक खाते वाली प्रत्येक सत्यापित सदस्य को 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा

वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में एक सकारात्मक बात यह रही कि लैंगिक बजट सूचना (जेंडर बजट स्टेटमेंट) में वास्तविक खर्च से जुड़ी सूचना पेश की गई। यह तरीका बाकी बजट के लिए पहले से अपनाए जा रहे तौर-तरीकों के मुताबिक है। वित्त मंत्री ने जीआरबी के मूल्यांकन और आगे की राह के लिए कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देने को एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया है। कमेटी में सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वित्त मंत्री ने संसद में हाल में हुए संसदीय चुनावों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने मतदान में महिलाओं की व्यापक भागीदारी और संसद में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने महिला केंद्रित के बजाय महिलाओं की अगुवाई (नारी तू नारायणी) वाले कार्यक्रमों पर सरकार के जोर के बारे में जिक्र किया। दुनिया में महिलाओं के कल्याण के महत्व पर स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार मानती है कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी के माध्यम से ही हमारा देश विकास कर सकता है। उनका यह भी कहना था कि भारत के विकास की कहानी में, विशेष तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और सरकार इस भूमिका को और आगे बढ़ाना चाहती है। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर दिलचस्प तरीका पेश किया गया है: सर्वे में नोबल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के सिद्धांत से प्रेरणा ली गई है और 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियानों से हुए सफल बदलावों को ध्यान में रखते हुए 'बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजयलक्ष्मी' का नारा दिया गया है, ताकि कार्यबल और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को और बढ़ावा दिया जा सके।

केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को 29,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के मकसद से इसमें साल 2018-19 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र (जिसमें पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं) के लिए आवंटित कुल राशि 4,178 करोड़ है, जो 2018-19 में 2,551 करोड़ रुपये थी।

बजट में मातृत्व लाभ और बाल सुरक्षा सेवाओं से जुड़े केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को भी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए आवंटन में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई और इसे 1,200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,500 करोड़ कर दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत बाल सुरक्षा सेवा कार्यक्रमों के लिए आवंटन 925 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया।

अगले वित्त वर्ष के मद में महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए 29,164.90 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। पिछले साल के आवंटन के मुकाबले इसमें 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका बड़ा हिस्सा (19,834.37 करोड़ रुपये) आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए चिह्नित किया गया है। इससे महिलाओं की अगुवाई में विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

मौजूदा वित्त वर्ष में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' परियोजना को 280 करोड़ रुपये मिलेंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन को 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इस मिशन का मकसद कुपोषण, रक्तहीनता और कम वजन वाले बच्चों की जन्म दर को कम करना और देशभर के 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना है।

महिला शक्ति केंद्रों के लिए आवंटन 115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन 28,914 करोड़ था।

नारी तू नारायणी

महिला केंद्रित नीति से महिलाओं के नेतृत्व में पहल तक

- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में
- महिला स्वयं सहायता समूहों की, जनधन बैंक खाते वाली प्रत्येक सत्यापित सदस्य को 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा
- प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा

केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को 29,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात है। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के मकसद से इसमें साल 2018-19 के मुकाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र (जिसमें पोषण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शामिल हैं) के लिए आवंटित कुल राशि 4,178 करोड़ है, जो 2018-19 में 2,551 करोड़ रुपये थी।

जो पिछले वित्त वर्ष से 4,400 करोड़ रुपये ज्यादा है।

राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए आवंटन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया, ताकि कामकाजी महिलाओं के लिए काम के दौरान अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ना संभव हो सके।

इसी तरह, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के लिए आवंटन में तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई और इसे 52 करोड़ से बढ़ाकर 165 करोड़ कर दिया गया।

सभी महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने, उज्ज्वला के लिए बजट, महिलाओं की तस्करी रोकने, बचाव और पुनर्वास के मद में बजट 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

> महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर लक्ष्य हासिल किए बिना विकास का सफर तय नहीं किया जा सकता है। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 50 प्रतिशत है। देश को इस रास्ते पर पहुंचाने के लिए महिलाओं के कल्याण की दिशा में बहु-आयामी मोर्चे पर संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है। भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए देश में ताकतें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

इसी तरह, विधवाओं के घर के लिए बजट 8 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हुए स्वयं-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए पहल की है। उन्होंने समूहों के हर सदस्य को उनके जनधन खाते के ज़रिये 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी है। साथ ही, मुद्रा योजना के तहत प्रति स्वयं सहायता समूह हर महिला के लिए 1 लाख के कर्ज का भी प्रावधान किया गया है। तकरीबन 70 प्रतिशत मुद्रा लाभार्थी महिलाएं हैं।

सरकार ने ब्याज पर सब्सिडी देने से जुड़ी योजना का विस्तार किया है - महिला स्वयं सहायता समूहों को सभी जिलों के कर्ज की सुविधा का लाभ उठाने की इजाजत दी है।

वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से उज्ज्वला और सौभाग्य योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और साल 2022 तक हर ग्रामीण परिवार में बिजली और रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा होगी।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण से जुड़े मिशन के लिए कुल बजट को 1,148 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,315 करोड़ रुपये कर दिया गया।

हालांकि, बजट भाषण में मुद्रा लोन और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया, धुआंमुक्त रसोई घर के लिए उज्ज्वला और महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन से परे ज्यादा कुछ नहीं उल्लेख किया गया। वैसे महिला स्वयं-सहायता समूहों की सहायता के लिए भी कुछ नए उपायों के बारे में घोषणा की गई, जैसे ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर सभी जिलों तक करना। ये महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जिनसे हाल के वर्षों में महिलाओं को फायदा हुआ है।

अगर भारत को निर्णायक रूप से लैंगिक स्थिति में बदलाव करना है, तो महिलाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय नीति का प्रमुख हिस्सा बनाना होगा और इस मोर्चे पर भी स्वच्छ भारत की तरह मजबूत अभियान तैयार कर इसे शुरू करना होगा।

महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर लक्ष्य हासिल किए बिना विकास का सफर तय नहीं किया जा सकता है। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 50 प्रतिशत है। देश को इस रास्ते पर पहुंचाने के लिए महिलाओं के कल्याण की दिशा में बहु-आयामी मोर्चे पर संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है। भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए देश में ताकतें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ❑

संदर्भ

1. गुलाटी, नलिनी-वुमन-लेड इनिशिएटिव्स
2. अलग-अलग अखबार।

परिवहन : बुनियादी ढांचे पर ज़ोर

जी. रघुराम

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा था कि अनुयोजकता या संपर्क अर्थव्यवस्था की जीवनशक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारों, समर्पित माल गलियारों, भारतमाला तथा सागरमाला परियोजनाओं, जल मार्ग विकास और उड़ान योजना के माध्यम से सभी प्रकार के संपर्क को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री के इन बयानों ने कई मायनों में, सरकार की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित किया है। इन प्राथमिकताओं में डिजिटल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) का उपयोग जैसे संबंधित क्षेत्रों पर जोर देना भी शामिल है।

वर्षों से इस वार्षिक बजट की कवायद का सकारात्मक बिंदु यह है कि इसमें किए जाने वाले वार्षिक आवंटन, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक लंबी अवधि की परियोजना का हिस्सा हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की उपरोक्त टिप्पणियों में ऐसी कई परियोजनाओं/योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण सड़क विकास आवंटन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दीर्घकालिक चरणों का हिस्सा हैं। यह परियोजना देश की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही है। वर्ष 2000 में परियोजना की शुरुआत के बाद, पहले चरण में मार्च 2019 में 178,184 पात्र बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लक्ष्य को 93 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिदिन 140 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। शेष 7 प्रतिशत निर्माण कार्य या तो अभी संभव नहीं है या राज्यों ने उन्हें अन्य योजनाओं के तहत ले लिया है। हर मौसम में इस्तेमाल होने योग्य कुल लगभग 6 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। परियोजना का दूसरा चरण 2013 में शुरू हुआ, जिसमें अधिक यातायात वाली पहले चरण की सड़कों के उन्नयन (सुधार) पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें सड़कों के रखरखाव के कार्य में राज्यों को भी शामिल किया गया। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में अब 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों के उन्नयन की घोषणा की गई है। सड़कों के रखरखाव की आवश्यकताओं और निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। हालांकि, पीएमजीएसवाई ने जरूरत पर आधारित सड़क उन्नयन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है लेकिन सेवाओं के जरिए सड़क संपर्क अब भी एक चुनौती है। कई बस्तियां जो आने और जाने दोनों के लिए मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी हैं, वहां सेवा प्रदाताओं को दोनों ओर की मांग की संभावना नहीं दिखती और इसलिए यहां सेवाएं प्रदान करना उन्हें लाभप्रद नहीं लगता। बस्तियों के लिए दो-तरफा सड़क संपर्क से सेवा प्रदाता बस्तियों के बीच सड़क संपर्क स्थापित कर सकेंगे और 'मार्गों के माध्यम से व्यवहार्य' विकास कर सकेंगे।

अब बात करते हैं औद्योगिक गलियारों की। अभी पांच औद्योगिक गलियारे हैं जिनमें दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा नियोजन की दृष्टि से सबसे उन्नत है। अन्य गलियारे हैं, चेन्नई-बेंगलुरु, बेंगलुरु-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता और विशाखापट्टणम-चेन्नई।

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जारी प्रयासों और गति में आवश्यक वृद्धि को मान्यता दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए व्यापक नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था का लाभ उठाने और इंटरमॉडल तथा अंतिम मील संपर्क उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी

रेल-आधारित समर्पित मालढुलाई गलियारे, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर और अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए परिवहन का आधार प्रदान करते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2016 के बजट में कोलकाता-मुंबई, दिल्ली-चेन्नई और खड़गपुर-विजयवाड़ा

लेखक भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में निदेशक हैं। ईमेल: director@iimb.ac.in

समर्पित मालढुलाई गलियारों की घोषणा की गई थी। विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे को दिल्ली-चेन्नई और खड़गपुर-विजयवाड़ा समर्पित मालढुलाई गलियारों द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस बजट में वर्तमान में निर्माणाधीन पश्चिमी समर्पित मालढुलाई गलियारा और पूर्वी समर्पित मालढुलाई गलियारा को तवज्जो दी गई है। संभवत:, इन दोनों गलियारों का निर्माण कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ऐसा किया गया है।

बजट में इस नीति का स्पष्ट विवरण था कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाने का एक तरीका है। वर्ष 2030 तक कुल 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख किया गया है। आशा है कि मालढुलाई की मात्रा और दूरी की दृष्टि से रेलों की भागीदारी 2032 तक वर्तमान 35 प्रतिशत से बढ़ कर 50 प्रतिशत हो जाएगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पर्याप्त निवेश और ग्राहकोन्मुखी सेवाएं न हों।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लगभग सभी बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में, सबसे पहले सेवाओं का और उसके बाद अन्य बुनियादी सुविधाओं का निजीकरण किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, विमानन और जहाजरानी क्षेत्र जहां सेवाएं मुख्य रूप से निजी हाथों में हैं। हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था को लागू किया गया है। विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में से, रेलवे सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था का लाभ उठाने में पीछे रह गया है।

सड़क क्षेत्र ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के जरिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र को लगातार सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर जोर देते हुए टोलिंग, गैर-टोल आय, आर्थिक रूप से लाभप्रदता में कमी की स्थिति में निधिकरण, संचालन-रखरखाव-हस्तांतरण (ओएमटी), टोल-संचालन-हस्तांतरण और हाईब्रिड वार्षिक मॉडल आदि को अपनाने का लाभ मिला है। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में / सदी के अंत में, लंबी अवधि की परिकल्पना के साथ एक बड़ी परियोजना के विचार ने निवेश को प्रेरित किया। इसकी शुरुआत स्वर्णिम चतुर्भुज से हुई, इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और हाल में **भारतमाला** का विकास हुआ। **भारतमाला चरण** 1 के 34,800 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत का अनुमान है। **भारतमाला चरण** 2 में 3,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 4,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और राज्य सरकारों को उनके सड़क विकास के लिए सहायता दी जानी है। सड़क क्षेत्र काफी आगे बढ़ा है, इसके साथ ही कानूनी विवाद भी बढ़े हैं, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनके कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक समय लगने से इनकी लागत भी बढ़ती है।

पीएमजीएसवाई और एनएचडीपी / भारतमाला की केंद्र सरकार की पहल ने राज्य सरकारों को सड़क नेटवर्क में विस्तार का रास्ता भी दिखाया है। कई राज्यों ने सार्वजनिक - निजी भागीदारी के जरिए उच्च घनत्व वाले गलियारों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना की है। इसी तरह, कई राज्यों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एमएमजीएसवाई) जैसी योजनाएं हैं जिनके तहत सभी मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली सड़कों का निर्माण कर, पीएमजीएसवाई स्तरों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराया गया है।

भारत में सड़क मार्ग से मालढुलाई का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में सड़क सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क नेटवर्क में सुधार से सबसे अधिक फायदा ट्रक उद्योग को हुआ है। इससे उनकी आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और आपूर्ति श्रृंखला के लिए डिजिटल अवसरों से लाभ उठाने का विश्वास बढ़ा है। इसके अलावा ट्रक उद्योग मालढुलाई कारोबार में सकारात्मक रूप से बदलाव करने में सक्षम बना है। इस बजट में इस बारे में घोषित किए गए सभी प्रोत्साहनों

के साथ **इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित** किया गया है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण के स्तर और कार्बन प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है।

भारतमाला की तरह, **सागरमाला** भारत के समुद्र तट पर एक एकीकृत परियोजना है। इससे, निर्यात और आयात को सुविधाजनक बनाने के अलावा, तटीय परिवहन के क्षेत्र में सुधार होने की आशा है। एक समग्र स्तर पर, भारत में बंदरगाह क्षमता, निजी भागीदारी से महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई और निर्यात-आयात मांग को पूरा कर रही है।

जल मार्ग विकास परियोजना के जरिए अंतर्देशीय जल परिवहन को भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा गया है। इसमें महत्वपूर्ण स्थानों पर टर्मिनल और राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास शामिल है। इसमें चुनौती इंटरमॉडल और अंतिम मील कनेक्टिविटी की होगी। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी चुनौतियों, जैसे नदियों पर तलछट और रात्रि नौवहन को सुनिश्चित करने की है।

विमानन क्षेत्र में, एक लंबे अंतराल के बाद, हवाई अड्डों में फिर से सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था लागू की गई है। शुरू में 2004-07 की अवधि में पांच हवाई अड्डों (कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली) के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। निविदा तथा बोली, अनुबंध और पर्यावरण से संबंधित कई चिंताओं के बाद, हवाई अड्डों का निजीकरण रोक दिया गया था। अब पिछले कुछ वर्षों में इस मोर्चे पर फिर काम शुरू किया गया है, जिसमें नवी मुंबई और मोपा (गोवा) शामिल हैं। नई राज्य सरकार द्वारा भोगापुरम (विशाखापट्टणम) की समीक्षा की जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह आधुनिकीकृत हवाई अड्डों का अनुबंध संचालन-रखरखाव-हस्तांतरण व्यवस्था के तहत बोली जीतने वाले एक बोलीदाता को दिया गया है। इन्हें निजी-सार्वजनिक भागीदारी व्यवस्था के तहत लाने से उम्मीद है कि ग्राहक सेवा में सुधार होगा और विशेषकर गैर-वैमानिक आय के माध्यम से हवाई अड्डों की ग्राहक सेवाओं और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।

सेवा कनेक्टिविटी के संदर्भ में, सरकार के प्रयासों से उड़ान योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। यह अब अपने तीसरे दौर में चल रही है जहां चयनित ऑपरेटरों को आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। विनियमित और अनियमित (सब्सिडी के साथ) किराए के संयोजन के साथ, कम सेवाओं वाले हवाई अड्डों और मार्गों को मुख्यधारा में लाया गया है। बजट में, सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया के निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो लगातार घाटे में चल रही है।

कुल मिलाकर, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जारी प्रयासों और गति में आवश्यक वृद्धि को मान्यता दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए व्यापक नियोजन, निगरानी और कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था का लाभ उठाने और इंटरमॉडल तथा अंतिम मील संपर्क उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। ❑

आर्थिक समीक्षा और बजट

ए के दुबे

इस वर्ष 5 जुलाई को संसद में नई सरकार का बजट पेश किया गया। बजट आम तौर पर सरकार की सार्वजनिक घोषणा होती है, जिसमें वह अपनी प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों और लक्ष्यों तथा उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के साधनों एवं लक्ष्य प्राप्त करने के कदमों के बारे में बताती है। बजट विभिन्न उपायों के ज़रिये अर्थव्यवस्था के नियमन का प्रयास करता है।

वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश होने से पहले संसद में वर्ष की आर्थिक समीक्षा पेश की गई। आर्थिक समीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आते हैं, जिनका ध्यान बजट को समझते और उसका विश्लेषण करते समय रखना होता है। उनमें से कुछ बुनियादी तथ्य यहां संक्षेप में दिए गए हैं:

(अ) वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही, जो 2017-18 में 7.5 प्रतिशत थी। बजट में 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछले पांच वर्ष में औसत वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है।

(आ) 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा जताई गई है। इसके लिए अगले 5 वर्ष तक 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करना जरूरी होगा।

(इ) समीक्षा में यह भी कहा गया है कि पिछले पांच वर्ष के ढांचागत सुधारों के कारण 2019-20 के दौरान वृहद आर्थिक स्थितियां सामान्य रहने की अपेक्षा है।

(ई) राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर सीमित रहा है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जोड़ दिया जाए तो यह 5.8 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वास्तव में यह पिछले वर्ष के 6.4 प्रतिशत की तुलना में कम है।

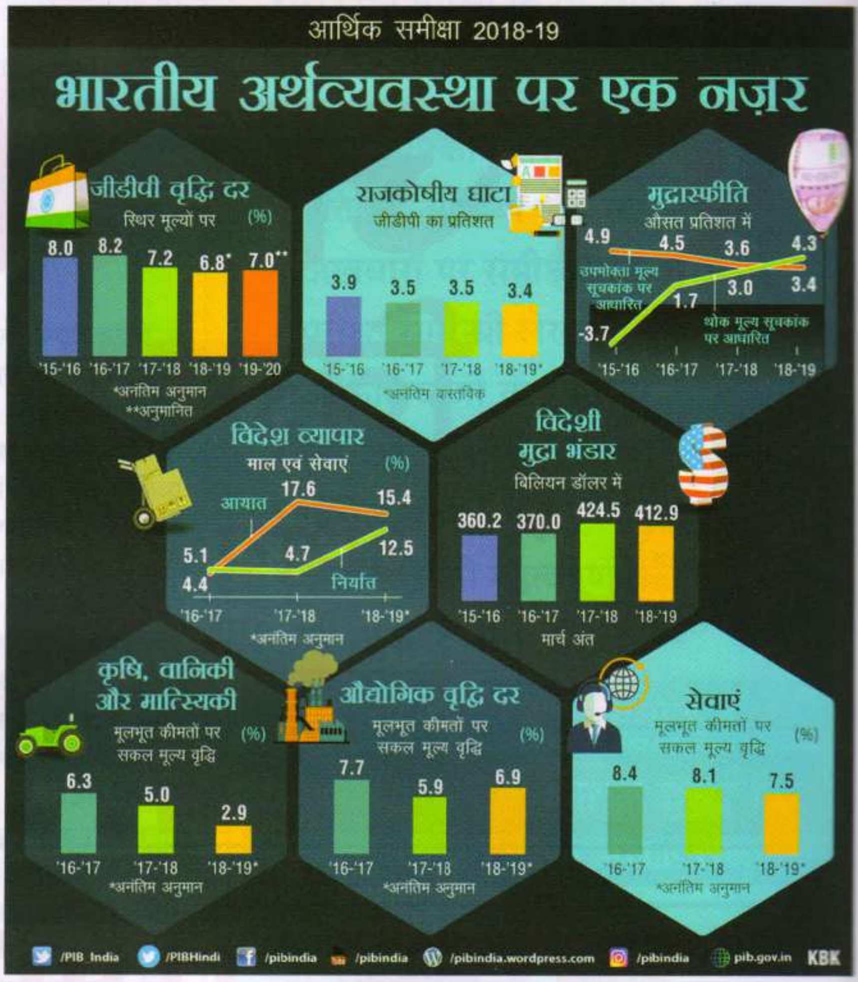

(उ) 2017-18 में चालू खाते का घाटा 1.9 प्रतिशत था, जो अप्रैल से दिसंबर, 2018 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। ऐसा व्यापार घाटा अधिक रहने के कारण हुआ है। व्यापार घाटा 2017-18 के 162.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 184 अरब डॉलर हो गया।

बजट: मुख्य बिंदु

इस बार के बजट में कुछ लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं और ढांचागत सुधार के कुछ आरंभिक उपाय भी किए गए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(अ) पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क एवं सड़क उपकर में 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। इससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं।

(आ) सोने और कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सोना महंगा हो जाएगा। महंगा होने के बाद भी पारंपरिक पसंद होने के कारण सोने पर अच्छा खासा खर्च किया जाता है। इसकी कीमत एक सीमा तक बहुत नहीं बदलती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि सोना महंगा होने पर

लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। वे भारत सरकार में सचिव (युवा मामले) के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। ईमेल: akdubey23@hotmail.com

भी खरीदा ही जाएगा।

(इ) किफायती मकान (45 लाख रुपये तक) की खरीद पर आयकर में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती मिल रही है। इससे सुस्त आवासीय क्षेत्र में तेजी आने के आसार हैं। बजट में आवास वित्त कंपनियों को (राष्ट्रीय आवास बैंक से हटाकर) भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाने की बात भी कही गई है।

(ई) आयकर में भी अहम बदलाव होने जा रहे हैं:

क. 2 से 5 करोड़ रुपये तक वार्षिक आय पर कर देनदारी में 3 प्रतिशत की और 5 करोड़ रुपये से अधिक आय पर 7 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

ख. 400 करोड़ रुपये तक कारोबार वाली कंपनियों को केवल 25 प्रतिशत की दर से निगमित कर देना पड़ेगा, जो पहले से कम है।

ग. आयकर विभाग के साथ संपर्क आसान करने के लिए स्वत: कर आकलन की व्यवस्था की गई है ताकि विभाग से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करना पड़े। साथ ही आयकर रिटर्न फॉर्म में कुछ जानकारियां पहले से ही भरी होंगी।

घ. वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर स्रोत पर ही 2 प्रतिशत कर (टीडीएस) कटौती का प्रावधान है। इसका लक्ष्य नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और नकदरहित लेनदेन को बढ़ावा देना है। आदर्श स्थिति में प्रचलन में कम नकदी रहेगी और अधिक नकदरहित लेनदेन से धन की और जीडीपी की गति बढ़ेगी।

(उ) सरकार कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम करने पर विचार कर सकती है। ऐसा उपक्रम को देखकर किया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बारे में फैसला लेते समय कंपनी एवं उसके कारोबार के कुछ खास तथ्यों और स्थितियों पर विचार किया जाएगा। बजट में भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लाभांश एवं अधिशेष तथा विनिवेश से कुल 1.06 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान लगाया गया है।

(ऊ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी। बैंकों पर गैर निष्पादित आस्तियों और फंसी

आयकर विभाग के साथ संपर्क आसान करने के लिए स्वत: कर आकलन की व्यवस्था की गई है ताकि विभाग से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करना पड़े। साथ ही आयकर रिटर्न फॉर्म में कुछ जानकारियां पहले से ही भरी होंगी। वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर स्रोत पर ही 2 प्रतिशत कर (टीडीएस) कटौती का प्रावधान है। इसका लक्ष्य नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और नकदरहित लेनदेन को बढ़ावा देना है। आदर्श स्थिति में प्रचलन में कम नकदी रहेगी और अधिक नकदरहित लेनदेन से धन की और जीडीपी की गति बढ़ेगी

हुई संपत्तियों का बोझ है। पूंजी मिलने से उनका बोझ हलका होने का अनुमान है।

(ए) 400 करोड़ रुपये तक कारोबार वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में निगमित कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। निवेशकों के लिए भी प्रोत्साहन हैं। नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा कुल राशि के 60 प्रतिशत के बजाय अब समूची राशि की निकासी करमुक्त हो जाएगी।

(ऐ) आवासीय संपत्ति की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को यदि स्टार्ट-अप में निवेश कर दिया जाए तो उस पर कर नहीं देना होगा। इस योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दी गई है।

(ओ) इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद पर अब 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो खासा दिलचस्प प्रोत्साहन होगा।

(औ) एनबीएफसी को अब रिजर्व बैंक के एनबीएफसी नियमन की साझी संपत्तियों के अंतर्गत ला दिया गया है। साथ ही कर्ज पर डिफॉल्ट की सूरत में आंशिक सरकारी गारंटी के रूप में राहत भी प्रदान की गई है।

(अं) उपभोग के मोर्चे पर कुछ रोचक कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए विदेश यात्राओं और भारी बिजली बिल भी कर के दायरे में आएंगे। इसका उद्देश्य कर आधार बढ़ाना है।

कीन्स का कहना है कि ठहराव और महंगाई के समय सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के कई गुना प्रभाव होते हैं। जहां तक प्रतिफल और निवेश का सवाल है तो कीन्स के स्वयंसिद्ध सूत्रों से हमें कुछ संकेत मिलते हैं जैसे वैश्विक उधारी की इच्छा ताकि देश में निवेश के लिए रकम उपलब्ध हो और सरकार को निजी क्षेत्र से स्पर्द्धा नहीं करनी पड़े।

कुछ सामान्य बिंदु

कुछ लोकलुभावन घोषणाएं भी की गई हैं, जिनमें से कुछ वाकई रोचक हैं जैसे पैन के बजाय आधार से ही काम चल जाना। कोई भी व्यक्ति नागरिक को मिलने वाले ऐसे अनूठे क्रमांक का विरोध नहीं करेगा, जो कई स्थानों पर काम आ रहा हो। पैन हर बार आधार के स्थान पर प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन आधार कहीं भी पैन की जगह इस्तेमाल हो सकता है। इसका कारण यह है कि आधार क्रमांक रखने वाला हरेक व्यक्ति बेशक आयकर के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन आयकर के दायरे में आने वाला हरेक व्यक्ति आधार क्रमांक जरूर रखता होगा। तो क्या इस तरह हम प्रत्येक नागरिक के लिए एकल राष्ट्रीय पहचान क्रमांक की ओर बढ़ रहे हैं, जो कई स्थानों पर प्रयोग होगा और सभी जगह जिसकी मान्यता होगी? इसी तरह आधार क्रमांक कंपनी निदेशक इंडेक्स क्रमांक, एनपीएस क्रमांक, ईपीएफ क्रमांक आदि के स्थान पर भी प्रयोग हो सकता है। डिजिटल लिंकिंग इससे आसान बन सकती है।

बजट में अगले पांच वर्ष के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जताई गई है। इसमें एक विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव है, जो इस बात का अध्ययन, विश्लेषण करेगी और तय करेगी कि रकम कहां से आएगी। इसलिए बुनियादी ढांचे के लिए वित्त का रास्ता और स्रोत अभी तय किए जाने हैं।

बजट में वैश्विक बाजारों से उधारी लेने के संकेत हैं। इसका अर्थ है कि सरकार

UNION BUDGET 2019-20

प्रमुख आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18 वास्तविक	2018-19 बजट अनुमान	2018-19 संशोधित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	14,35,233	17,25,738	17,29,682	19,62,761
पूंजी प्राप्तियां	7,06,740	7,16,475	7,27,553	8,23,588
कुल प्राप्तियां	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
कुल व्यय	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
राजस्व घाटा	4,43,600	4,16,034	4,10,930	4,85,019
प्रभावी राजस्व घाटा	2,52,566	2,20,689	2,10,630	2,77,686
राजकोषीय घाटा	5,91,062	6,24,276	6,34,398	7,03,760
प्राथमिक घाटा	62,110	48,481	46,828	43,289

/PIB India /PIBHindi /pibindia /pibindia /pibindia.wordpress.com /pibindia pib.gov.in PIB/KBK

देसी बाजार में रकम के लिए निजी क्षेत्र से मुकाबला नहीं करना चाहती। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार को रुपये की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर पूरा भरोसा है। एक तरह से यह बहुत अहम बात है क्योंकि देश भर में उद्यमियों के लिए निवेश के लिए उपलब्ध रकम के स्रोत असीमित नहीं हैं। सरकार के इस कदम से निवेश के लिए अधिक रकम उपलब्ध होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि विदेश से उधारी के लिए बढ़ने से पहले दूरदर्शिता भरे वाणिज्यिक और वित्तीय तौर-तरीके अपनाने होंगे।

बजट निवेश की गुणवत्ता और निवेश की प्राथमिकता दोनों का ही संकेत देता है। बजट यह भी बताता है कि राजस्व का आकलन किस तरह किया जाए, उसे कैसे समझा जाए, इकट्ठा किया जाए और आवंटित किया जाए। हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में राजस्व का बड़ा हिस्सा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में लगाना पड़ता है। साथ ही रक्षा जैसे सार्वजनिक हित के मद पर भी व्यय का इंतजाम करना पड़ता है।

शेयरों की पुनर्खरीद (बायबैक) पर 20 प्रतिशत कर का भी प्रावधान है। कंपनियों को लगता है कि सूचीबद्ध कंपनियों की पुनर्खरीद योजनाओं पर 20 प्रतिशत कर लगाना सही नहीं है। इससे पुनर्खरीद महंगी हो जाएगी। पुनर्खरीद आखिरकार विनिवेश का ही एक रूप होता है और आमतौर पर नकदी से लबालब कंपनियां ही उसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन किसी भी वर्ष पुनर्खरीद का असली प्रभाव उसके आकार से निर्धारित होता है।

देखा गया है कि कृषि क्षेत्र से औसत उत्पादकता कम होती जा रही है। इसके कारण समझना मुश्किल नहीं है। इसमें जुड़ा श्रमबल आमतौर पर श्रमिकों की संख्या ही बढ़ाता है, अतिरिक्त कौशल और अतिरिक्त पूंजी नहीं लाता। इस तरह कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रमबल को रोज़गार मिलता है, जिस कारण क्षेत्र की उत्पादकता काफी कम हो जाती है। आदर्श स्थिति में कृषि क्षेत्र में यदि कम लोगों को रोज़गार मिलता है तो प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ जाएगी। इनपुट लागत भी चिंता का विषय है। सरकार कुछ उत्पादों पर न्यूनतम समर्थ मूल्य की योजना के ज़रिये इसी स्थिति से निपटना चाहती है। हालांकि योजना अभी कुछ राज्यों तक ही सीमित है। कृषि-भौगोलिक विविधता के कारण एक ही उपाय हर जगह लागू नहीं हो सकता। इसलिए हम कृषि क्षेत्र में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते, जो सभी पर लागू हो सके। समूचे कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता पर जोर देने की आवश्यकता है, जिसके लिए अच्छे खासे निवेश की जरूरत होगी। पंजाब में कृषि उत्पादकता का उदाहरण दिया जा सकता है, जहां अधिक उत्पादकता के कारण मिट्टी खारी होने, भूजल कम होने जैसी समस्याएं हो गई हैं और लगातार गंभीर होती जा रही हैं। मिट्टी को संरक्षित करने और उसकी गुणवत्ता बहाल करने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। इसीलिए केवल कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की बात नहीं की जा सकती (इसके साथ सुधार के दूसरे उपायों और लागत पर भी विचार करना होगा। संभवत: कृषि आर्थिक सिद्धांतों की समीक्षा करनी होगी।

विद्वान और विशेषज्ञ जिसे प्राथमिकता का क्षेत्र मानते हैं, आमतौर पर उसे ही आधार बनाकर बजट पर बहस होने लगती है कि अमुक क्षेत्र को अधिक मिलना चाहिए था और अमुक को कम मिलना चाहिए था। लेकिन कुछ उद्देश्य जैसे कृषि में नई जान फूंकना, मझोले तथा भारी उद्योगों को प्रोत्साहित करना और सेवाओं का विस्तार अब भी चिंता का विषय बने हुए हैं। मगर निवेश और प्रतिफल के लिए व्यवस्था में कुछ बदलावों की जरूरत है जैसे जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा उनकी आपूर्ति करने वाली कंपनियों में विस्तार के लिए राहत तथा समर्थन। उपभोग पर कर लगाना कर संग्रह का आसान रास्ता रहा है। स्रोत पर ही कर कटौती (टीडीएस) जैसे प्रत्यक्ष कर सुधार तो ठीक हैं, लेकिन सुधारों के क्रियान्वयन और कारोबार की सुगमता के मामले में सीमित कदम उठाए गए हैं। कर निर्धारण में अधिकारी का शामिल नहीं होना, कर आधार बढ़ाना आदि सही दिशा में लिए गए सकारात्मक कदम होंगे। कर सुधार निस्संदेह बहुत जरूरत है, जिसके बगैर राजकोषीय प्रबंधन बहुत मुश्किल होगा। लेकिन गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से पड़ रहे वित्तीय बोझ, रकम कहीं और इस्तेमाल किए जाने तथा उस कारण क्षेत्र में धन की कमी होने जैसे मसलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ❑

यात्री सुविधाओं पर केंद्रित रेल बजट

शाइन जैकब

भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को जब अपना पहला बजट पेश किया तो रेल क्षेत्र को उनसे बहुत उम्मीद थी।

बजट में इस बात पर जोर दिया गया कि रेलवे को अगले 11 वर्ष में यानी 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। हालांकि कई लोगों को यह आंकड़ा यथार्थ से परे लग सकता है क्योंकि पूंजीगत खर्च की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए इतने निवेश में कम से कम तीन दशक का समय लग सकता है। लेकिन वित्त मंत्री ने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया है, ''निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाइए।''

बढ़ गईं अपेक्षाएं

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 1,60,175.64 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1,38,857.52 करोड़ रुपये के आंकड़े से 15 प्रतिशत अधिक है। बजट में 65,837 करोड़ रुपये के साथ अब तक के सबसे अधिक सरकारी निवेश का अनुमान भी लगाया गया है, जो 2018-19 में बजट सहायता के रूप में मिले 53,060 करोड़ रुपये से 24 प्रतिशत अधिक है। दूसरी ओर भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के ज़रिये 55,471 करोड़ रुपये की उधारी का अनुमान लगाया गया है, जो 2018-19 के 52,297 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।

इस वित्त वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना में प्रमुख घटक हैं - आंतरिक संसाधनों से आने वाले 10,500 करोड़ रुपये (अतिरिक्त बजट संसाधनों से 83,571 करोड़ रुपये और निर्भया कोष से 267.64 करोड़ रुपये। पहले आंतरिक संसाधनों से 6,500 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बजट संसाधनों से 79,297.52 करोड़ रुपये जुटाए जा रहे थे, जो इससे कम थे।

लेकिन कर्मचारियों पर बढ़ता खर्च भारतीय रेल के लिए चिंता की बात है। चालू वित्त वर्ष में यह खर्च 86,554.31 करोड़

रेलवे स्टेशन में भी हवाईअड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों (हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर) पर जल्द ही वाई-फाई सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। अभी तक यह सुविधा 1,603 स्टेशनों पर उपलब्ध हो चुकी है और सरकार के 100 दिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त, 2019 तक बाकी 4,882 स्टेशनों पर भी इसे पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी तरह 2021-22 तक सभी स्टेशनों को सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के तहत लाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। 455 स्टेशनों पर पहले ही यह सुविधा आ चुकी है

लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड अखबार में पत्रकार हैं। ईमेल: shinejac@gmail.com

खर्च रहने का अनुमान है, जो 2018-19 के 77,796.24 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 8,758 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि रेलवे व्यापक स्तर पर भर्तियां करने जा रहा है। सहायक लोको पायलट और तकनीशियन, परिचालन विभागों और तकनीकी विभागों में सुरक्षा श्रेणी के पदों जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन जैसी विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में लेवल-1 और सुपरवाइजर वर्गों के लिए 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। फरवरी में लेवल-1 श्रेणी में 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई।

वित्त वर्ष के दौरान यात्री, मालढुलाई एवं अन्य आय से होने वाली सकल यातायात प्राप्तियां 2,16,675 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2018-19 के 1,89,903.95 करोड़ रुपये की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है। बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार को यात्री सेवाओं से प्राप्तियों में 9.7 प्रतिशत इजाफे की अपेक्षा है, जिससे वह 2018-19 के 51,066.64 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर इस वर्ष 56,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। दूसरी ओर भारतीय रेल के लिए कमाई की मुख्य स्रोत मालढुलाई से कमाई में 12.2 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। इस तरह कमाई 2018-19 के 1,27,430.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,43,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

दिलचस्प है कि चालू वित्त वर्ष के लिए परिचालन अनुपात 95 प्रतिशत रखा गया है, जो पिछले वर्ष 97.3 प्रतिशत था। परिचालन मार्जिन का अर्थ होता है कि रेलवे ने 1 रुपया कमाने के लिए कितना धन खर्च किया। इस तरह 2019-20 में 1 रुपया कमाने के लिए 95 पैसे खर्च करने होंगे। 2017 में मुख्य बजट में शामिल किए जाने से रेलवे को लगभग 9,7000 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभांश नहीं देना पड़ा, जो सकल बजट सहायता के लिए उसे सरकार को देना पड़ता था।

फिर भी 50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को साकार करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता में कई गुना वृद्धि करनी पड़ेगी। 2019-20 में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के ज़रिये केवल 28,100 करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है। बजट के बाद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि यदि यात्रियों का फायदा होता है तो सरकार निजी क्षेत्र द्वारा अलग से रेल लाइन बिछाए जाने जैसे उपायों पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा, हम पहले ही कोल इंडिया और एनटीपीसी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारियां कर चुके हैं। हमें इसे बढ़ाना और तेज करना होगा। इस तरह यात्री तथा मालढुलाई सेवाओं, पटरी एवं रोलिंग स्टॉक विनिर्माण में भी निजी सहभागिता को न्योता देने का विचार है।

प्रदर्शन के मामले में मालढुलाई का लक्ष्य बढ़ाकर 127.4 करोड़ टन कर दिया गया है। 2018-19 की तुलना में यह 5.261 करोड़ टन या 4.3 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार मुसाफिरों की संख्या भी 859.379 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो 2018-19 की वास्तविक यात्री संख्या से 1.8 प्रतिशत अधिक है।

सरकार 2021-22 तक अपने समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय के पास उपलब्ध जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ कम से कम 28,810 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम होना है, जिसमें से लगभग 7,000 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण 2019-20 में होगा। नई लाइन बिछाने, आमान परिवर्तन और लाइन के दोहरीकरण का लक्ष्य भी 2018-19 के 3,596 किलोमीटर की तुलना में बढ़ाकर इस वर्ष 3,750 किलोमीटर कर दिया गया।

निवेश आएगा कहां से?

श्री गोयल ने ऐसे मुख्य क्षेत्र बताए, जहां 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने जा रहा है। उनकी योजना में सरकारी व्यय एवं निजी वित्त के ज़रिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में निवेश शामिल है। रेलवे के पास मौजूद प्रमुख परियोजनाओं में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करना, उन्नत सिग्नल प्रणाली लगाना, यात्री सुविधाओं में सुधार तथा स्टेशनों का पुनर्विकास शामिल है।

उसके अलावा भारत के मालढुलाई यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी केवल 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक लगभग 60 प्रतिशत करने पर भी जोर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि मालढुलाई से होने वाले राजस्व से यात्रियों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह यह रेलवे के लिए आय का मुख्य साधन हो गया है। अनुमान है कि रेलवे प्रत्येक 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए 73 पैसे खर्च करता है, लेकिन यात्रियों से केवल 36 पैसे लेता है।

इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता को अहम बताते हुए नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि भूतल मालढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 1950-51 के 86.2 प्रतिशत से घटकर 2015 में केवल 33 प्रतिशत रह गई, जिसका कारण ढुलाई क्षमता में कमी और भाड़े के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहीं होना है। प्रस्तावित समर्पित मालढुलाई गलियारे (डीएफसी) ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाने में तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं। 81,459 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ दो गलियारे - पूर्वी और पश्चिमी - 2022 तक शुरू हो सकते हैं। इसी तरह 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाले दो अन्य गलियारों - पूर्व-पश्चिम और पूर्वी तट - पर भी काम

चल रहा है, जो 2027 तक चालू हो सकते हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित समर्पित मालढुलाई गलियारों से मौजूदा रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ भी कम हो जाएगी।

सरकार 2021-22 तक अपने समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय के पास उपलब्ध जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ कम से कम 28,810 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम होना है, जिसमें से लगभग 7,000 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण 2019-20 में होगा। नई लाइन बिछाने, आमान परिवर्तन और लाइन के दोहरीकरण का लक्ष्य भी 2018-19 के 3,596 किलोमीटर की तुलना में बढ़ाकर इस वर्ष 3,750 किलोमीटर कर दिया गया।

दूसरी ओर स्टेशन विकास ऐसा मुख्य क्षेत्र है, जहां निजी निवेश आने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने देश भर में कम से कम 600 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई है, जिसमें कुल 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। अधिकारियों ने दिल्ली में आनंद विहार, मध्य प्रदेश में हबीबगंज और गुजरात में गांधीनगर जैसे कई स्टेशनों पर यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसके तहत रेलवे स्टेशन में भी हवाईअड्डे जैसी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है।

यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों (हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर) पर जल्द ही वाई-फाई सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। अभी तक यह सुविधा 1,603 स्टेशनों पर उपलब्ध हो चुकी है और सरकार के 100 दिन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त, 2019 तक बाकी 4,882 स्टेशनों पर भी इसे पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी तरह 2021-22 तक सभी स्टेशनों को सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली के तहत लाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। 455 स्टेशनों पर पहले ही यह सुविधा आ चुकी है।

भारत में यात्रा के अनुभव में क्रांति लाने की प्रधानमंत्री की एक परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन है, जिस पर 88,000 करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं। यह ट्रेन 2023 तक चालू हो जानी चाहिए। प्रस्तावित निवेश का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन 18 और ट्रेन 20 जैसी अत्याधुनिक ट्रेन खरीदने तथा बनाने में एवं बेहद तेज रफ्तार वाली 7500 किलोमीटर प्रणाली तैयार करने में भी खर्च हो सकता है। मौजूदा सिग्नल प्रणाली को दुरुस्त करने की बड़ी योजना भी है। इसमें ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली हो सकती है, जिसमें खुद को साबित कर चुका यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम तथा देश में ही विकसित एक प्रणाली का मिश्रण हो सकता है। यह प्रणाली सुरक्षा बढ़ाने, अतिरिक्त क्षमता तैयार करने और ट्रेन परिचालन में क्षमता बढ़ाने के लिए लाई जा सकती है।

बजट में त्वरित क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली जैसी विशेष कंपनियों के ज़रिये उपनगरीय नेटवर्कों में निवेश बढ़ाकर उपनगरीय नेटवर्कों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव भी है। इसका एक मॉडल दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस) है, जो 2025 तक पूरी हो जाने की संभावना है। परियोजना पूरी हो जाने के बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी करीब 62 मिनट में तय कर ली जाएगी।

यदि ये योजनाएं साकार हो जाती हैं तो भारतीय यात्रियों को ही फायदा मिलेगा। □

शिक्षा में सुधार से नया भारत बनाने का संकल्प

आलोक कुमार
सारा इपे
उर्वशी प्रसाद

भारत सरकार ने पिछले कुछ साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। इन सुधारों का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, इसकी उपलब्धता को बेहतर बनाना और इस मोर्चे पर समानता सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सीखने संबंधी सुस्त प्रक्रिया की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जोर देशभर में बेहतरीन संस्थान स्थापित करने को लेकर है। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार इस दिशा में इतने व्यापक स्तर पर विस्तार हो रहा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा नियामकीय ढांचे में भी बदलाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि संस्थानों की स्वायत्तता से समझौता किए बिना गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर इस पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इसका मकसद सिलसिलेवार ढंग से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में बदलाव करना है। इसके अलावा, पिछले कुछ साल में शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन में भी बढ़ोतरी हुई है। साल 2000 के बजट से शिक्षा पर खर्च में तकरीबन 17 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। साल 2000 में यह रकम 5,635 करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 में बढ़कर 94,853 करोड़ रुपये हो गई (रेखाचित्र 1)। कुल शिक्षा बजट में से 56,536.63 करोड़ स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि 38,317.01 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2020 में स्कूली शिक्षा के बजट में सालाना आधार पर 12.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी का आंकड़ा 14.3 प्रतिशत रहा।

स्कूली शिक्षा

अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो सरकारी नीति का फोकस हर बच्चे के लिए स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर था। सबके लिए शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही, शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया और स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। इन प्रयासों का असर देखने को मिला। साल 2014-15 में देशभर में प्राथमिक स्तर पर कुल दाखिला अनुपात 99.89 प्रतिशत पर पहुंच गया। फिलहाल, भारतीय स्कूली शिक्षा व्यवस्था में 15 लाख स्कूल और 89 लाख शिक्षक हैं, जो 25 करोड़ छात्र-छात्राओं की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

सरकार ने हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश कर इस पर सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इसका मकसद सिलसिलेवार ढंग से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में बदलाव करना है। इसके अलावा, पिछले कुछ साल में शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन में भी बढ़ोतरी हुई है

आलोक कुमार नीति आयोग, भारत सरकार में सलाहकार (मानव संसाधन विकास) हैं, सारा इपे और उर्वशी प्रसाद भी आयोग से जुड़ी हैं।
ई मेल- alokkumar.up@ias.nic.in, sarah.iype@nic.in, urvashi.prasad.nic.in

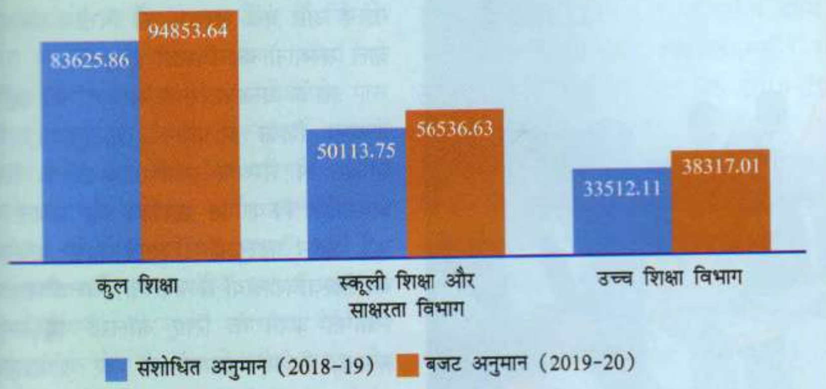

रेखचित्र 1 : केंद्रीय बजट 2019-20 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष 2019-20 के शिक्षा बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और मिड डे मील (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) (रेखाचित्र 2) समेत स्कूली शिक्षा के लिए 60 प्रतिशत फंड चिह्नित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन में पिछले साल की तुलना में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए आवंटन पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 10.5 प्रतिशत बढ़ाया गया। इस क्षेत्र में खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद क्षेत्र और जनसांख्यिकीय आधार पर असमानता संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं।

सरकारी खर्च और नीति आधारित प्रयासों से व्यवस्थागत सुधार हुआ है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा बेहतरी नहीं आई है। शिक्षा रिपोर्ट संबंधी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 10 साल में प्राथमिक शिक्षा में लगातार 95 प्रतिशत से भी ज्यादा नामांकन रहा है। 2018 में शौचालयों वाले स्कूलों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 66.4 प्रतिशत हो गई। हालांकि, तीसरी कक्षा के वैसे बच्चों की संख्या में सिर्फ 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते हैं। साल 2013 में ऐसे बच्चों का आंकड़ा 21.6 प्रतिशत था, जो 2018 में बढ़कर 27.2 प्रतिशत हो गया। संक्षेप में कहा जाए तो भारत में स्कूली क्रांति दिख रही है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी क्रांति मौजूदा वक्त की जरूरत है।

नतीजतन, केंद्र सरकार का फोकस अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की तरफ है, जो सतत विकास का चौथा लक्ष्य भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 'भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली तैयार करने की बात है, जो सबको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराकर हमारे देश को मजबूत ज्ञान वाले समाज में बदल सकता हो।' नए भारत के निर्माण के लिए बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजबूत करना, बुनियादी साक्षरता, पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षक, शासन प्रणाली आदि काफी अहम हैं।

> **केंद्र सरकार का फोकस अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की तरफ है, जो सतत विकास का चौथा लक्ष्य भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 'भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली तैयार करने की बात है, जो सबको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराकर हमारे देश को मजबूत ज्ञान वाले समाज में बदल सकता हो।' नए भारत के निर्माण के लिए बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजबूत करना, बुनियादी साक्षरता, पाठ्यक्रम में सुधार, शिक्षक, शासन प्रणाली आदि काफी अहम हैं।**

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। पहला, केंद्रीय बजट 2018-19 में समग्र शिक्षा की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक शिक्षा का एकीकरण है। इस पहल के तहत विभिन्न योजनाओं-सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि को चलाया गया है और ये योजनाएं शिक्षा विभागों और सरकार में सभी स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र के बीच संमिलन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

नीति आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के मामले में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और सतत निगरानी के लिए कुछ संकेतकों की पहचान की है। ये संकेतक सीखने संबंधी परिणाम, उपलब्धता, समानता, आधारभूत संरचना और शासन व्यवस्था आदि मानकों से जुड़े होते हैं। इन प्रदर्शनों का नियमित विश्लेषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) और नीति आयोग के स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में रैंकिंग के ज़रिये पेश किया जाएगा। यह निगरानी तंत्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों को संबंधित कमजोरी और ताकत की पहचान करने और जरूरी नीतिगत सुधार करने में मदद करेगा। मंत्रालय की पहली पीजीआई रिपोर्ट में सुझाई गई प्रदर्शन आधारित फंडिंग व्यवस्था, सीखने संबंधी प्रणाली को सुधारने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण होगी। नीति आयोग 'शिक्षा में मानव

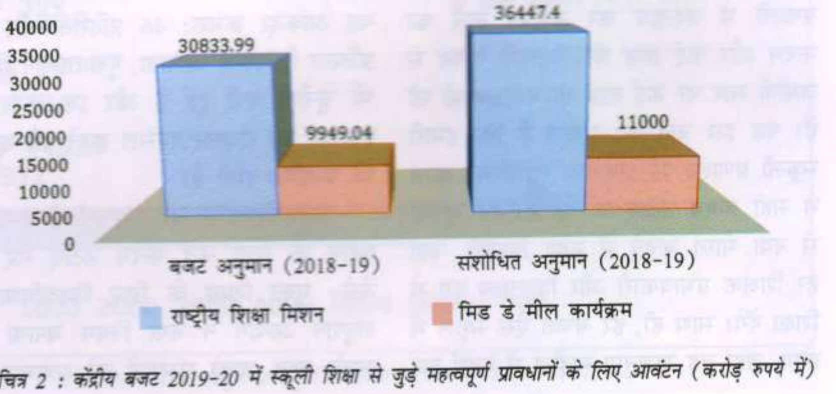

रेखचित्र 2 : केंद्रीय बजट 2019-20 में स्कूली शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

संसाधन को बेहतर ढंग से बदलने के लिए सतत कार्ययोजना' परियोजना में अकादमिक और प्रशासनिक सुधारों के ज़रिये शिक्षा प्रणाली में बदलाव को आगे बढ़ा रहा है। यह परियोजना झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गई है। यह परियोजना सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने संबंधी कार्यक्रमों, स्कूलों के एकीकरण और विलय, सांगठनिक बदलाव के ज़रिये स्कूली शिक्षा तंत्र में सकारात्मक बदलाव कर रही है। साथ ही, डिजिटल नवाचार के ज़रिये व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही में भी बढ़ोतरी हो रही है। हर राज्य में किए गए मूल्यांकन से जरूरी उपायों के साथ रोडमैप तैयार करने में मदद मिली है। परियोजना से जुड़े 'बदलाव के सिद्धांत' और इसकी चुनौतियों और सफलताओं का दस्तावेज तैयार कर इसे ऐसे मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा, जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में हिस्सा लेने का भारत का फैसला, दुनिया की सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में बदलाव कर नयापन लाने का कदम और कई तरह के नवाचारी कदम से जमीनी स्तर पर कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारी स्कूली प्रणाली की सफलता सुनिश्चित करने में सही कदम उठाए जा रहे हैं। इन सुधारों से नया भारत बनाने में मदद मिलेगी, जहां हर शिक्षक प्रभावकारी और दिलचस्प ढंग से शिक्षा देंगे। साथ ही, हर बच्चा ऐसे स्कूल में होगा, जहां वह खुशनुमा माहौल में पढ़ाई कर सकेगा। प्रत्येक स्कूल हमारे बच्चों को ऐसे कौशल से लैस कर रहा है, जो भविष्य में उनकी सफलता में मददगार होंगे।

उच्च शिक्षा

भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र दो तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। उसे युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करते हुए गुणवत्ता भी बनाए रखना है, ताकि स्नातक करने वाले छात्र-छात्राएं उत्पादक कार्यबल का हिस्सा बन सकें। भारत में फिलहाल विश्वविद्यालय स्तर के 864 संस्थान हैं, जबकि 40,026 कॉलेज और 11,669 अन्य संस्थान हैं। पिछले 5 साल में विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की संख्या में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और कॉलेजों की संख्या करीब 13 प्रतिशत बढ़ी है। देश का उच्च शिक्षा जीईआर (18-23 साल के आयु समूह के लिए की गई गणना) 2005-06 के 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 25.2 प्रतिशत हो गया। हालांकि, हम इस मामले में विश्व औसत से पीछे हैं। विश्व औसत से जुड़ा यह आंकड़ा 33 प्रतिशत है, जबकि ब्राजील और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा क्रमश: 46 प्रतिशत और 30 प्रतिशत है। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चुनौती बनी हुई है और इस वजह से स्नातकों की रोज़गार हासिल करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों में नामांकन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे- मुक्त शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नया नियम बनाया है। इसके तहत अच्छे संस्थानों को पत्राचार के ज़रिये कोर्स उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है और केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता वाले संस्थानों का विस्तार हुआ है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के माध्यम से संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना से जुड़े अहम पहलुओं में स्वायत्तशासी कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में बदलना, विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कॉलेजों का समूह बनाना, पिछड़े इलाकों में नए प्रोफेशनल कोर्स वाले कॉलेज खोलना और क्षमता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आधारभूत संरचना संबंधी अनुदान मुहैया कराना है। आरयूएसए ((2017-2020) के दूसरे चरण में गुणवत्ता बढ़ाने की प्राथमिकता तय की गई है और नीति आयोग द्वारा जिन संभावनाशील जिलों की पहचान की गई है, वहां संस्थानों की उपलब्धता संबंधी चिंताओं से निपटना।

सरकार ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) में भी सुधार के लिए कदम बढ़ाए हैं, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता लेना जरूरी कर दिया है। सुधार के तहत मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए ज्यादा अनुकूल प्रणाली विकसित करने की बात है। इसके अलावा, स्व-मूल्यांकन, डेटा संग्रह और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन द्वारा प्रमाणीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है।

इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है और सीबीएसई जैसी एजेंसियों को प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही, छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन के लिए व्यापक मानकीकरण और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की बात है।

एक और प्रमुख सुधार के तहत तीन स्तरों के ग्रेड वाली स्वायत्त नियामकीय प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्यायन संबंधी अंक (एनएएसी या अन्य एजेंसियां) या बेहतर साख वाली विश्वस्तरीय रैंकिंग में संस्थानों की मौजूदगी के आधार पर संस्थानों की श्रेणी तैयार की जाती है। पहली और दूसरी श्रेणी के विश्वविद्यालयों के पास काफी स्वायत्तता होगी। इसी तरह,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्तता के लिए नए नियम पेश किए हैं, जिसके तहत कॉलेजों के लिए प्रत्यायन अंकों को आधार बनाया जाएगा। इन कॉलेजों के पास परीक्षा आयोजित करने, मूल्यांकन प्रणाली सुधारने और यहां तक कि परिणाम घोषित करने की भी स्वतंत्रता होगी। हालांकि, इन संस्थानों को डिग्री देने की अनुमति नहीं है।

इसी तर्ज पर भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को ज्यादा स्वायत्तता देने और उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उनकी साख और मजबूत करने के मकसद से 19 दिसंबर 2017 को संसद के दोनों सदनों द्वारा आईआईएम विधेयक पास किया गया। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, आईआईएम कॉरपोरेट इकाई के रूप में अस्तित्व में रहेगा और इसका संचालन एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें संस्थानों के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। बोर्ड के पास प्रशासनिक, पाठ्यक्रम तैयार करने और डिग्री देने संबंधी फैसले लेने का अधिकार होगा। यह भी प्रावधान किया गया कि विधेयक के पास होने के साथ ही आईआईएम डिप्लोमा के बजाय डिग्री देने में भी सक्षम होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने 2019-20 से जुड़े बजट भाषण में बताया कि यूजीसी अधिनियम, 1956 को खत्म करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक का मसौदा तैयार किया जा चुका है। इस विधेयक में उच्च शिक्षा को संचालित करने वाले नियामकीय ढांचे को पूरी तरह से बदलने और मुक्त और परिणाम आधारित नियामकीय प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है।

हाल में भारत से 3 संस्थानों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी) में शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में 'विश्वस्तरीय संस्थानों' के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2018-19 में 128.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। (रेखाचित्र 3)

इसके अलावा, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने और भारत को 'उच्च शिक्षा का केंद्र' बनाने के लिए 'भारत में अध्ययन करें' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अंतरराष्ट्रीय विद्वानों को भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आने के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर अकादमिक नेटवर्क संबंधी पहल की गई है।

केंद्रीय बजट 2019-20 में शोध और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए इस मद में 608.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2018-19 के बजट में इसके लिए 243.6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए थे। विश्वस्तरीय संस्थान बनाने के लिए शोध कार्य और प्रशस्ति आदि जरूरी है। अत: सरकार ने देश में शोध को बढ़ावा देने के लए विभिन्न उपाय किए हैं, मसलन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना, सार्वजनिक-निजी शोध भागीदारी को बढ़ावा आदि। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना का ऐलान किया है। इसके गठन का मकसद भारत में शोध के लिए फंड मुहैया कराना और अन्य पहल के ज़रिये इसे बढ़ावा देना है। एनआरएफ विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए शोध अनुदानों को मिलाकर राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

देश के विकास की रूपरेखा तैयार करने के तहत कई राष्ट्रीय नीतियों में शिक्षा क्षेत्र को उचित महत्व दिया गया है। सतत विकास के लिए मजबूत बुनियाद तैयार करने में शिक्षा का स्थान अहम है। संवैधानिक और विधायी सुधार, केंद्र और राज्य की योजनाओं, अहम बजट घोषणाओं और संभावनाशील जिलों के कायाकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य के साथ-साथ इस क्षेत्र पर पर्याप्त तवज्जो दिए जाने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। समवर्ती सूची में इसकी मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि केंद्र और राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के स्तर पर भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हालिया मसौदे में ऐतिहासिक विकास संबंधी विमर्श के समग्र तरीके से कार्यान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत संघीय ढांचे से जुड़े सभी स्तरों पर सहयोगपूर्ण रवैये की जरूरत होगी और शिक्षा पर खर्च के बेहतर और प्रभावी उपयोग को अमल में लाना होगा। नीतियों को बेहतर परिणामों में बदलने के लिए समग्र रवैये के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होगी, ताकि नए भारत के सपने को हकीकत में बदला जा सके। ❑

संदर्भ

- https%//www.indiabudget.gov.in/
- नीति आयोग्स 'स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया/ 75'

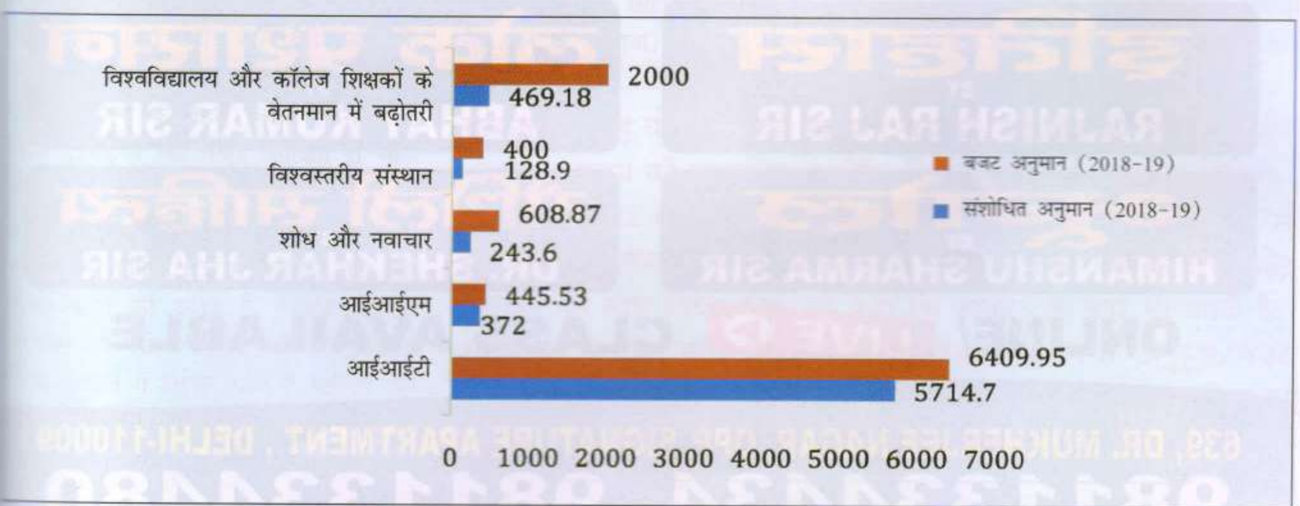

रेखचित्र 3 : केंद्रीय बजट 2019-20 में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)

किसान कल्याण के प्रभावी कदम

जगदीप सक्सेना

केंद्रीय बजट (वित्त वर्ष 2019-20) में किसानों के कल्याण और कृषि को, वित्तीय आवंटन और परिवर्तन की अवधारणा, दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार ने चालू योजनाओं को सहायता बढ़ाकर, नई योजनाएं शुरू कर और कृषक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक विभिन्न उपाय कर 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जो कुछ भी करती है, उसके केंद्र में गांव, गरीब या किसान होता है। इसी बयान के अनुरूप, बजट प्रस्तावों में किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं।

समृद्धि को दृष्टि में रखते हुए आवंटन

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन बढ़ाया गया है। पहले के 86,600 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 1,51,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आवंटित किए जाने के कारण हुई है। इस अनूठी योजना के तहत प्रत्येक किसान को सीधे 6,000 रु की नकद सहायता दी जाती है। यह राशि एक वर्ष के दौरान दो - दो हजार की तीन किस्तों में दी जाती है। नकद सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आय और खपत बढ़ने की आशा है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कृषि के लिए आवंटन में उर्वरक सब्सिडी शामिल नहीं है, जो अब लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 80,000 करोड़ रुपये हो गई है। बजट में फसलों, पशुओं और मत्स्य से संबंधित विभिन्न मुख्य और केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटन और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित मूल्य हस्तक्षेप (गेहूं और धान के अलावा) के लिए बजट में 6 से 50 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया गया है। ब्याज सब्सिडी के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि कर 18,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह सहायता किसानों

सरकार ने चालू योजनाओं को सहायता बढ़ाकर, नई योजनाएं शुरू कर और कृषक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक विभिन्न उपाय कर 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार की मंशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जो कुछ भी करती है, उसके केंद्र में गांव, गरीब या किसान होता है। इसी बयान के अनुरूप, बजट प्रस्तावों में किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं

लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पूर्व मुख्य संपादक हैं। ईमेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

को मिलने वाले सभी अल्पकालिक ऋणों पर लागू होती है।

ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष के व्यय से 22.5 प्रतिशत अधिक है। बेहतर सड़क संपर्क से बाजारों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और इससे कृषि को बहुत मदद मिलती है। वित्त मंत्री ने पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस काम में तेजी लाने पर जोर दिया। यह लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा 2022 से घटाकर 2019 कर दी गई है। नई सड़कों के निर्माण के अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (पीएमजीएसवाई-III) में अगले पांच वर्षों में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख कि.मी. सड़क मार्ग के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। सतत विकास की प्रतिबद्धता के तहत हरित प्रोद्यौगिकी, रद्दी प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 30,000 कि.मी. सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई के तहत किया गया है। सरकार ने ग्रामीण सड़कों के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आवंटन में 17 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना से बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को सहायता देने तथा इनमें तेजी लाने और सिंचाई के अन्य उपायों, जैसे कि माइक्रो सिंचाई, जल-संभर विकास और पारंपरिक जल निकायों के उपयोग को बढ़ावा देने से सिंचित क्षेत्रों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

कारोबार को बढ़ावा

किसानों को उनकी उपज का अधिकतम बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नेम) की शुरूआत की गई थी। सरकार का प्रस्ताव इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार काम करने का है जिससे किसान इसका पूरा लाभ उठा सकें। वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि उपज विपणन सहकारी अधिनियम (एपीएमसी), किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता और सहज जीवन यापन, दोनों को किसानों पर भी लागू होना चाहिए। उत्पादन बढ़ाकर लागत में कमी लाने से किसानों के लिए खेती को अधिक लाभकारी बनाना सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का प्रस्ताव है। ये संगठन मूल रूप से किसान-उन्मुख कंपनियां हैं जो कृषि मंत्रालय की नीति और प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी उपज के विपणन के लिए बी 2 बी मॉडल का पालन करते हैं। ये किसानों को कुशल, सस्ते और टिकाऊ संसाधनों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने और उनकी फसल की बेहतर कीमत पाने में सक्षम बनाता है। कई राज्यों में, एफपीओ ने शानदार सफलता दर्ज की है। इनकी संख्या में वृद्धि किसानों के लिए स्थायी आजीविका बढाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

पारंपरिक उद्योग पुनर्उद्भव और उन्नयन निधियन योजना (स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज-**स्फूर्ति**) का लक्ष्य परंपरागत उद्योग क्षेत्र को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिक संख्या में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करना है। सरकार ने परंपरागत उद्यमों को अधिक उत्पादक तथा लाभदायक बनाने और निरंतर रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए क्लस्टर विकास के वास्ते बांस, शहद और खादी उद्योगों की पहचान की है। इस योजना का लक्ष्य 2019-20 के दौरान 100 नए क्लस्टर स्थापित करना है जिसमें 50,000 ग्रामीण कारीगरों को क्षमता विकास और विपणन सहायता के रूप में सरकार से मदद मिलेगी। बहुत जल्द, ग्रामीण कारीगर आर्थिक मूल्य श्रृंखला का एक हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए, सरकार का प्रस्ताव है कि 2019-2020 के दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर और 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना को मजबूत किया जाए। इस पहल से कृषि-ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75,000 कुशल उद्यमी तैयार किए जा सकते हैं। इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र में मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विकास दर लगभग 1 प्रतिशत पर स्थिर है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसे 3 प्रतिशत से अधिक करने से कृषि परिवर्तन में मदद मिलेगी। बजट में प्रस्तावित हालिया पहलों का कृषि-खाद्य क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

निवेश आकर्षित करना

सरकार ने महसूस किया है कि अन्य क्षेत्रों की तरह, कृषि को भी कॉर्पोरेट जगत से पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान में, कृषि में सकल मूल्यवर्धन का केवल 14 प्रतिशत निवेश है। इसमें किसानों द्वारा 78.01 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा 19.4 प्रतिशत और निजी क्षेत्र द्वारा 2.5 प्रतिशत निवेश शामिल है, इसलिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की फसल और संबंधित गतिविधियों जैसे बांस तथा लकड़ी के उत्पादों और नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर मूल्यवर्धन करने के लिए निजी उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। उन्होंने कहा

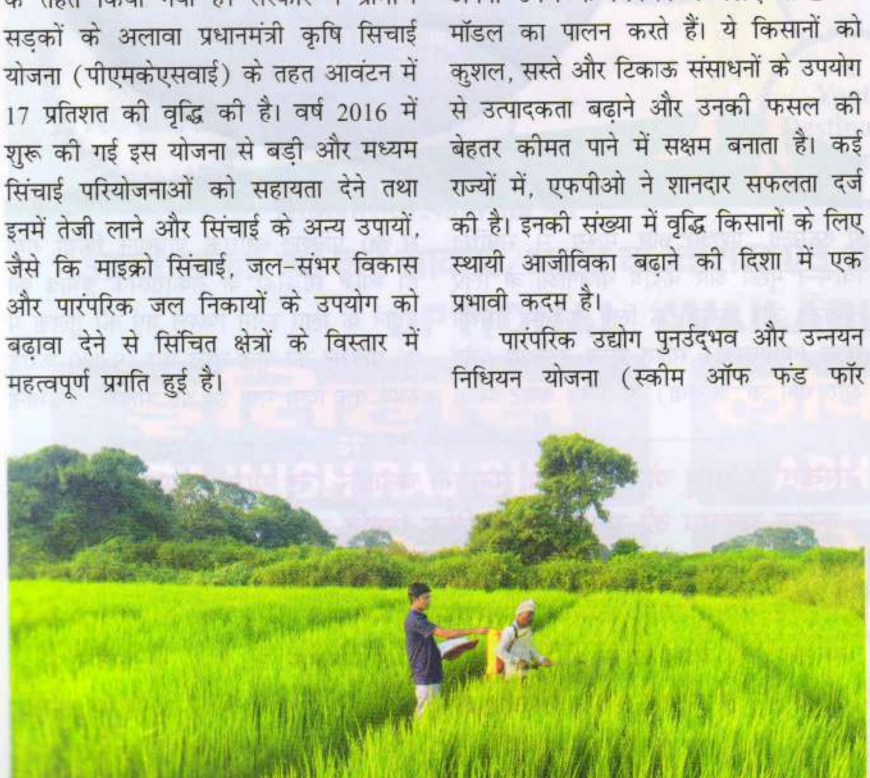

कि अन्नदाता (किसान), ऊर्जादाता भी बन सकते हैं। इस संबंध में, सरकार ने पहले ही मार्च, 2019 में एक विशेष योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) शुरू की है। इस योजना में बंजर या किसानों की व्यक्तिगत / सहकारी समितियों / पंचायतों/ एफपीओ की कृषि भूमि पर कृषि पंपों के सौरकरण और सौर ऊर्जा संयंत्रों (500 किलोवाट से 2 मेगावाट) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह योजना किसानों को, अधिशेष बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प देकर उनकी आय में इजाफा करेगी। इसके अलावा, यह वायु प्रदूषण पर काबू पाने में सहायक होगी और स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

डेयरी एक अन्य क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र और सहकारी समितियां किसानों की आय बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभा सकती हैं। बड़ी संख्या में उद्यमी, विशेष रूप से युवा, आजीविका के लिए पूर्णकालिक पेशे के रूप में डेयरी का सहारा ले रहे हैं, और उप-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इसलिए, सरकार ने पशु खाद्य उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके सहकारी समितियों के जरिए डेयरी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मत्स्यपालन की पहचान, की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्यपालन और मछुआरा समुदाय खेती के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए एक केंद्रित योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू करने का प्रस्ताव है। यह व्यापक योजना, मूल्य श्रृंखला में खामियों का समाधान करेगी। इस योजना में बुनियादी ढांचा, आधुनिकीकरण, उत्पादन, उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर अधिक ध्यान देकर तथा इन्हें अधिक संसाधनों के साथ बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक विशेष मंत्रालय बनाया है। मौसम की विसंगतियों और प्रतिकूलताओं के कारण जब फसल को नुकसान पहुंचता हैं तो पशुधन "आजीविका बीमा" के रूप में कार्य करता है।

शून्य बजट खेती

सरकार ने शून्य बजट खेती को बढ़ावा देने का इरादा और इच्छा दिखाई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस अभिनव मॉडल को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में यह काफी लोकप्रिय हो रहा है। कई राज्यों में किसानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इस पद्धति को अपनाया जा रहा है। इसमें कम पानी, कम निवेश और कम लागत के संसाधनों की आवश्यकता होती है, फिर भी पैदावार अधिक होती है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और विदर्भ के 70 वर्षीय किसान श्री सुभाष पालेकर इस अनूठी तकनीक के अग्रदूत हैं, जिसे वे शून्य बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं। अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों से की जाने वाली खेती की इस विधि में उत्पादन लागत बहुत कम होती है। शून्य बजट का अर्थ यह नहीं है कि खेती पर किसान का बिल्कुल खर्चा नहीं होगा, बल्कि उस पर आने वाली लागत की क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त आय वाले अन्य संसाधनों या अंतर फसलों से की जाती है। केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सहायता के साथ, देश भर में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की एक लहर चलने की आशा है।

दलहन के बाद, अब सरकार तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठोस प्रयासों के साथ, देश पहले ही दालों में आत्मनिर्भर हो गया है, जिससे इनके आयात पर खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत होती है। देश में 1990 के दशक में तिलहन के भरपूर उत्पादन के साथ 'पीली क्रांति' आई थी, लेकिन विभिन्न कृषि कारकों और नीतिगत मुद्दों के कारण यह अधिक समय तक टिक नहीं पाई। तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए बजटीय प्रस्ताव के साथ, देश फिर से तिलहन में आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। वित्त मंत्री ने आशा व्यक्त की कि किसानों की सेवा से, देश का आयात बिल कम होगा।

केंद्रीय बजट में, कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करने और निजी उद्यमिता को समर्थन देने के प्रस्ताव के साथ, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसान कल्याण के प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और प्रोत्साहन दिया गया है। आशा की जाती है कि इन उपायों से किसानों के चेहरों पर खुशी लाने और कृषि संकट को दूर करने में सहायता मिलेगी। ❑

कमज़ोर वर्गों का कल्याण और सशक्तीकरण

मुनिराजू एस बी
चैत्रा देवूर

प्रधानमंत्री ने कहा है कि ''पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने निर्धनों, किसानों, अनुसूचित जातियों, शोषित और दलित वर्गों के सशक्तीकरण के अनेक उपाय किए हैं। अगले 5 वर्षों में यह सशक्तीकरण उन्हें विकास का पावर हाउस (शक्ति केंद्र) बनाएगा...। ''यह बजट देश में समृद्धि लाएगा और लोगों को अधिक सशक्त बनाएगा। इससे गरीबों को ताकत मिलेगी और युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा''।

सरकार समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें विकास के दायरे से 'कोई पीछे न रह जाए'। वर्तमान सरकार ने विकास के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और वह निम्नांकित लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है–

क. भौतिक और सामाजिक ढांचे का निर्माण।

ख. अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का प्रवेश।

ग. हरित पृथ्वी और नीले आसमान के साथ प्रदूषण मुक्त भारत।

घ. मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जिसमें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज), स्टार्टअप्स, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्स और बैटरीज़ तथा चिकित्सा उपकरणों पर विशेष बल,

ड़. जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां,

च. समुद्री अर्थव्यवस्था,

छ. अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चन्द्रयान और उपग्रह कार्यक्रम,

ज. अनाज, दलहन, तिलहन और फल एवं सब्जियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात,

झ. स्वस्थ समाज-आयुषमान भारत, भलीभांति पोषित महिलाएं और बच्चे, नागरिकों की सुरक्षा,

ञ. जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि, ''राज्य विशेष देखभाल के साथ समाज के कमजोर वर्गों और, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा।''

संविधान में अधिदेशित अनुसार उत्तरोत्तर प्रत्येक सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं। समाज के कमजोर वर्गों में वे वर्ग शामिल हैं, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 की अनुसूचियों में किया गया है। इनमें पिछड़े वर्गों की सूची में जातियां/समुदाय और 6 धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं, जिन्हें सरकार की मदद की आवश्यकता है, इनमें विकलांगजन, वरिष्ठ नागरिक, किन्नर समुदायों और गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदाय शामिल हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक संकेतकों का प्रभाव दृष्टिगत हो रहा है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों के बीच 2004-05 में ग्रामीण निर्धनता 53.5 प्रतिशत थी, जो 2011-12 में घट कर 31.5 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित जनजातियों के मामले में ग्रामीण निर्धनता 2004-05 में 61.18 प्रतिशत थी, जो 2011-12 में घट कर 45.3 प्रतिशत रह गई। अनुसूचित जातियों के बीच साक्षरता की दर 1981 में 21.38 प्रतिशत थी, लेकिन 2011 में उसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और यह 66.7 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए इसी अवधि में निर्धनता 58.96 प्रतिशत से घट कर 16.35 प्रतिशत रह गई।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के लिए जेंडर बजटिंग के जरिए धन निर्धारित करें और उनके कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करें। केंद्र सरकार ने 2019-20 के अपने पूर्ण बजट में अनुसूचित जाति

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के लिए जेंडर बजटिंग के जरिए धन निर्धारित करें और उनके कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करें। केंद्र सरकार ने 2019-20 के अपने पूर्ण बजट में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 81340.74 करोड़ रुपये, जनजातीय उप-योजना के लिए 52884.82 करोड़ रुपये, महिला सशक्तीकरण के लिए 136934.00 करोड़ रुपये और बच्चों के कल्याण के लिए 91644.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं

डॉ. मुनीराजू एसबी नीति आयोग, भारत सरकार में उप-सलाहकार हैं। ईमेल: mraju.sb@gov.in
चैत्रा देवूर, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में तकनीकी अधिकारी, सीपीएचईई हैं। ईमेल: chaitra.d@nic.in

चार्ट 1 : कमजोर वर्गों के लिए 2019-20 के दौरान बजट आवंटन

(करोड़ रुपये में)

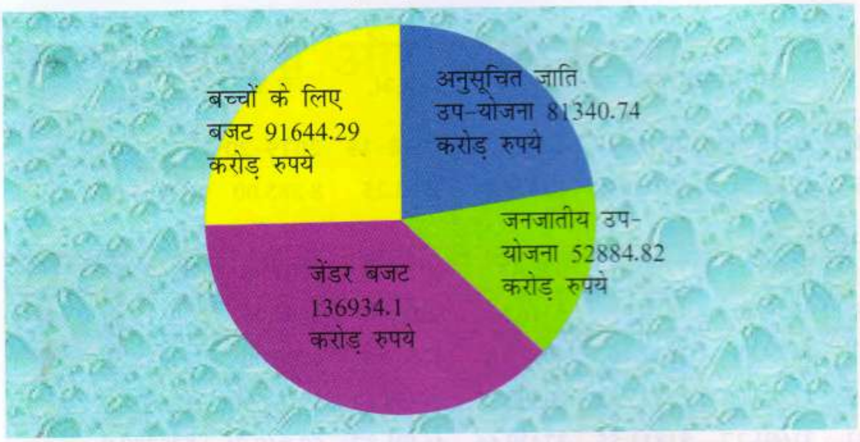

स्रोत : केंद्रीय बजट (व्यय विवरण)

उप-योजना के लिए 81340.74 करोड़ रुपये, जनजातीय उप-योजना के लिए 52884.82 करोड़ रुपये, महिला सशक्तीकरण के लिए 136934 करोड़ रुपये और बच्चों के कल्याण के लिए 91644.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में कमजोर वर्गों के लिए कुल 2,29,289.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के पिछले 6 वर्षों में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए व्यय/आवंटन 288279.4 करोड़, जनजातीय उप-योजना के लिए 188839.7 करोड़ रुपये, महिला सशक्तीकरण के लिए 434607.3 करोड़ रुपये और बच्चों के कल्याण और विकास के लिए 360807.2 करोड़ रुपये तथा कुल मिला कर भारत में कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर 1272534 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

कमजोर समूहों से सम्बद्ध नोडल मंत्रालय अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन समूहों के लिए 8.885 करोड़ रुपये, जबकि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 1204.90 करोड़ रुपये(जनजातीय

चार्ट 2 : पिछले 6 वर्षों के दौरान सामाजिक समूहों के लिए खर्च/आवंटित राशि का प्रतिशत

स्रोत : केंद्रीय बजट (व्यय विवरण)

चार्ट 3 : केंद्रीय बजट 2019-20 में नोडल मंत्रालयों द्वारा आवंटित राशि दर्शायी गई है

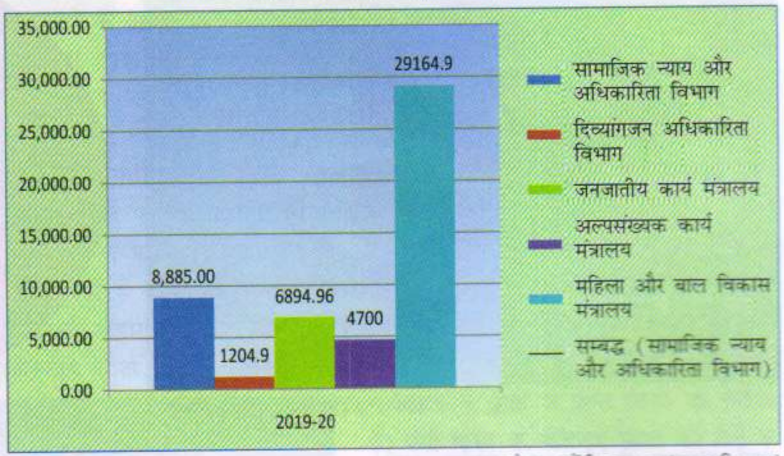

स्रोत : केंद्रीय बजट (व्यय विवरण)

तालिका-1 : वर्तमान सरकार के पिछले 6 वर्षों के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के लिए वास्तविक संशोधित अनुमान (स.अ.) और बजट अनुमान (ब.अ) 2014-15 से 2017-18 के बीच कमजोर वर्गों के लिए खर्च किया गया धन और 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान स.अ. और ब.अ.

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक खर्च				स.आ	ब.अ.	6 वर्षों में कुल
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
अनुसूचित जाति उप-योजना	30035.07	30603.70	34333.67	49492.31	62473.86	81340.74	288279.4
जनजातीय उप-योजना	19920.72	21216.54	21810.56	31913.72	41093.33	52884.82	188839.7
जेंडर बजट	79257.87	96331.83'	71817.96'	92883.74	125531.58	136934.10	434607.3
बच्चों के लिए बजट	64635.09'	66248.62'	117221.47	70705.81	81235.63	91644.29	360807.2
सामाजिक समावेशन के लिए वर्षवार कुल धन	129213.7	51820.24	173365.7	244995.6	310334.4	362804	1272534

*सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के लिए स.अ.

स्रोत : केंद्रीय बजट, व्यय विवरण

तालिका-2 : समाज के कमजोर वर्गों के लिए 2014-15 से 2017-18 के दौरान खर्च किया गया धन और 2018-19 तथा 2019-20 के लिए स.अ. और ब.अ.

करोड़ रुपये में

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक खर्च				स.अ.	ब.अ.	6 वर्षों में किया गया व्यय
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	5330.95	5752.74	6516.09	6747.02	9963.25	8,885.00	43195.05
दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग	337.84	554.97	772.56	922.47	1070.00	1204.90	4862.74
जनजातीय कार्य मंत्रालय	3831.95	3654.86	4816.92	5316.63	6000.00	6894.96	30515.32
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3069.01	4479.88	2832.46	4057.18	4700.00	4700.00	23838.53
महिला और बाल विकास मंत्रालय	18436.18	17248.72	16873.52	20396.36	24758.62	29164.90	126878.3
सामाजिक समावेशन के लिए वर्षवार कुल धन	31005.93	31691.17	31811.55	37439.66	46491.87	50,849.76	229289.9

स्रोत : केंद्रीय बजट, व्यय विवरण

चार्ट 4 : केंद्रीय बजट 2019-20 में कमजोर वर्गों से सम्बद्ध नोडल मंत्रालयों के लिए आवंटित धन का प्रतिशत

स्रोत : केंद्रीय बजट (व्यय विवरण)

चार्ट 5 : लक्षित समूहों के लिए पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खर्च/आवंटित धन का प्रतिशत

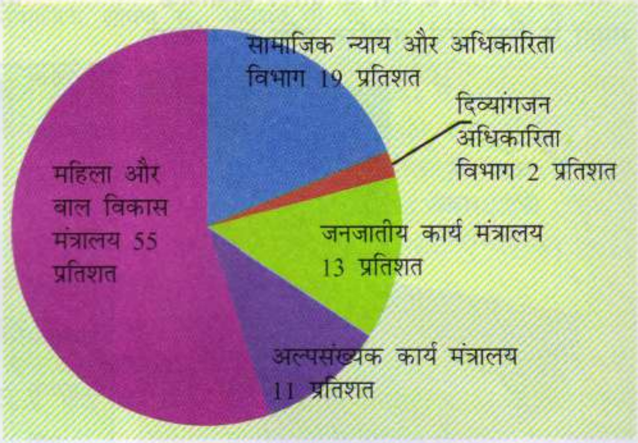

स्रोत : केंद्रीय बजट (व्यय विवरण)

कार्य मंत्रालय ने 6894.96 करोड़ रुपये(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 4700 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29164.90 करोड़ रुपये इन लक्षित समूहों के समावेशी विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित किए हैं।

केंद्रीय बजट 2019-20 में कमजोर वर्गों के लिए कुल आवंटन 508749.76 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि महिला और बाल विकास विभाग की इस आवंटन में 57 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्थान है।

पिछले 6 वर्षों में सामाजिक समावेशन का लक्ष्य हासिल करने में संलग्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के लिए आवंटित धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

कुल मिला कर इन केंद्रीय मंत्रालयों ने कमजोर वर्गों के कल्याण, अधिकारिता और विकास पर 2,29,289.94 करोड़ रुपये व्यय/आवंटित किए, जिसमें उनका प्रतिशतवार वितरण नीचे दिया गया है :

कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग लक्षित समूहों के समावेशी विकास में अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ समन्वय करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ''कोई पीछे न छूटे'' और बजटीय उपायों के जरिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करते हुए स्थायी विकास के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग निरंतर प्रयासरत है कि लक्षित समूहों को प्रत्यक्ष और पर्याप्त लाभ पहुंचाया जा सकें ताकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित सामाजिक समावेशन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इससे भारत को विश्व में 50 खरब अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, जिसमें आर्थिक विकास में कमजोर समुदायों का सक्रिय योगदान होगा। ❑

संदर्भ

1. इडिया@75, नीति आयोग का स्ट्रेटिजी डाक्यूमेंट,
2. केंद्रीय बजट 2015-16 से 2019-20, व्यय विवरण,
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20,
4. गरीबी अनुमान 2004-05 और 2011-12, योजना आयोग, और
5. जनगणना 2011

सबको बिजली और ऊर्जा सुरक्षा

मनोज कुमार उपाध्याय

ऊर्जा किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर की प्रमुख संकेतक होती है और जीवन स्तर को उठाने में सहायक होती है। बिजली के प्रति व्यक्ति उपभोग (जो तमाम ऊर्जा सुधारों का पर्याय कहा जा सकता है) और मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के बीच संबंध बिजली को किसी भी आर्थिक गतिविधि की मूलभूत शर्त बना देता है। भारत की आबादी दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत है लेकिन भारत दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा के 6 प्रतिशत का ही इस्तेमाल करता है। ऊर्जा के चार प्राथमिक स्रोत हैं : कोयला, प्राकृतिक तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा। भारत के पास इन चार में से कोयला इफरात में है। इसके अलावा यहां जैव-ऊर्जा समेत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बहुतायत में पाये जाते हैं।

कोयला

उपलब्धता की दृष्टि से भारत में कोयले के भंडारों में करीब 300 अरब टन कोयला होने का अनुमान है। यह अब तक भारत की बिजली प्रणाली का आधार रहा है और निकट भविष्य में भी इसकी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। भारत में कोयला बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और अगर ईंधन के इस स्रोत की ठीक से खोज की जाए और दक्षता से इसका उपयोग किया जाए तो देश में यह ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत बना रह सकता है। यह ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जिसके लिए भारत आयात पर निर्भर नहीं है (सिर्फ कोकिंग कोल को छोड़कर, जिसका उपयोग इस्पात उत्पादन में होता है)। ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कोयले के आयात को भी घटाकर शून्य के स्तर पर लाया जा सकता है बशर्ते वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयले की खोज तथा खनन का समुचित नीतिगत ढांचा कायम हो। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कोयला पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ईंधन नहीं हैं और लंबे समय तक उपयोग से इसके भंडार खत्म हो सकते हैं। वैसे नवीकरणीय स्रोतों, खास तौर पर सौर ऊर्जा से तुलना करने पर पता चलता है कि सौर बिजलीघर लगाने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होती है उतनी ही क्षमता का ताप बिजलीघर पचासवें हिस्से के बराबर जमीन पर लगाया जा सकता है।

तेल और गैस

जहां तक तेल और गैस का सवाल है, भारत में ये संसाधन हमारी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हैं। इन दोनों में से तेल के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जाता है और थोड़ी सी बढ़ोतरी से ही अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बोझ पड़ता है। तेल की तुलना में गैस सस्ती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अधिक अनुकूल है। लेकिन हमारी ऊर्जा की मूल वाणिज्यिक आवश्यकता को पूरा करने में तेल का हिस्सा 29 प्रतिशत और गैस का केवल 7 प्रतिशत है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेल और गैस पर देश की निर्भरता कम से कम की जाए और इसके लिए ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे बिजली को अपनाया जाए जिसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने के बावजूद भारत को तेल के आयात पर निर्भर रहना होगा क्योंकि स्थानीय स्रोतों से ऊर्जा की तमाम आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमें एक ऐसा नीतिगत ढांचा बनाने की आवश्यकता है जिसमें तेल और गैस, खास तौर पर तेल

> नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, खास तौर पर सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन लागत में भी भारी गिरावट आयी है और लगभग कोयले से उत्पादित ऊर्जा के बराबर हो गयी है

मनोज कुमार उपाध्याय नीति आयोग में उप-सलाहकार हैं। ईमेल: mk.upadhyay@nic.in

की खपत कम हो और अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बनों की खोज का बढ़ावा मिले। आयात पर निर्भरता को देखते हुए देश में उत्पादित तेल और गैस के दामों को अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह निर्भरता अभी लंबे समय तक कम होने वाली नहीं है।

नवीकरणीय ऊर्जा

ऊर्जा का तीसरे प्रकार के साधन हैं सौर, पवन, बायोमास, जल और इसी तरह के अन्य स्रोत। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत अनुकूल है। सौभाग्य से भूमध्यरेखा के पास स्थित होने के कारण भारत में सौर और पवन ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा फसलों के अवशिष्ट पदार्थों, जनवरों के गोबर, मनव मल, खाद्य अपशिष्ट आदि में भी बायोमास से उत्पन्न ऊर्जा के उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा, खास तौर पर सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन लागत में भी भारी गिरावट आयी है और लगभग कोयले से उत्पादित ऊर्जा के बराबर हो गयी है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि मौसम की वजह से इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव और बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के उत्पादन में लगात की दृष्टि से ताप बिजली के बराबर लागत आती है, लेकिन एकसमान क्षमता वाला सौर बिजलीघर लगाने में तापबिजलीघर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है जो इनकी स्थापना में एक बाधा है। वैसे छत के ऊपर और खेतों में लगाए जा सकने वाले सौर संयंत्रों से इस बाधा को दूर करने के प्रयास किये गये हैं। इसी तरह सौर ऊर्जा में अनिश्चितता और घटने-बढ़ने की समस्या के समाधान के लिए स्टोरेज बैटरियों के जरिए किफायती समाधान खोजने के प्रयास किये गये हैं। फिर भी सौर ऊर्जा मौसम पर भी निर्भर है इसलिए इस स्रोत के पूर्ण उपयोग के रास्ते में भी अड़चनें हैं। इसके लिए सौर ऊर्जा को हाइड्रोजन और मिथेनॉल में परिवर्तित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से अनुसंधान करने और इनका उत्पादन कर लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

बायो ऊर्जा

बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा भारत के ऊर्जा संसाधनों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जानवरों के गोबर, मानव अपशिष्ट और वनस्पतियों के कचरे से खाना पकाने के ऐसे साधन प्राप्त किये जा सकते हैं जो सस्ते और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हैं। सस्ता, स्थानीय रूप से उपलब्ध और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल होने के कारण यह ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस का स्थान लेने में सक्षम है। बायोमास से बायोफ्यूल भी बनाया जा सकता है जिससे पेट्रोलियम ईंधनों की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है।

परमाणु ऊर्जा

ऊर्जा और बिजली की जरूरतों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब तक परमाणु रिएक्टरों की लागत में कोई बड़ी रोक नहीं लगती तब तक परमाणु रिएक्टरों से बनी बिजली नवीकरणीय स्रोतों की ऊर्जा की तरह किफायती नहीं हो सकती। सरकार बिजली से इतर उपकरणों के लिए बजट में सहायता का प्रावधान करने के बारे में विचार कर सकती है। प्राकृतिक गैस और कोयले से बनने वाला तरल ईंधन मिथेनॉल में गैस और कोयले के इस्तेमाल के हमारे तौर-तरीकों को बदलने की क्षमता है। प्राकृतिक गैसे से बनाए जाने वाले मिथेनॉल के इस्तेमाल से गैस के मुकाबले ईंधन की परिवहन लागत में काफी कमी लायी जा सकती है क्योंकि रसोई गैस के परिवहन के से पहले इसे बहुत कम तापमान पर तरल रूप में लाया जाता है जिसके बाद ही इसका परिवहन किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक लागत आती है और इस्तेमाल करते समय तरल मिथेनॉल को फिर से गैस में बदलना पड़ता है।

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा में सुधार, जिसे आम तौर पर आयात पर घटती हुई निर्भरता से जोड़कर देखा जाता है, इस नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आज भारत तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनके आयात पर बहुत निर्भर है। इसके अलावा कोयले का भी आयात किया जाता है। अगर आयात में बाधा उत्पन्न होती है तो ऊर्जा सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। आयात के स्रोतों में विविधता लाकर, घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और आयात पर निर्भरता कम करके ऊर्जा सुरक्षा बढ़ायी जा सकती है। देश में उपलब्ध तेल, कोयले और गैस के भंडारों और किफायती दर पर इनके के दोहन की संभावनाओं को देखते हुए आयात पर निर्भरता कम करने की पर्याप्त संभावना है। समय आने पर हम आयातित आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और अप्रत्याशित मांग को

भारत में गरीबी और उपेक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए वाजिब दामों में सबको बिजली उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। 2 जून, 2019 को बिजली की उपलब्धता की स्थिति में भारी सुधार हुआ है ओरर 99.99 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध करा दी गयी है। खाना पकाने के लिए बायोमास पर निर्भर रहने वाले करीब 13.9 करोड़ लोगों को रसोई गैस के रूप में स्वच्छ और प्रदूषण रहित ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी उचित समयावधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

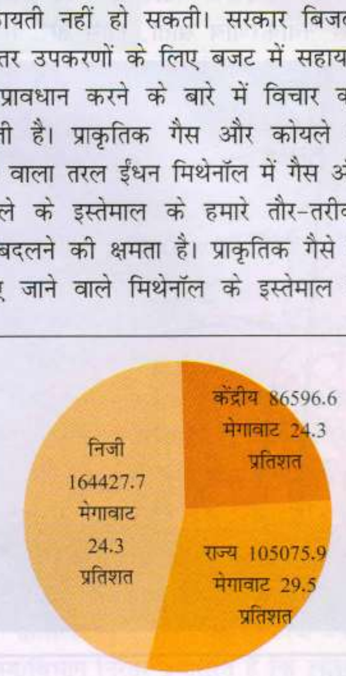

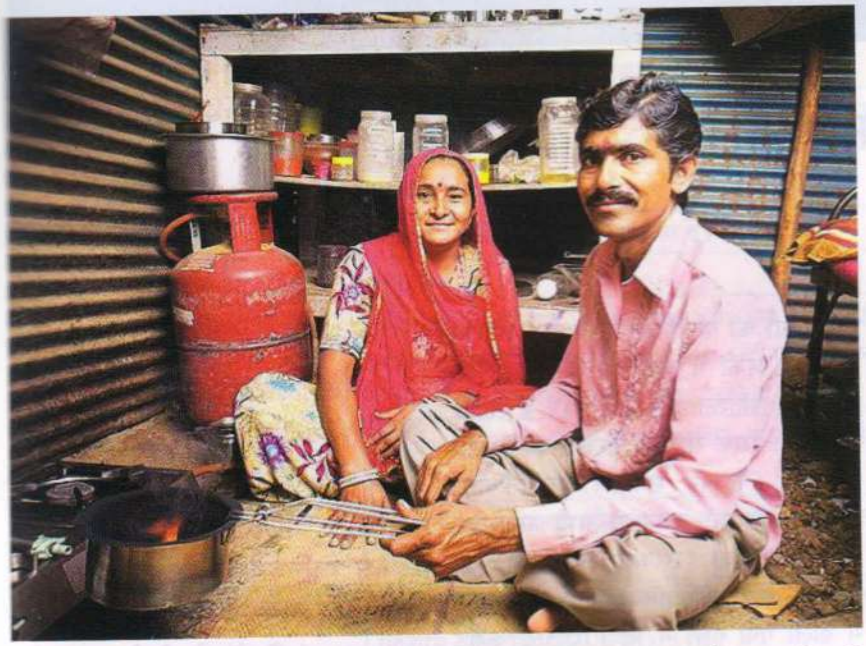

पूरा करने के लिए इनके भंडार बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

भारत में गरीबी और उपेक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए वाजिब दामों में सबको बिजली उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। 2 जून, 2019 को बिजली की उपलब्धता की स्थिति में भारी सुधार हुआ है और 99.99 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध करा दी गयी है। खाना पकाने के लिए बायोमास पर निर्भर रहने वाले करीब 13.9 करोड़ लोगों को रसोई गैस के रूप में स्वच्छ और प्रदूषण रहित ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी उचित समयावधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है। इस बात का भी इंतजाम किया गया है कि दुर्बल वर्गों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि उन्हें नये ईंधन को अपनाने का प्रोत्सहन मिले। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रतिस्पर्धी मूल्य से इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और वह 76वें स्थान पर आ गया है। इसकी संस्थापित क्षमता 2018 में 3,44,002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में 3,56,100.00 मेगावाट हो गयी है। 2018-19 में ऊर्जा का कुल उत्पादन 1376 बीयू था (जिसमें आयात और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा भी शामिल थी)। उत्पादन क्षमताओं के साथ-साथ बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमताओं में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। ताप बिजली उत्पादन क्षमता 64 प्रतिशत हो गयी है जिसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का स्थान है। कुल विद्युत उत्पादन का 46 प्रतिशत निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है।

बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा 2014-15 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2019-19 में 10 प्रतिशत हो गया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के दुनिया में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक को चला रहा है।

केन्द्रीय बजट 2019 : बिजली क्षेत्र

केन्द्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष में बिजली क्षेत्र के लिए 16,400.57 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जो पिछले साल के बजट की तुलना में 1988.02 करोड़ रुपये अधिक है। नये और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 4653.45 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम क्षेत्र को इस साल 38982.05 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। बिजली क्षेत्र के लिए 2019 के केन्द्रीय बजट में बिजली तक लोगों की पहुंच पर जोर दिया गया है। बजट में की गयी प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

ऊर्जा तक पहुंच

सरकार ने ऊर्जा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा है जिसके लिए देश के ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में (जो नहीं चाहते उन्हें छोड़कर) बिजली कनेक्शन और रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत 99 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है और उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन दिये गये हैं।

लेकिन ऊर्जा तक पहुंच के क्षेत्र में चुनौती सिर्फ बिजली कनेक्शन देने की नहीं है, लोगों की सामर्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता और किसान : उज्ज्वला की तरह की नयी योजना जो सौर चूल्हों और बैटरी चार्जर को बढ़ावा देगी। किसानों के लिए आमदनी के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास में निजी पहल में मदद दी जाएगी।

वितरण सुधारों पर जोर : उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यनिष्पादन की जांच की जा रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा : नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को उम्मीद थी कि बजट विकास को फिर से तेज करने के लिए कुछ उपाय करेगा। लेकिन इस संबंध में बजट में कोई खास बात नहीं है।

जहां तक बिजली क्षेत्र का सवाल है, बजट में विद्युत वितरण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए संरचनागत और शुल्क नीति संबंधी सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

प्राथमिकता बड़ी सूझबूझ से निर्धारित की गयी है क्योंकि वितरण क्षेत्र की दक्षता विद्युत क्षेत्र की तमाम चुनौतियों का मूल कारण है। इन चुनौतियों में सप्ताह में चौबीसों घंटे और सातों दिन बिजली की आपूर्ति और उत्पादन क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा की अपर्याप्त मांग भी शामिल है। सरकार के लिए यह जबरदस्त चुनौती है। पिछले अनुभवों के आधार पर वितरण क्षेत्र की दक्षता में सुधार के लिए विस्तृत संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं, जैसे विद्युत अधिनियम संशोधन में प्रस्तावित कैरिएज (विद्युत वितरण नेटवर्क) और कंटेंट (विद्युत आपूर्ति का कारोबार) का पृथक्करण। इधर एक अन्य क्षेत्र जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है उसका संबंध छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से है। ❑

बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार

शिशिर सिन्हा

आज समय की आवश्यकता यह है कि उपभोग और निवेश मांग दोनों में जोरदार बढ़ोतरी की जाए और इसके लिए समूचे बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत किया जाए जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जिनमें आवास वित्त कंपनियां भी शामिल हैं)। 2019-20 के केन्द्रीय बजट में इन्हीं तीनों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बजट भाषण में घोषित प्रावधानों में तरलता और विनियमन के मुद्दों पर एकसाथ विचार किया गया है। इस तरह समूचे बैंकिंग क्षेत्र में विस्तृत सुधार लाने की बात कही गयी है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एस.सी. बी.), खास कर सार्वजनिक क्षेत्र व बैंक आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ऋणों में बढ़ोतरी की दर पिछले दो वर्षों में लगातार दहाई के अंकों में चल रही है (2018-19 में 13.34 प्रतिशत और 2017-18 में 10.42 प्रतिशत)। इसके साथ ही सरकार की 4-आर की नीति (पहचान, समाधान, पुनर्वित्तीकरण और सुधार) की वजह से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी और निजी) की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी बट्टे-खाते में डाली गयी राशि में भी 1,02,562 करोड़ रुपये कमी आयी है और 31 मार्च, 2019 को यह 9,33,625 करोड़ रुपये रह गयी है।

जून 2019 में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार गैर-निष्पादनीय परिसंपत्तियों की कुल राशि में सार्वजनिक बैंकों समेत सभी वर्गों के बैंकों में गिरावट आ रही है। वसूली न जा सकने वाली परिसंपत्तियों की पहचान के लिए विनियामक प्रणाली न होने की वजह से मार्च 2019 में गैर निष्पादनीय संपत्तियों में 9.3 प्रतिशत की कमी आयी। रिपोर्टों में अनुमान लगाया गया है कि अगले मार्च तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल एनपीए अनुपात में अगले मार्च तक 9 प्रतिशत की दर से गिरावट आएगी जिसका कारण इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल एनपीए अनुपात का 12.6 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह जाना है।

तकनीकी तौर पर कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन करने वाला संगठन है लेकिन उसके विनियामक अधिकार सीमित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बजट में इन कंपनियों के विनियमन के लिए रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए (जिसे विधेयक में 'बैंक' कहा गया है) अतिरिक्त अधिकारों की सिफारिश की गयी है

बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने के प्रयासों के वित्तीय फायदे अब साफ नजर आने लगे हैं। पिछले चार वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में पिछले साल के मुकाबले एक लाख करोड़ की कमी आयी है, ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) पर अमल और अन्य उपायों की वजह से 4 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली हुई है। प्रोविजन कवरेज

शिशिर सिन्हा हिन्दू बिजनेस लाइन में वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

क्र.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत)	आवास वित्त कंपनियां (राज्यवार, राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत पंजीकृत)
1.	इलाहाबाद बैंक	अहमदाबाद (गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली) 253 बेंगलुरु (कर्नाटक) 133	आंध्र प्रदेश 1
2.	आंध्र बैंक	भोपाल (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) 103	दिल्ली 19
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	भुवनेश्वर 20	गुजरात 5
4.	बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता (सिक्किम, पश्चिम बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) 4,541 चंडीगढ़ (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) 215	हरियाणा 3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	चेन्नई (तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी) 331	कर्नाटक 5
6.	केनरा बैंक	नई दिल्ली (हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 2,013	केरल 2
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा) 118	मध्य प्रदेश 1
8.	कार्पोरेशन बैंक	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) 155	महाराष्ट्र 40
9.	इंडियन बैंक	जयपुर (राजस्थान) 198	मणिपुर 1
10.	इंडियन ओवरसीज बैंक	जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) 32	मिजोरम 1
11.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	कानपुर (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) 143	राजस्थान 6
12.	पंजाब और सिंध बैंक	मुंबई (महाराष्ट्र और गोवा) 1,214	तमिलनाडु 15
13.	पंजाब नैशनल बैंक	पटना (बिहार और झारखंड) 35	पश्चिम बंगाल 2
14.	भारतीय स्टेट बैंक	तिरुअनंतपुरम (केरल और केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप) 139	
15.	सिंडिकेट बैंक		
16.	यूको बैंक		
17.	यूनियन बैंक		
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया		
		कुल 9,643	कुल 101

रेशियो इस समय सात साल के सर्वाधिक स्तर पर है और घरेलू ऋणों में वृद्धि की दर 13.8 प्रतिशत हो गयी है। सरकार ने बैंकों के विलय का कार्य भी बड़े सुचारू तरीके से किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या में आठ की गिरावट आयी है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई वाली श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूंजी और जोखिम के अनुसार परिसंपत्तियों का अनुपात (सी.आर.ए.आर.) को लगातार 9 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखेंगे। 31 मार्च 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक न्यूनतम सी.आर.ए.आर. की यह शर्त पूरी कर रहे थे। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक शामिल हैं) और पी.एस.बी. का सी.आर.ए.आर. क्रमशः 14.3 प्रतिशत और 12.2 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा पूंजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आंतरिक पूंजी निर्माण और बाजारों से भी पूंजी जुटाते हैं। दर असल सरकार द्वारा लगाई गयी पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आंतरिक पूंजी निर्माण और बाजार से पूंजी जुटाने के प्रयासों को पूरा करता है। 2008-09 से 2018-19 के दौरान सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 3,15,721 करोड़ रुपये का निवेश किया जबकि इसी अवधि में बैंकों ने अन्य स्रोतों से 2,81,616 करोड़ रुपये की पूंजी अन्य स्रोतों से जुटाई और 98,373 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया जिसके काफी बड़े हिस्से से आंतरिक पूंजी निर्माण में योगदान मिला। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा लगायी गयी पूंजी का फायदा उठा कर और अधिक पूंजी निर्माण कर सकते हैं और इस तरह बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार को बढ़ा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास महसूस करते हैं कि बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का

अतिरिक्त रीकैपिटलाइजेशन प्रावधान बेहद सार्थक घटनाक्रम है इससे बैंकों को न सिर्फ विनियामक शर्तों के अनुसार पूंजी का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है बल्कि उन्हें उधार देने और ऋणों के संवितरण बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त पूंजी मिल जाती है। बैंकिंग प्रणाली के लिए यह बड़ी अच्छी बात है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिकतर मुश्किलों की पहचान हो जाने के बाद और गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों तथा ऋण लागत का अनुमान लग जाने के बाद इनकी लाभप्रदता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे प्राप्ति अनुपात में सुधार होगा।

भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त पूंजी से चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के दौरान विकास पूंजी का आधार तैयार होगा। इसमें कहा गया है, ''यह मानते हुए कि वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कर्जों में 12-13 प्रतिशत की वृद्धि होगी और ऋण जोखिम आकलित परिसंपत्तियां 70 प्रतिशत रहेंगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तवर्ष के दौरान करीब 50,000 करोड़ रुपये की विकास पूंजी की आवश्यकता होगी।'' लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, यह आवश्यकता भी कुछ प्रमुख परिवर्तों, जैसे वैकल्पिक दीर्घावधि निवेशक, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड (एन.सी.एल.टी.) से वसूली, निवेश के माहौल, एनसीएलटी द्वारा प्रस्तुत समाधान/नीलामी, राजकोषीय लाभ/हानि, बाजार से बाजार में निवेश की व्यवस्था और अतिरिक्त या प्रतिलेखित प्रावधान पर निर्भर करेगा।

बजट में आम आदमी के लिए बैंकिंग के नये तौर-तरीकों की बात भी कही गयी है। इसके अंतर्गत सरकारी बैंक का कोई भी खातेदार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से सेवाएं ले सकेगा। ग्राहकों की और अधिक सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत लोन ऑनलाइन प्राप्त किये जा सकेंगे और ग्राहक के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इतना ही नहीं सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक का ग्राहक किसी भी अन्य सरकारी बैंक में बैंकिंग सुविधाओं का फायदा उठा सकेगा। वित्तमंत्री ने कहा है कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे खातेदार वर्तमान स्थिति से निजात पा सकेंगे कोई दूसरा व्यक्ति उनके खाते में नकदी जमा नहीं करा पाएगा जैसा कि आजतक होता आया है।

इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक की किसी शाखा में जाकर बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा सकता है भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक में उसका खाता न हो। यह वैसा ही है जैसा आजकल एटीएम के इस्तेमाल में होता है-एक बैंक का एटीएम दूसरे बैंकों में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप अपने खाते में बकाया राशि का पता किसी ऐसे बैंक में जाकर भी कर सकते हैं जहां आपका खाता नहीं है। अब यह सुविधा बैंक शाखा के स्तर पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

इस नये प्रावधान से लोग अपने खातों को नियंत्रित कर सकेंगे और यह जान सकेंगे कि खाते में पैसे किसने जमा कराये। भुगतान प्राप्त करते समय सत्यापन कर सकेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा बजट घोषणाओं पर अमल की रूपरेखा जारी हो जाने के बाद ये सब बातें साफ हो जाएंगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत 1000 एन.बी.एफ.सी. उपभोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र में विविधता और दक्षता लाती हैं और इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक बनाती हैं। हाल के कुछ वर्षों में इन कंपनियों ने संसाधन जुटाने और साख मध्यस्थता में भी अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों की साख में बढ़ोतरी की न्यून दर से उत्पन्न कमियों की भरपाई करने में मदद मिली है। ये संस्थाएं आमतौर पर सार्वजनिक धन पर निर्भर होती हैं जो इस क्षेत्र की कुल देयताओं के 70 प्रतिशत के बराबर है। बैंकों के उधार, डिबेंचर और वाणिज्यिक विलेख एनबीएफसी कंपनियों के धन के प्रमुख स्रोत हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की अनुसंधान रिपोर्ट में सरकार द्वारा इस क्षेत्र में और हस्तक्षेप करने की अवश्यकता को रेखांकित किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि मार्च 2020 तक एन.बी.एफ.सी. क्षेत्र के 4.75 ट्रिलियन रुपये के बांड और विलेख

परिपक्व होने हैं। इसमें चूक का मतलब होगा बैंकों के एन.पी.ए. में बढ़ोतरी और वित्तीय क्षेत्र की बदनामी।

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए बजट में तरलता लाने की प्रणाली और नियमों में बदलाव की बात कही गयी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से सशक्त एनबीएफसी की ऊंची दर वाली कुल एक लाख करोड़ रुपये समेकित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10 प्रतिशत की पहली हानि के लिए छह महीने की साख गारंटी सिर्फ एक बार के लिए उपलब्ध कराएगी। उसी दिन रिजर्व बैंक ने भी एन.बी.एफ.सी. के लिए 1.34 लाख करोड़ रुपये लागत की तरलता उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को मदद देने का ऐलान किया।

तकनीकी तौर पर कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियामन करने वाला संगठन है लेकिन उसके विनियामक अधिकार सीमित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बजट में इन कंपनियों के विनियमन के लिए रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए (जिसे विधेयक में 'बैंक' कहा गया है) अतिरिक्त अधिकारों की सिफारिश की गयी है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार हैं:

– जहां बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि जनहित में या जमाकर्ताओं या उधार लेने वालों के हितों के खिलाफ चलाई जा रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गतिविधियों को रोकने के लिए, या वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से, या इस तरह की कंपनी के समुचित प्रबंधन के लिए, अगर आवश्यक हुआ तो बैंक आदेश जारी कर और लिखित रूप से दर्ज कारणों से कंपनी के निदेशक को (चाहे उसे किसी भी पदनाम से पुकारा जाता हो) पद से उस तारीख से हटा सकता है जिसका उल्लेख उक्त आदेश में किया गया है। लेकिन सरकार के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इसका अपवाद है।

जहां बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि जनहित में या जमाकर्ताओं या उधार लेने वालों, या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (सरकारी कंपनी से इतर) के हितों के खिलाफ चलाई जा रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की गतिविधियों को रोकने के लिए, या वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से, या इस तरह की कंपनी के समुचित प्रबंधन के लिए अगर आवश्यक हुआ तो बैंक आदेश जारी कर सकता है ऐसी कंपनी के संचालन मंडल को लिखित रूप से दर्ज कारणों से ऐसी अवधि के लिए हटा सकता है जो पांच साल अधिक न हो। इस अवधि को आदेश में उल्लेख करके बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसकी कुल अवधि पांच साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अगर बैंक किसी गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी की बहियों के निरीक्षण के बाद इस बात से आश्वस्त हो कि जनहित में या वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से वित्तीय प्रणाली के संचालन की दृष्टि से गतिविधियों को जारी रखना उचित नहीं है तो वह ऐसे कार्यक्रम बना सकता है जिनमें निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक का प्रावधान हो :

(क) किसी अन्य गैर-बैंकिंग कंपनी के साथ विलय

(ख) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पुनर्गठन

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विभिन्न इकाइयों या संस्थाओं में विभाजन कर व्यवहार्य और अव्यवहार्य कारोबार को अलग-अलग इकाइयों या संस्थाओं को सौंपना ताकि उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की ऐसी गतिविधियों की निरंतरता बनी रहे जो वित्तीय प्रणाली के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए ऐसी संस्थाओं की स्थापना जिन्हें ब्रिज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है (ये ऐसा संस्थागत अस्थायी इंतजाम है जिससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी गतिविधियों की निरंतरता बनी रहती है जो वित्तीय प्रणाली के संचालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं)।

बैंक किसी भी समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण को संलग्न करने या इसे अलग से उपलब्ध कराने को कह सकता है।

आवास वित्त कंपनियां

ये वित्तीय कंपनियां किसी खास क्षेत्र के लिए कार्य करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। इस समय राष्ट्रीय आवास बैंक 100 से अधिक आवास वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पुनर्वित्तपोषण कर रहा है। इन कंपनियों का विकास और कार्यनिष्पादन आवास उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजट भाषण के अनुसार यह बात कुछ-कुछ विरोधाभासी है कि विनियामक ही उधार देने वाला और पुनर्वित्तपोषण करने वाला भी है।

इसी को देखते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आवास वित्त क्षेत्र के विनियमन का अधिकार राष्ट्रीय आवास बैंक से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाना चाहिए। बहरहाल राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों के पर्यवेक्षण का काम करता रहेगा। ❑

ईज़ ऑफ़ लिविंग – आम जन की ज़िंदगी सरल बनाने का मंत्र

भुवन भास्कर

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पेश किए गए तमाम बजट प्रस्तावों में कम ही ऐसे रहे होंगे जिन्होंने देश के आम लोगों की दैनिक जिंदगियों को छूने की कोशिश की होगी। 5 जुलाई को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट कई मायनों में ऐतिहासिक और पूर्ववर्ती बजट दस्तावेजों से पूरी तरह अलग है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जोर देकर कहा कि सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगियां आसान बनाना चाहती है। श्रीमती सीतारमण द्वारा आम लोगों की ज़िंदगी आसान करने (ईज़ ऑफ लिविंग) करने की बात कहने के गहरे मायने हैं। यही वह मील का पत्थर है, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'नए भारत' की मजबूत नींव रखी जा सकती है क्योंकि ईज़ ऑफ लिविंग को सरकारी योजनाओं के केंद्र में लाकर सरकार ने यह साफ किया है कि उसके लिए देश की प्रगति का मानदंड केवल पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा तय किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के आंकड़े या कारों, एसी की बिक्री और पांच-सितारा होटलों में कमरों की बुकिंग में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि 'नए भारत' के विकास का मतलब संसाधनों से विहीन, राजनीतिक और अर्थ सत्ता से हीन आम लोगों के दैनन्दिन जीवन में आने वाली सहूलियत है।

बजट में जिन मुख्य प्रस्तावों, प्रावधानों और कार्यक्रमों से आम लोगों की रोज़ाना की ज़िंदगी को सरल बनाने की कोशिश की गई है, उन पर एक नज़र डालते हैं और यह भी समझते हैं कि किस तरह इनके दूरगामी परिणाम एक ऐसे नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जहां गरीब भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा

भारत में अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने, दोनों के लिहाज से गांवों से शहरों में पलायन पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ी समस्या बन कर उभरा है। इस पलायन का कारण ग्रामीण इलाकों में रोज़गार और जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसलिए वित्त मंत्री ने बजट 2019 में गांवों में ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जो एक ओर तो गांवों की ज़िंदगी को आसान और सम्मानजनक बनाए और दूसरी ओर ग्रामीण युवाओं और किसानों को रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराए। रोज़गार को केवल किसी की नौकरी करने तक सीमित रखने के बजाए उसे आजीविका के व्यापक अर्थ में देखा गया है और इसलिए कृषि को ज्यादा आय पैदा करने लायक बनाने के नवीन उपाय तलाशे गये हैं।

इन उपायों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किया गया 80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन उल्लेखनीय है, जिसका इस्तेमाल 1.25 लाख किलोमीटर ऐसी सड़कों के नवीकरण और उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए किया जाएगा, जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। ये सड़कें (कृषि विपणन) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और बेहतर सड़कों से खेती में काम आने वाली बस्तुओं की (खाद, बीज, दवा) सप्लाई में भी सहूलियत होती है।

बजट में अगले 5 सालों में 10000 एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। किसान उत्पादक संगठन छोटे और सीमांत किसानों के वे समूह होते हैं, जो कंपनी एक्ट में पंजीकरण के बाद एक कंपनी की तरह काम करते हैं। इनमें किसान ही शेयरधारक होते हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि खाद, बीज की खरीद से लेकर उपज को बेचने तक में 2-3 एकड़ के किसानों को वॉल्यूम का लाभ मिल जाता है। उन्हें न तो खाद, बीज की खरीद के लिए समय और पैसा खर्च कर दूर जाना पड़ता है और न ही अपनी उपज बेचने के लिए अलग से परिवहन इत्यादि पर खर्च करना पड़ता है। किसान उत्पादन संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइज़ेशन)-एफपीओ सैंकड़ों किसानों से जुटाई गई कई क्विंटल उपज को एक साथ सीधे प्रोसेसर, मिलर इत्यादि को बेचने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जहां एक ओर तो छोटे किसानों को बेहतर मोलभाव करने की ताकत मिलती है और दूसरी ओर, भुगतान से लेकर तोल तक में होने वाली तमाम गड़बड़ियों से मुक्ति मिलती है। जाहिर है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण एफपीओ के गठन में तेजी लाकर छोटे और सीमांत किसानों के सशक्तीकरण की एक ऐसी राह तैयार करना चाहती हैं, जिससे वे धीरे-धीरे विकसित हो रहे आधुनिक कृषि बाजारों का फायदा उठा सकें। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) कृषि विपणन के क्षेत्र में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसे श्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में शुरू किया गया। फिलहाल 585 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं। ई-नाम की सफलता के लिए आवश्यकता है कि उपज की गुणवत्ता का मानकीकरण हो और यह काम किसी अकेले किसान के मुकाबले एफपीओ बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

हर घर जल

कृषि गत ढांचे के पुनर्निमाण के अलावा बजट में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों की जिंदगियों को आसान बनाने का सबसे बड़ा फैसला पानी को लेकर किया गया है। देश में लगभग 16.3 करोड़ लोग पेयजल की उपलब्धता से वंचित हैं। देश की सरकारें पहले भी इसके लिए बड़ी धनराशि का आवंटन करती रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल का पानी पहुंचाने को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बताया है। इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन भी किया गया है, जो दरअसल पहले काम कर रहे जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जागरण और पेयजल तथा सफाई मंत्रालयों और विभागों का एकल स्वरूप है। बजट में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि 2024 तक **जलजीवन मिशन** के तहत हर ग्रामीण घर को नल का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ 2022 तक हर ग्रामीण घर में बिजली और रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाने और हर परिवार को घर

लेखक कॉरपोरेट सेक्टर से संबद्ध हैं। ईमेल: bhaskarbhuwan@gmail.com

देने की घोषणाओं को भी जोड़ दिया जाए, तो **ईज़ ऑफ लिविंग** के लिहाज से आम बजट 2019 की महत्ता स्वयंसिद्ध हो जाती है।

डिजिटल फोकस

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य में सफलता हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोगों की दैनिक ज़िंदगी में किस तरह सहूलियत पैदा हुई है। इस दिशा में उन्होंने और कई घोषणाओं का ऐलान किया और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले इंटरप्राइज के लिए भीम, आधार पे और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट समाधान उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया। बढ़ते डिजिटल नेटवर्क का फायदा ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री ने साफ किया कि भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) फंड का इस्तेमाल करना चाहती है। यह कदम डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि पंचायत स्तर तक ब्रॉडबैंड पहुंचने का मतलब होगा, करोड़ों गांववासियों के लिए सुविधाओं और संभावनाओं की एक पूरी दुनिया का दरवाजा खुल जाना। एक ओर जहां, रेलवे टिकट और मोबाइल रिचार्ज जैसी छोटी-छोटी बातों के लिए शहर दौड़ने और घंटों लाइन में खड़े रहने की मुश्किल से उन्हें निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर खाद, कीटनाशक, बीज इत्यादि रियायती दरों पर उपलब्ध कराने वाली दर्जनों स्टार्टअप कंपनियों तक उनकी पहुंच बनेगी। शिक्षा के बढ़ते प्रसार के कारण खेती के क्षेत्र में हो रहे नित नये प्रयोगों से वे अवगत होंगे और उत्पादकता बढ़ाने से लेकर नये बाजार खोजने तक में वे सक्षम हो जाएंगे। यहां तक कि अपनी उपज को मंडी में ले जाने से पहले वे भाव की जानकारी हासिल कर सकेंगे और एफपीओ के माध्यम से कृषि वायदा बाजार में भी हिस्सेदारी कर सकेंगे।

रोज़गार के ज़रिये ईज़ ऑफ लिविंग

यदि ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवा के पास करने को काम नहीं हो और आमदनी का जरिया नहीं हो, तो उसके लिए ज़िंदगी की सहूलियत का कोई मतलब नहीं रहता। इसी सिद्धांत को समझते हुए सरकार ने बजट 2019 में तीन बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। **स्फूर्ति** योजना के तहत 100 अतिरिक्त क्लस्टर बनाये जाएंगे, जिसका आधार बांस, शहद और खादी होंगे। ये क्लस्टर एक तरफ तो किसानों को बेहतर आमदनी के लिए कृषि योग्य जमीन के अलावा अन्य जगहों से विकल्प प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रोज़गार सृजन भी करेंगे। इसके अलावा **एस्पायर** (स्कीम फॉर प्रमोटिंग रूरल एरिया अन्त्रोप्रिन्योरशिप) स्कीम के अंदर 100 बिजनेस इनक्युबेटर भी तैयार किए जाएंगे। इसी सिलसिले में 75000 नए उद्यमियों को ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करने की घोषणा आने वाले वर्षों में ग्रामीण और टीयर-3, टीयर-4 शहरों के लोगों की आमदनी में वृद्धि कर उनकी ज़िंदगी सरल बनाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।

शहरी भारत में पीएमएवाई, अमृत

पीएमएआई (शहरी) के तहत सैनिटेशन, सफाई और सबकोघर देने की योजनाएं जारी रखने की घोषणा की गई, जो पहले ही 4000 से ज्यादा शहरों में चल रही हैं। इसके अलावा पेयजल और ई-प्रशासन से जुड़ी **अमृत** योजना भी 500 शहरों में चल रही है। बजट 2019 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर नागरिक सेवाएं पहुंचाना तय किया गया है और इसके लिए 6600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 425 करोड़ रुपये ज्यादा है। **'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'** का लक्ष्य हासिल करते हुए आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम है, जिसका असर आने वाले वर्षों में महसूस किया जाएगा। मेट्रो शहरों में चल रही परियोजनाओं के लिए आवंटन में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय का कुल आवंटन 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए दी गई 6853 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 350 करोड़ रुपये ज्यादा है। गौर से देखा जाए तो शहरी विकास के लिए किए गए तमाम आवंटन का अनुपात इस तरह रखा गया है कि आवास, परिवहन और बुनियादी ढांचे का सम्यक विकास कर शहरी जीवन को सरल बनाया जा सके। इसलिए जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) का बजट 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 414 करोड़ रुपये कर दिया गया है, वहीं मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को किया गया आवंटन 15000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19152 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, जिसके तहत सीवेज नेटवर्क, पेयजल आपूर्ति और शहरी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया जाता है, में भी आवंटन को पिछले साल के 6000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7300 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

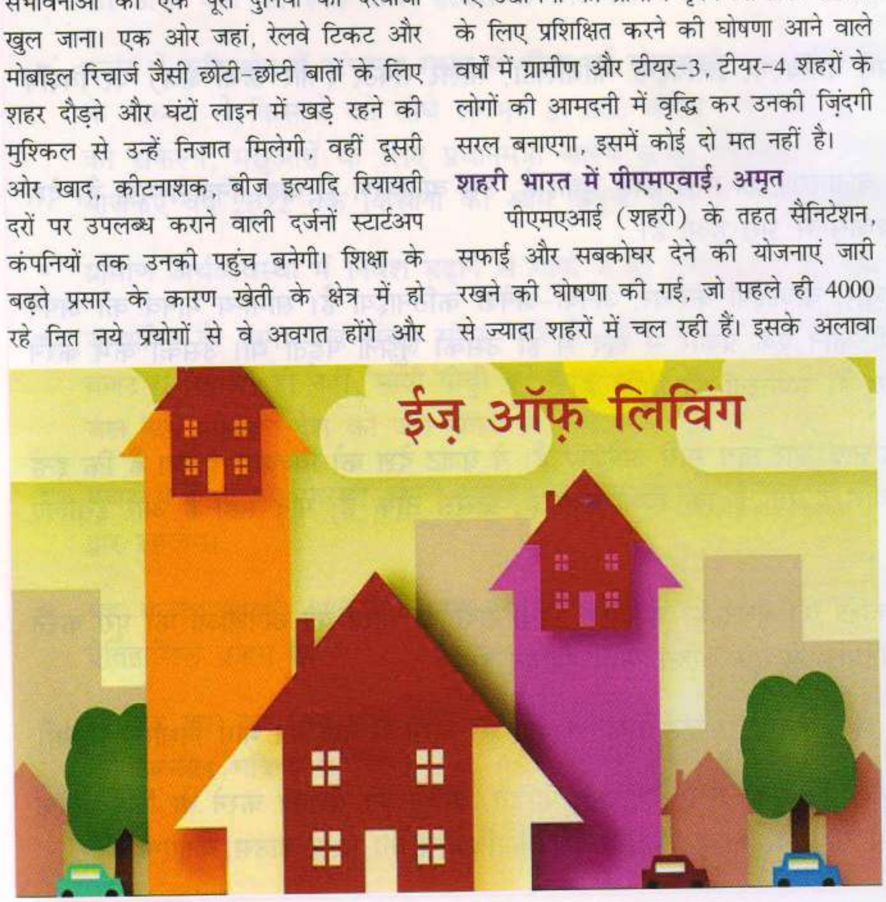

ग्रामीण और शहरी भारत में रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किए गए ये उपाय बजट 2019-20 को असाधारण बनाते हैं क्योंकि पहली बार देश ने एक ऐसा बजट देखा है, जिसमें देश के वित्त मंत्री ने कारोबारी आंकड़ों, वित्तीय और राजस्व घाटे के गणित और भारी परियोजनाओं के परे जाकर गांवों और गलियों के जीवन में सुकून लाने को सरकार का केन्द्र बिंदु बनाया है। ❑

नागरिकों के अनुकूल, विकास के अनुकूल एवं भविष्योन्मुखी बजट - प्रधानमंत्री

- देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीज़न फ्रेंडली (नागरिकों के अनुकूल), डिवेलपमेंट फ्रेंडली (विकास के अनुकूल) और फ्यूचर ओरिएंटेड (भविष्योन्मुखी बजट) के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
- ये देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा।
- इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी।
- इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर (अवसंरचना) का आधुनिकीकरण होगा।
- ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा।
- ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा।
- इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी है, आम नागरिक के लिए ईज़ ऑफ लिविंग भी है और साथ ही, गांव और गरीब का कल्याण भी है।
- ये बजट एक ग्रीन बजट है, जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर (सौर ऊर्जा क्षेत्र) पर विशेष बल दिया गया है।
- पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
- बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक-अनेक कठिनाइयां है। सामान्य मानव को अपने हक के लिए जद्दोजहद की ज़िंदगी यानि एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था। उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। सफलता भी मिली है।
- आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है।
- ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया (नए भारत) के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा।
- ये बजट वर्ष 2022 यानी आज़ादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा।
- पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही सशक्तीकरण उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा।

- पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी।
- बजट में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड़ रुपये का ट्रांसफर हो या 10,000 से ज्यादा एफपीओ का संकल्प, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड की स्थापना, ये योजनाएं वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में प्रभावी भूमिका निभाएंगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से गांवों में ही रोज़गार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।
- जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय, जन-आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ-साफ नज़र आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने में पूरी तरह सक्षम बनाएगा।
- बजट में लिए गए फैसले अगले दशक की नींव मज़बूत करने के साथ नौजवानों के लिए नई संभावनाएं के द्वार खोलेंगे।
- यह बजट आपकी आकांक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- मैं फिर एक बार वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और भारत के सभी नागरिकों को उज्ज्वल भविष्य के लिए अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं।

स्रोत - पीआईबी